बुनियादी शिक्षा

एक नई कोशिश

नवम्बर 2007 – जनवरी 2008 **अंक–17** सहयोग राशि : 15 रुपए

बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम

एक विनम्र अपील

बुनियादी शिक्षा को लेकर हम निरंतर बेहतर सामग्री जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक बुनियादी शिक्षा के सैद्धान्तिक पक्षों पर काफी कुछ कहा जा चुका है। लेकिन बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षा शिक्षण, समवाय... आदि पर खालीपन महसूस किया जा रहा है।

बुनियादी शिक्षा को सही अर्थों में स्थापित करने का मतलब यही है कि इसके व्यावहारिक पहलूओं पर सामग्री शिक्षक साथियों, संस्थाओं के पास उपलब्ध हो। बुनियादी शिक्षा से जुड़े साथियों से हम अपेक्षा करते हैं कि वे इन मसलों पर सामग्री भेजें :

- बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु।
- बुनियादी शिक्षा में शिक्षकों का प्रशिक्षण कैसे करें?
- कक्षा शिक्षण का स्वरूप क्या हो? कक्षाएं कैसे संचालित होती हैं? (शिक्षक साथी अपने अनुभव लिखकर भेजें।)
- बुनियादी शिक्षा में समवाय कैसे करें?
- काम के जरिए ज्ञान का अर्जन कैसे करें?
- बुनियादी शिक्षा के माध्यम से पढ़ रहे/पढ़ चुके छात्र/छात्राओं के अनुभव।
- अन्य मसले जो आपकी निगाह में महत्वपूर्ण लगते हैं।

एक बात का जरूर ध्यान रखें कि बुनियादी शिक्षा के सैद्धान्तिक पहलुओं के बजाय व्यावहारिक पहलुओं पर सामग्री भेजें।

बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश

खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं

बुनियादी शिक्षा: एक नई कोशिश

अंक–17

परामर्श
हृदय कांत दीवान
सुदर्शन आयंगार

संपादक
के. आर. शर्मा

सलाहकार
भागचंद्र कुमावत
गोविन्द रावल
प्रवीण डाभी
भरत जोशी
सुधा भण्डारी

चित्रांकन
प्रशांत सोनी

कम्प्यूटर सेटिंग
इसरार अहमद

संपादकीय पता
विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केंद्र
फतहपुरा, मोहनसिंह मेहता मार्ग
उदयपुर (राज.) 313 004
फोन : (0294) 2451497
Email : vbsudr@yahoo.com

मुद्रक : संजय प्रिन्टर्स, उदयपुर

इस अंक में

चिट्ठी पत्री 2

सीखना–सिखाना

(1) घर में लायक, स्कूल में नालायक 5
हृदय कांत दीवान

(2) बच्चा स्कूल क्यों जाए? 8
सरन काले

लीक से हटकर

(3) कैसे मिले अभिव्यक्ति के अवसर 10
वि.वि. सिंह

पाठ्यक्रम

(4) बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम 14

रिपोर्ट

(5) बेहतर शिक्षा याने कि... 39
के. आर. शर्मा

(6) शिक्षकों के साथ काम केन्द्रित शिक्षा की एक कार्यशाला 41
भागचन्द्र कुमावत

बुनियाद

(7) सीखने में श्रम का सच 42
प्रतापमल देवपुरा

(8) कैसे करें समवाय? 46
प्रक्षाली देसाई

समान शिक्षा व्यवस्था

(9) समान स्कूल प्रणाली में बुनियादी विद्यालय का स्थान 50

करके सीखो

(10) हमारे–काम धंधे 61

सहयोग राशि : 15 रुपए

सौजन्य : सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुंबई एवं राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् (NCRI) हैदराबाद

चिट्ठी–पत्री

अंक मिला

'बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश' का अंक मिला। प्रसन्नता हुई। हमारे देश का यह सद्भाग्य है कि आजादी के आंदोलन के दरम्यान गांधी जी ने कई नए–नए विचार दिए और उन पर अमल किया। शिक्षा का विचार गांधी जी का आखरी विचार है आजादी के 60 साल बाद भी देश के सामने शिक्षा का मसला एक ज्वलंत मुद्दा है। इन सब का जवाब बुनियादी शिक्षा के पास है। आज देश में शिक्षा के बारे मे अंधेरा है। शिक्षा में सुधार के बारे में अनेक बातें बोली जाती हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनता है। बुनियादी शिक्षा के जरिए ठोस कार्यक्रम देश के सामने रखा है। यह देश का सद्भाग्य है। लेकिन आज उसका अमल देश की गिनी–चुनी संस्थाएं ही करती हैं। अफसोस की बात है कि आज आम शिक्षा का चलन है। इसमें से कोई परिणाम देश को मिलने वाला नहीं है।

आपको धन्यवाद देता हूं कि आप नई तालीम का काम आज के संदर्भ में कर रहे हैं। आज ही मैं चंदा भेजता हूं।

सतीश प्रजापति
संस्कार भारती
अमरापुर–383 215 व्हाया तलोद
जिला साबरकांठा, गुजरात,

बुनियादी शिक्षा बनाम सर्वांगीण शिक्षा

बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश का अंक 14 पढ़कर अति प्रसन्नता हुई। वर्तमान में भारतीय शिक्षा पद्धति को नए आयाम देने की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति व अच्छे संस्कारों से दूर ले जाती जा रही है। वर्तमान में आज का विद्यार्थी शिक्षा के साथ–साथ हाथ की दस्तकारी व स्वावलंबन की ओर परिलक्षित हो। महात्मा गांधा के बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करने का प्रयास भारत ही नहीं विश्व में भी नई चेतना ला सकता है। अमरीका ने भी गांधीगिरि को प्रोत्साहित किया है स्वीकारा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 ऑक्टोबर प्रतिवर्ष विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना हर्ष व गौरव की बात है। आशा है कि बुनियादी शिक्षा के जरिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं।

सत्यप्रकाश भारद्वाज
सचिव, हरियाणा प्रादेशिक
हिंदी साहित्य सम्मेलन (सिरसा)
5/190, गोबिंद नगर
खैरपुर (सिरसा)

'बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश' हिमालय की गोद में

विद्या भवन का द्वारा प्रकाशित बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश 17 अक्टूबर 2007 को सुदूर हिमालय की सुरम्य वादियों में पहुंची। उत्तराखंड स्थित जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी कस्बे में विद्या भवन प्रतिनिधि के नाते इस पत्रिका का परिचय स्थानीय बी.आर.सी.एफ. सहित दो अन्य संस्थागत स्कूल तथा एक निजी स्कूल के प्रधानाध्यापक/शिक्षक/ शिक्षिकाओं से कराया गया। इनसे संवाद स्थापित कर विद्या भवन द्वारा संचालित 'पिटारा' के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। यद्यपि सम्पर्क में आए बी.आर.सी. कार्यालय सहित एक हाईस्कूल, दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं दो अन्य प्राइमरी स्कूल में पुस्तकालय वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। विद्याभवन द्वारा प्रकाशित ; 'बुनियादी शिक्षा' अंक–14 व 16, 'कुछ करें'– भाग 1, 'आंखन देखी', 'पठन सामग्री'– शिक्षक प्रशिक्षण (सत्र 2007–2008) की एक–एक प्रति बी.आर.सी. कार्यालय सहित उपरोक्त सारे विद्यालयों में दी गई। इनसे यह अपेक्षा रखी गई कि वे स्वयं इन पुस्तकों को तो पढ़ें ही साथ–साथ उनके पूरे स्टाफ को, इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए भी कहें, और अपने विचारों से पत्र द्वारा विद्या भवन को भी अवश्य अवगत कराएं। यह भी अनुरोध किया गया कि कक्षा–कक्ष के बाहर या भीतर शिक्षक व बच्चों के बीच सीखने –सिखाने से संबंधित जो भी अनुभव आपके पास हों, और आप अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते हों, विद्या भवन के पते पर अपने अनुभव भेज सकते हैं।

पुस्तकों और पत्रिकाओं को पहली नजर में ही प्रधानाध्यापकों के द्वारा सराहा गया। प्रधानाध्यापक रमेशचन्द्र पाण्डेय का कहना था कि 'शिक्षक प्रशिक्षण' पुस्तक अपने आप में बी.टी.सी. ट्रेनर के बराबर है। उनके अनुसार 'इसे समझ लेने के बाद बी.टी.सी. करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।'

हायर सेकेण्डरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुश्री भागीरथी पांगती का कहना था ''हमारे जैसे स्कूलों के शिक्षक–शिक्षिकाओं के लिए ये पुस्तकें बड़ी ही उपयोगी हैं, जहां अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या अधिक रहती है, और अध्यापन के दौरान बीच–बीच में इनके प्रशिक्षण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है।''

केदार सिंह बिष्ट
विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, उदयपुर
(राजस्थान)

बधाई...

'बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश' का अंक 16 मिला। इस अंक को पढ़ कर प्रसन्नता हुई कि इसमें बुनियादी शिक्षा के विविध पक्षों पर लेख प्रकाशित किए गए हैं। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को प्रथम बार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एवं बदलते परिदृश्य में प्रासंगिकता का विश्लेषण सराहनीय है। इसके निम्नलिखित पक्ष विचारणीय है–

1. गांधी जी ने शिक्षा को बालकों के वास्तविक जीवन से जोड़ने, उसे मातृभाषा में शिक्षित करने, बच्चों को समाज एवं देश की बुनियादी बातों से परिचित कराने पर बल देते हुए शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया है। शिक्षा में मूल्यों के समावेश की बात आज भी प्रासंगिक है। बुनियादी शिक्षा एक प्रकार से सार्वजनिक शिक्षा है, जिसका संबंध ऐसे बालकों का निर्माण करना है, जिनमें सामाजिक कुशलता तो विकसित हो ही, पर साथ–साथ शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो, इसके लिए विद्यालय में ऐसे पाठ्यक्रम का प्रावधान हो जो व्यक्ति को स्वावलम्बी बना सके।
2. अंक 16 में बुनियादी शिक्षा को 'पुनर्भाषित करने की जरूरत' विषय पर शरदचन्द्र बेहार को लेख मेरी दृष्टि से श्रेष्ठ है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसमें लेखक ने बदलते परिवेश में बुनियादी शिक्षा में बदलाव की मांग की है।

'इतिहास के पन्नों से' शीर्षक नई तालीम का बुनियादी ढांचा, लीक से हटकर प्रशंसनीय है। मेरी ओर से सभी लेखकों, सम्पादक, सलाहकार मण्डल के सदस्यों को बधाई प्रेषित है। शिक्षा में अमूल्य योगदान के लिए आपको साधूवाद।

जी.एल. मेनारिया
प्राचार्य, एक्सपेरिमेंटल कॉलेज आफ एज्यूकेशन
प्रांतीज, साबर कांठा (गुजरात)

बुनियादी तालीम की प्रतिष्ठित पत्रिका बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश की प्रशंसा सुश्री विभा ''दूसरा दशक'' से सुनी! कुछ नए और पुराने अंक भेज सकें तो आभारी रहूंगा!

शिवरतन थानवी
पूर्व संपादक, शिविरा/नया शिक्षक, फलौदी (राज.)

बुनियादी शिक्षा का मैं नियमित पाठक हूं। इस पत्रिका में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार सुझाए जाते रहते हैं। यदि शिक्षा विभाग इनको लागू करें तो शिक्षार्थियों का ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं कौशलात्मक विकास संभव है। यह पत्रिका सृजनात्मक विकास का महत्वपूर्ण आाार है। यह गतिविधि आधारित शिक्षा का आधार है। शिक्षा से जुड़े शिक्षक इनका पालन करें तो शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास में यह पत्रिका महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

मोहनलाल पालीवाल
डाइट, नाथद्वारा (राज.)

हृदय कान्त दीवान

घर में लायक

स्कूल में नालायक

क्या कारण है कि स्कूल में बच्चा अपने आपको सहज महसूस नहीं करता? घर आंगन में बच्चा कई तरह की चीज़ें मजे से सीख लेता है मगर स्कूल में उसकी सिट्टी–पिट्टी गुम हो जाती है।

घर के मौहाल में ऐसा क्या होता है कि वह सीख पाता है। स्कूली स्तर पर कौन–कौन सी बातें सीखने की प्रक्रियाओं में आड़े आती है? स्कूल नामक जगह पर ऐसी क्या तब्दीलियां शिक्षक के द्वारा की जानी चाहिए जिससे कि सीखने को पंख लग जाए? इन्हीं सवालों पर केन्द्रित यह लेख।

छोटे बच्चों को सिखाते समय कईं बातें सोचने की आवश्यकता होती है। हमें ऐसे प्रश्नों पर विचार करना चाहिए – बच्चे सीखते कैसे हैं और वे पहले से क्या जानते हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी होता है कि ऐसा क्यों होता है कि, कुछ बच्चे सीख जाते हैं और कुछ नहीं। शिक्षक व स्कूल के सामने अपनी कार्य योजना तय करने के संबन्ध में ये सभी प्रश्न एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर देते हैं।

इन प्रश्नों पर सीधे–सीधे विचार शुरू करने के स्थान पर हम कुछ अन्य सवालों से सोचना शुरू करते हैं। शायद इस तरह सोचने से मूल प्रश्नों के बारे में भी कुछ नए पहलू हमारे सामने आएं। अगर हम इस प्रश्न पर विचार करें कि एक 4–5 साल की

बच्ची जिसने स्कूल जाना अभी शुरू नहीं किया है, क्या–क्या जानती है।

वह अपने घर–परिवार के सभी रीति–रिवाज, रिश्ते–नाते, रिश्तेदारों के नाम, गुण और अन्य कई चीज़ों के नाम व काम जानती है। यदि हम उन चीजों के बारे में सोचें जिनके बारे में बच्ची जानती है तो हमें लगेगा कि यह बच्ची इतना सब कैसे सीख लेती है। वह अपनी बात कहना सीख लेती है, सभी प्रकार की जरूरी, गैर–जरूरी चर्चा में शामिल होना सीख लेती है, लोगों को कैसे संबोधित करना है, किससे क्या कहना है, क्या मांगना है सभी जान लेती है। यहां तक की उसकी यह समझ भी काफी हद तक बन जाती है कि कब उसे नहीं बोलना है और क्या–क्या उसे नहीं बोलना है। इन सब में वह यदा–कदा गलती कर सकती है पर वह मूल बात जानती है। कैसे अपने दोस्तों, अपने से बड़े बच्चों, वयस्कों व माता–पिता आदि से निपटा जाए और हर परिस्थिति में अपने लिए, अपनी रुचि व मज़े के लिए कोई न कोई तरीका खोजा जाए, प्राप्त किया जाए। वह यह भी सीख लेती है कि अपना काम निकालने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा।

घर में कौनसी चीज़ कहां है, गांव में कहां है, किस रास्ते से कहां जाना है, घर में किसी पहुंच से बाहर रखी पसंदीदा वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या युक्ति लगानी होगी? वह सब सोच पाती है व सीख जाती है। पांच साल की बच्ची से यदि आप किसी स्थान पर पहुंचने का रास्ता पूछें तो वह भी बता देती है। इसका मतलब यह हुआ कि वह उस स्थान की एक छवि/नक्शा जैसा अपने दिमाग में रखती है। यह असली नक्शे से बहुत फर्क होता है और शायद हरेक व्यक्ति के लिए एक–सा भी नहीं होता फिर भी बच्ची के मस्तिष्क में अपने दायरे में आई सभी वस्तुओं, जगहों व उनमें आपसी रिश्तों का एक चित्र रहता है। वह सीखना जानती है, खोजना जानती है अवलोकनों पर तर्क करके नये निष्कर्ष निकाल सकती है और भी जाने क्या–क्या कर सकती है। नए विचार, नए तरह के वाक्य, नए तरीके के वार्तालाप सभी में शामिल हो सकती है और अपना योगदान दे सकती है।

यदि पांच साल की एक बच्ची ये सारे कार्य कर सकती है और मौका मिले व जरूरत हो तो घर के छोटे–छोटे कामों में भी मदद कर सकती है तो यह आश्चर्य की बात है कि स्कूल जो सिखाना चाहते हैं वह बच्चे आसानी से क्यों नहीं सीख पाते? ऐसा क्यों होता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इन सभी बातों से संबन्धित है कि स्कूल में क्या सिखाया जाए? कैसे सिखाया जाए? स्कूल व सीखने से बच्चे का क्या रिश्ता हो? सिखाने वाले से बच्चे का क्या रिश्ता हो? सामग्री क्या हो? माहौल कैसा हो? आदि–आदि। इस लेख में, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपके साथ घर पर सीखने के तरीके और उनमें अंतर्निहित सिद्धान्त क्या हैं? इससे संबन्धित कुछ बिन्दुओं पर विचार करना चाहूंगा जिनमें से कुछ निम्न है :–

- सीखने का कोई दबाव नहीं, निश्चित तिथि नहीं।
- कोई एक निश्चित सिखाने वाला और निश्चित तरीका नहीं।
- गलती करने की पूरी स्वतन्त्रता।
- कोई नकल करवाने वाला, उत्तर बताने वाला नहीं और फिर कई सारे, सही उत्तरों की सम्भावना।
- असीमित सामग्री, असीमित विविधता वाले अनेकों स्वाभाविक मौके।

आप अगर सोचें तो इस सूची को और बढ़ा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि इन सभी परिस्थितियों में

बच्चा अपने मन से, अपने ढंग से, अपने अनुभव से, अपनी दर से सीखता है। सबको यह विश्वास होता है कि वह देर–सवेर अन्य बच्चों की तरह यह सब क्षमताएं प्राप्त कर लेगा। कोई बच्चा कुछ बातों को जल्दी सीखेगा तो कोई कुछ और बातों को। ऐसा नहीं है कि जो बोलना जल्दी सीख गया, वह उससे ज्यादा होशियार है जो बोलना तो बाद में सीखा परन्तु चलना पहले सीख गया। बच्चे ने जो भी प्रयास किया उसे सराहा गया। चाहे वह प्रयास गिरते–पड़ते चलना शुरू करने का हो अथवा तुतला–तुतला कर बोलना शुरू करने का या फिर चीज़ों के साथ खेलना शुरू करने का। हर बच्चे के परिवार में उसके सीखने के बारे में कुछ न कुछ बातचीत होती ही है और उससे हर बात समझने की अपेक्षा भी होती है तथा किसी बात को समझने की इस प्रक्रिया में उसे स्वाभाविक तौर पर मदद भी मिलती रहती है।

घर में सीखने की इस प्रक्रिया की स्कूल के माहौल से, वहां मिलने वाले फीड बैक से, वहां की अपेक्षाओं से, सीखने के मौकों से, आकलन के आधारों से और संबन्धों से तुलना करें तो बहुत फर्क है। कितनी आसानी से हम स्कूल में बच्चों को श्रेणियों में बांट देते हैं जैसे होशियार बच्चे, औसत बच्चे और मंदबुद्धि बच्चे। और ऐसा मानते हैं कि यह तो प्रकृति की बनाई श्रेणियां ही हैं। कोई मां, कोई परिवार बच्चों की इस तरह की श्रेणियों में नहीं बांटता। वे 5 साल के बच्चे जो घर में सब कुछ कर सकते हैं उनमें से अधिकांश बच्चे स्कूल में आते ही नाकारा व नाकाबिल की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं। इस तरह इनको नाकारा व नाकाबिल की श्रेणी में डालकर हम उनका उत्साह, आत्मविश्वास व सीखने की इच्छा खत्म करने के साथ–साथ, सीखने की पूरी प्रक्रिया में उनकी रुचि भी खत्म कर देते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि सभी बच्चे एक समान होने चाहिए, उन्हें एक ही ढंग से और एक ही दर से सीखना चाहिए।

स्कूल का कार्यक्रम एक सीधी रेखा में क्रमबद्ध चलता है उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि वह बच्चा या बच्ची जो सुडौल, गोल व सुन्दर रोटी बेल सकती है, पशुओं की देखभाल कर सकती है, खरपतवार छांट सकती है, अथवा सुन्दर रंगोली बना सकती है उसको इन कार्यों के लिए कोई शाबाशी मिले। इन सब कार्यों को उसकी काबिलियत व क्षमता का प्रमाण नहीं माना जाता। देखा सिर्फ यह जाता है कि वह कितने अक्षर व अंक रट सकती है या फिर ऐसी ही कुछ और बातें।

आप कहेंगे कि यह सब क्या है? यदि हम इन सभी बातों की महत्ता मान लें तो भी स्कूल व शिक्षक यह कैसे करवा सकते हैं? कैसे वह रोटी बेलने, पशु की देखभाल, खरपतवार ढूंढ़ना आदि के लिए जगह बना सकते हैं? शायद यह सब करना मुश्किल है, हालांकि स्वतन्त्रता पूर्व से ही, जैसे नई तालीम की कल्पना में भी, यह सब और कईं और बातें भी थीं। कुछ भी कहें किन्तु बच्चे की क्षमता के प्रति एक आदर की भावना व हर बच्चे की मजबूत क्षमताओं के प्रदर्शन व प्रोत्साहन से उसमें आत्मबल व सीखने की ललक उत्पन्न करना आवश्यक है। हमारा स्कूल यह माने की हर बच्चा सीख सकता है और धैर्य के साथ उसे सीखने के मौके देता रहे, जब तक वह सीख नहीं जाता। बच्चा सीखा या नहीं सीखा, यह स्कूल के ढांचे की जिम्मेदारी है। और उस ढांचे में शामिल हम सबकों इस पर सोचना चाहिए।

हृदय कान्त दीवान, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर (राज) में कार्यरत।

सरन काले

क्यों जाए बच्चा स्कूल?

विद्या भवन सोसायटी की अपनी स्कूलों में बेहतर शिक्षा को स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाते रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण, कार्यशालाओं का आयोजन इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। पिछले दिनों शिक्षकों के साथ आयोजित कार्यशाला में इस सवाल पर चर्चा की गई कि बच्चा स्कूल क्यों जाए? इस सवाल पर जो चर्चाएं हुई उनमें से एक रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की जा रही है। स्कूल के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें लिख भेजिए।

मैं स्कूल को भावनाओं का एक ऐसा स्थान मानती हूं जहां बच्चे के सहयोगी बनने और सहयोग करने की गुंजाइश है। स्कूल में उसके सामने अनेकों प्रयोग करने की परिस्थितियां लगातार आती रहनी चाहिए। यह तो हम जानते ही हैं कि बच्चा घर पर भी निरन्तर सीखता जाता है। स्कूली शिक्षा सम्प्रेषण के अनेक साधनों में से एक महत्वपूर्ण साधन है। इस सम्प्रेषण के माध्यम से बच्चा अपने साथियों के साथ सीखने को अग्रसर होता जाता है। इससे बच्चे के अनुभव में वृद्धि होती है और उसकी सोच में परिवर्तन आता जाता है। साथ–साथ उसमें जिम्मेदारी की भावना का विकास स्वतः होता जाता है।

जिसे हम स्कूल कहते हैं उसका पहला काम बच्चे को सहज, सरलीकृत पर्यावरण देना होता है। जिससे बच्चे प्रेरित होकर कुछ करने में (बुनियादी तत्व) समर्थ होते हैं। बच्चा जो ज्ञान अर्जित करके स्कूल में आता है, उस ज्ञान का प्रयोग कर उन बातों को समझने के लिए स्कूल को पहल करना चाहिए। साथ–साथ उन तत्वों को निकाल फेंकने का काम भी स्कूल को करना चाहिए जो दूषित हो गए है। स्कूल सामाजिक पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं में संतुलन करने में सहायक होना चाहिए।

अफसोस कि स्कूलों में बच्चा अकेलापन महसूस करता है। वह चाहता है कि उससे बातें करें,

उसकी ओर देखें। स्कूलों में बच्चे शब्द पढ़ते हैं और इन शब्दों–वाक्यों में एक सुनिश्चित सामाजिक बातें मतलब, अर्थ, जिन्हें किसी ने लिखा– किसके लिए लिखा इन मासूमों को कुछ नहीं मालूम। अधिकतर पठन सामग्री ऐसी लगती है जैसे कि वह बच्चों के लिए है ही नहीं। पाठ्यपुस्तकें बच्चों के लिए होती ही नहीं। वे तो हमारे लिए सुझाव हैं, एक विशेष तंत्र के लिए हैं। यदि पुस्तकों का एक सेट केवल शिक्षक के लिए ही हो तो क्रिया करने के कितने अवसर बनेंगे। तभी कुछ हमें उनके साथ मिलकर करने का अवसर मिलेगा। क्या यह सम्भव होगा? पुस्तकें खोलना और उन्हें बस्ते से निकालना उसके (बच्चे के) आनन्द को कम करता है। क्रिया एक स्फूर्ति, ताज़गी और चमत्कार लाती है। उनकी सीखने की निरंतरता पुस्तकों में नहीं क्रिया, गतिविधि कक्ष में, खेल के मैदान में, पुस्तकालय में मिलती है। पहले हमें बच्चों को पढ़ना है। तभी हम सोच और शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन कर पाएंगे। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा जिसमें हम स्वयं करते हुए सीखें।

हम स्कूल में क्या करें?

वास्तव में सिखाने का वास्तविक अर्थ तो उसका ''परिणाम'' ही है। हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक बच्चा सीख न ले। ''सीख ले'' ये तो तभी सम्भव होगा जब हमारे द्वारा बनाई गई परिस्थिति में बच्चों को सीखने के अवसर मिलें। इसके लिए बच्चों को नहीं शिक्षकों को प्रयास, परिश्रम करने की अधिक आवश्यकता है। सीखने की तकनीक कक्षा–कक्ष के बाहर खोजनी पड़ेगी और बच्चों को उसमें क्रियाशील बनाना पड़ेगा। हमें शिक्षण से सीधा सम्पर्क रखना होगा तभी प्रभावशाली अवसर निकलकर आएंगे। हमें सीखने के सकारात्मक और क्रियात्मक कौशल खोजने होंगे सीखने के व्यवहार और वातावरण को गति दें सकें। इनमें श्रव्य–दृष्य सामग्री, क्रियात्मक कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान, संगीत, नृत्य, भ्रमण, वनशाला, प्रार्थना स्थल, आदि प्रमुख माध्यम है। हमें और नया जोड़ने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान

इसमें शिक्षक का ही है। वो ही अपनी निपुणता से ये सब सम्भव कर सकता है।

हमें स्कूल की निरन्तरता को समझना होगा। निरन्तरता ही हमारा सिद्धान्त होगा। एक शिक्षक का, शाला और बच्चों के प्रति क्या रिश्ता हो यह समझना होगा। स्कूल, भवन नहीं भावनाओं का एक केन्द्र है। भावनाओं का विकास निरन्तरता से ही होगा। आख़िरकार हमें स्कूल के पारम्परिक ढांचे से तो निकलना ही होगा।

हम बच्चों को तभी समझ सकेंगे, उनके स्तर को जान सकेंगे, जब हम उनको सीखने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। बच्चे की भावनाओं में हमें भागीदार होना पड़ेगा। यदि बच्चों को सीखने के अधिक मौके और आज़ादी मिले तो वे स्वयं ज्ञान का निमार्ण कर लेंगे।

सरन काले, विद्या भवन सीनियर स्कूल, उदयपुर में शिक्षिका हैं।

वि.वि. सिंह

कैसे मिले अभिव्यक्ति के अवसर?

स्कूली स्तर पर बच्चों को लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर कैसे उपलब्ध कराए जाएं। यह शिक्षा का अहम हिस्सा है। काफी बच्चों में एक संकोच होता है। कई बार बच्चों में यह डर होता है कि वे कुछ बोलेंगे या करेंगे तो लोग हंसेंगे। किन्तु बच्चों को प्रोत्साहित करते रहने पर वे आगे आते हैं।

बच्चे स्वयं सोचे, समझे और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, इस हेतु विद्यालयों में पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने आवश्यक हैं। अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं यथा मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित रूप में, ड्राइंग बनाकर या रंगों के माध्यम से किसी कलात्मक रूप में, किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से कोई कलाकृति या मॉडल आदि बनाकर, संगीत, नृत्य या अभिनय के माध्यम से। अभिनय के भी अनेक रूप हो सकते हैं जैसे मूकाभिनय, एकाभिनय, नाटक, एकांकी या झांकियों के माध्यम से।

प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अभिव्यक्ति के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाएं और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो यह उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। अपनी पहल पर बहुत कम बच्चे आगे आकर खुलकर अभिव्यक्त कर पाते हैं। काफी बच्चों में एक संकोच होता है। कई बार ऐसा

स्वभाववश होता है, घर के वातावरण या विद्यालय के माहौल के कारण भी होता है। कई बार बच्चों में यह डर होता है कि वे कुछ बोलेंगे या करेंगे तो लोग हंसेंगे। किन्तु बच्चों को निरन्तर प्रोत्साहित करते रहने से वे आगे आते हैं। उनकी शर्म या संकोच खत्म होती है और वे खुलते हैं। इस दिशा में विद्या भवन जूनियर स्कूल में किए गए कुछ प्रयास इस प्रकार हैं :

प्रार्थना सभा में सोमवार से शुक्रवार तक के कार्यक्रम यथा – समाचार वाचन, हिन्दी और अंग्रेजी कविता पाठ, अनमोल वचन और गद्यांश प्रस्तुति, जिसके अन्तर्गत पठित सामग्री से कुछ चयनित पंक्तियां या अनुच्छेद बच्चे प्रस्तुत करते। स्वयं को अच्छी लगने वाली कविता को याद करके या पढ़कर सुनाते। समाचार वाचन के अन्तर्गत बच्चे पिछले पूरे सप्ताह के समाचार पत्रों से प्रमुख खबरें संक्षिप्त रूप में या बिन्दु रूप में लिखकर लाते और सुनाते। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम के लिए शिक्षक प्रभारी थे। जैसे एक शिक्षिका समाचार वाचन के लिए जिम्मेदार थीं। बच्चे स्वयं आगे होकर शिक्षिका से मिलकर अपनी रूचि बताते कि वे समाचार बोलना चाहते हैं। अध्यापिका प्रत्येक सप्ताह के लिए एक या दो बच्चों का चयन कर यह काम सौंपती और उनके द्वारा एकत्र समाचारों को पूर्व में देख भी लेतीं फिर उसकी प्रस्तुति पर भी पर्याप्त ध्यान देती।

हमे ऐसा अनुभव हुआ कि बच्चे इन कामों में बहुत रुचि लेते हैं पर कुछ समय पश्चात् यह भी महसूस हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो हर दिन के कार्यक्रम में अधिक रुचि लेते हैं, अतः बार–बार उनका नम्बर आ जाता, फिर कुछ बड़े बच्चे यानी कक्षा 5 के बच्चों की इसमें विशेष भागीदारी रहती। दूसरे बच्चे आगे नहीं आते। इस समस्या के निराकरण स्वरूप स्टाफ मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह एक हाउस को दिया जाए। चूंकि हाउस में कक्षा 3 से 5 के मिश्रित बच्चे रहते हैं, अतः छोटे बच्चों को भी बोलने के मौके मिलने लगे। यह भी तय हुआ कि जो बच्चे अपने आपसे आगे नहीं आते उन्हें शुरू में सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, पूर्वाभ्यास करवाया जाए। धीरे–धीरे वे स्वयं प्रस्तुतीकरण हेतु सामग्री चुनकर लाने लगे और अध्यापिका को दिखाने लगे। प्रभारी अध्यापिका उपयुक्त सुझाव दे देती यथा कौनसी कविता सुनाना अच्छा होगा या न्यूज़ में किन बिंदुओं को अर्थात् महत्व की घटनाओं को पहले लिया जाए? किनको बाद में लें या छोड़ दें।

कई बार बच्चे बड़ी अच्छी कविताएं छांटकर लाते। वे उन्हें लिखकर नोटिस बोर्ड पर लगाएं – इस हेतु भी उन्हें प्रोत्साहित किया गया जिससे एक बार

सुनकर बच्चे इसकी रसानुभूति न कर सकें तो स्वयं पढ़कर वे आनन्द उठा सकें या अच्छी लगने पर वे अपने लिए उन्हें संकलन हेतु उतार भी सकें।

शनिवार का दिन खुला होता। बच्चे जो चाहे यथा कविता, गाना, कहानी, अनमोल वचन कुछ भी सुना सकते थे। कई बार एक विषय चुन लिया जाता जैसे 'पक्षी', तो बच्चे पक्षी से संबंधित कविताएं, कहानियां, मुहावरे या उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत करते। कुछ बच्चों ने अलग–अलग प्रकार के पक्षियों के चित्र भी एकत्र किए, उन्हें शीट्स पर चिपकाकर सभा–स्थल पर टांगा।

उस सप्ताह में आने वाला त्यौहार या अन्य कोई महत्वपूर्ण तिथि या दिवस भी विषय हेतु चुन लिया जाता। जैसे स्वतन्त्रता दिवस वाले सप्ताह में बच्चों ने देश प्रेम पर आधारित प्रस्तुतियां दी। इसी प्रकार बाल दिवस, साक्षरता दिवस, हिन्दी दिवस, पर्यावरण को भी चुना गया।

लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत बच्चों को कुछ विषय देखकर लिखने हेतु प्रोत्साहित किया गया। लिखित अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हो सकती हैं यथा–कविता, कहानी, लेख, नाटक, विवरण आदि। बच्चों के द्वारा जो लिखा उनमें से कुछ अच्छी रचनाओं को चुनकर और बच्चे उसे पढ़कर सबको सुनाएं – ऐसी व्यवस्था की गई। चयनित रचनाओं को वार्षिक बाल पत्रिका 'गुंजन' में प्रकाशित किया जाता, जिसका बच्चों को इंतजार रहता।

कक्षा 3 से 5 में विद्यार्थियों की संख्या लगभग पौने दो सौ होने से कई बार सभी बच्चों को यह अवसर नहीं मिल पाते या कुछ संकोची बच्चे प्रोत्साहन के बावजूद पूरे बड़े समूह में आगे नहीं आते, उन्हें दल स्तर पर ऐसे मौके उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाती। 30 से 40 बच्चों के बीच दल बैठक के समय वे सरलता से ऐसा कर पाते।

अभिव्यक्ति का एक रोचक माध्यम है 'कला'। कला रेखाओं, रंगों, गतियों, ध्वनियों और शब्दों में मनुष्य के मनोगत भावों की बाह्याभिव्यक्ति है। हमारा यह अनुभव है कि चित्रकला में बच्चों को किसी विषय से न बांधकर यथा शिक्षक ने बोर्ड पर सेव, अमरूद, अंगूर या ऐसा ही कुछ बनाया और सभी बच्चों को अपनी ड्राइंग कॉपी में वही बनाना है, ऐसा न करके बच्चों को स्वेच्छा से चित्रांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो बड़े अच्छे–अच्छे चित्र वे बना लेते हैं। और यह उनके व्यक्तित्व को पहचानने में बड़ा सहायक होता है। प्रकृति प्रेमी बच्चे फूल, पेड़, पानी, सूरज, चांद, तारे बनाते हैं। कुछ बच्चे मानव या पशु आकृतियां अधिक बनाते हैं। कुछ बच्चे बस या कार बनाना पसंद करते हैं। मुझे याद है दूसरी कक्षा का एक बच्चा, जब भी कक्षा में बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाता, हमेशा पुलिस के चित्र बनाता, हाथ में बंदूक लिए हुए मानवाकृति, जीप में बैठे हुए पुलिसमैन, चौराहे पर खड़े होकर हाथ दिखाता पुलिस, चोर के पीछे भागता पुलिस आदि। मैंने पता लगाया तो उसके परिवार में कोई भी पुलिस सेवाओं में नहीं था। उसका व्यक्तिगत रुझान इस ओर रहा होगा।

मिट्टी से भी बच्चे सुन्दर आकृतियां बनाते हैं। सैण्डपिच में बच्चे अपने पैर के ऊपर रेती जमाकर घर बनाकर आनन्दित होते तो, कुछ बच्चे मंदिर बनाकर उस पर फूल सजाते, तो कोई बच्चा अपनी सोच से सड़कें बनाकर पूरा नगर बसाता, तो कोई गड्ढा बनाकर उसमें पानी भरकर तालाब या झील बना देता। 2–1 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद कुछ न बनाकर दूसरे के ऊपर रेती फेंक देंगे या उनका बनाया हुआ तोड़ देंगे। ऐसे बच्चों पर व्यक्तिगत

ध्यान देने, प्यार से समझाने की जरूरत होती है।

क्राफ्ट के माध्यम से भी बच्चों की रचनात्मकता उभरती हैं। ऐसे मौके व साधन उपलब्ध होने पर बड़ी अच्छी–अच्छी चीज़ें बनाते हैं। गत्ते, ड्राइंग शीट, ग्लेस पेपर, आदि की सहायता से वे कितनी तरह की चीज़ें तैयार कर लेते हैं, जो उनकी सृजनात्मकता का परिचायक है। दिमाग व हाथ से काम करके उन्हें आत्मसंतोष मिलता है। यदि इसको उत्पादकता से जोड़ दिया जाए तो यह ''सोने में सुहागा'' हो जाता है।

''गांधी जी की नई तालीम की प्रमुख विशेषता यह है कि बच्चे को किसी उपयोगी उत्पादक शिल्प द्वारा शिक्षा दी जाए और शरीर श्रम के आदर्श का शिक्षा में सक्रिय प्रयोग किया जाए। गांधी जी की मान्यता थी कि किसी उपयोगी शिल्प के प्रशिक्षण से कर्म, शिक्षा और रहन–सहन में सप्रयोजन संबंधों की स्थापना होती हैं और शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का एक साथ विकास होता है।''

संगीत व नृत्य अभिव्यक्ति के लोकप्रिय माध्यम है। अभिनय के अंतर्गत नाटक या एकांकी में अलग–अलग पात्रों की भूमिका बच्चे बड़ी खूबी से अदा कर लेते हैं। मूकाभिनय और एकाभिनय में भी उन्हें बड़ा आनन्द आता है। हम लोगों ने ऐसा भी प्रयोग किया कि बच्चों को छोटे–छोटे समूह में बांटकर कोई विषय देकर अपने आप सोचकर (बिना शिक्षकों के मार्गदर्शन के) प्रहसन प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया। जैसे उन्हें कहा गया, कोई दुर्घटना हो गई है उससे कैसे बचना है, इसे प्रस्तुत करना है। बच्चों ने 5 मिनिट की अवधि में अपने समूह में तैयारी की और जो प्रस्तुतियां हुई, वे प्रशंसनीय थी। एक समूह ने घर में, रसोई में, आग लगने का दृश्य हाव–भाव से व्यक्त कर सभी सदस्यों द्वारा उसे बुझाने के प्रयास दिखाए तो दूसरे समूह ने अपने एक साथी के डूबने पर शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया तब तक एक–दो बच्चों ने कपड़ा फेंककर उसे सम्बल देने की कोशिश की। इसी तरह की कुछ और दुर्घटनाओं जैसे सड़क दुर्घटना, जीव–जन्तुओं के काटने आदि को प्रस्तुत कर बच्चों ने सभी का ध्यानाकर्षण कर कुछ सोचने की ओर उन्मुख किया।

विद्यालय के वार्षिकोत्सव में जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं, उनमें सभी बच्चों की भागीदारी नहीं हो पाती। अधिक बच्चों को ये अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, इसमें कैम्प फायर या दल स्तर पर इस तरह के मौके देने से बड़ा लाभ होता है। और एक–दो बार इस तरह की प्रस्तुतियों के बाद वे आगामी वर्षों में बड़े स्तर पर प्रस्तुति के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास पनपता है, उनकी सृजनात्मकता एवं कलात्मकता का विकास होता है, जो उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। कई बार बच्चों की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति को भी इन माध्यमों से सही दिशा में मोड़ा जा सकता है।

सबसे बड़ी बात है बच्चों को इन प्रवृत्तियों में मज़ा आता है, आनन्द प्राप्त होता है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे गाना गाकर, नृत्य या अभिनय करके अपनी बात को बोलकर या अपने विचारों को अभिव्यक्त करके, अपने हाथों से किसी वस्तु का निर्माण करके या कोई सुन्दर रचना करके आनन्द प्राप्त न होता हो। जरूरत है विद्यालयों में अभिव्यक्ति के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की और अभिव्यक्ति के विविध रूपों से उन्हें परिचित कराने की।

वि.वि. सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापिका, विद्या भवन सोसायटी जूनियर स्कूल। वर्तमान में विद्या भवन सोसायटी में कार्यरत।

बुनियादी तालीम की कसौटी

बुनियादी शिक्षा का एक अहम पहलू है ''कार्य के माध्यम से शिक्षा''। किसी कार्य के बारे में बता भर देना बुनियादी शिक्षा नहीं है। बुनियादी शिक्षा तब होगी जब उस काम को बच्चे खुद करें। और काम के माध्यम से ज्ञान अर्जित करें। बुनियादी शिक्षा स्कूल की चहारदीवारी में पाठ्य पुस्तकीय शिक्षा को खारिज करती है।

बुनियादी शिक्षा 'जीवन की शिक्षा' है। इसलिए इसका पाठ्यक्रम काफी सोच समझकर बनाया गया है।

जब हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं तो हमें इसका जवाब बुनियादी शिक्षा में ही मिलता है। बच्चों को जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक बनाने के प्रति बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम काफी गंभीर है।

आज के संदर्भ में बुनियादी शिक्षा को लागू करना हो तो विषय वस्तु का चुनाव हम स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। दरअसल विषय वस्तु पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। विषयवस्तु वह हिस्सा है जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम के बाकी उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है। इस नजरिए से देखें तो बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समृद्ध शिक्षण प्रक्रिया का घोतक है। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम का आग्रह है कि बच्चों में योग्यताओं का विकास हो सके। जिन योग्यताओं के विकास पर जोर दिया गया है वे यहां प्रस्तुत की जा रही हैं।

आठ साल के शिक्षाक्रम को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों में जिस योग्यता की अपेक्षा की जाती है, उसे नीचे लिखे सात विभागों में बता सकते हैं–

(1) साफ और स्वस्थ जीवन बिताने की योग्यता

इसमें नीचे लिखी बातों का समावेश है–

(क) शरीर का संतुलित और उचित विकास हो। विद्यार्थी मेहनत से काम करने की शक्ति रखता हो, तन्दुरूस्त और फुर्तीला हो।

(ख) सामाजिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सफाई की अच्छी आदतें रखता हो। इसके सामाजिक और नैतिक पहलुओं को समझता हो।

(ग) सामाजिक सफाई को बनाए रखने का विवेक विकसित हो और ग्राम–सफाई की बुनियादी बातें जानता हो।

(घ) घर, गांव और स्थानीय समाज में सफाई का कार्यक्रम बनाने की योग्यता हो।

(ड) मानव–शरीर के विविध अंगों और अवयवों के काम, स्वास्थ्य–रक्षा के बुनियादी नियम और स्थानीय वस्तुओं से संतुलित आहार बनाने के सिद्धान्तों का साधारण ज्ञान रखता हो।

(च) सामान्य प्राथमिक उपचार (सिम्पल फर्स्ट–एड) जानता हो, स्थानीय जड़ी–बूटियों और घरेलू दवाइयों से परिचित हो, साधारण बीमारियों के कारण, उनके प्रतिरोध के उपाय जानता हो, बीमार की मामूली सुश्रूषा कर सकता हो।

(2) अन्न–वस्त्र व आश्रम के स्वावलम्बन की योग्यता

(क) कपास से अपने लिए वस्त्र बना सके।

(ख) अपनी संतुलित खुराक के लिए जरूरी पदार्थों को पैदा कर सके।

(ग) साधारण भोजन बना सके।

(घ) एक परिवार के या संस्था के सदस्यों के लिए खाना पकाना, परोसना और सुरक्षित रखना जानता हो, खाने के खर्च का अंदाज–पत्रक (बजट) बना सके और खर्च का हिसाब रख सके।

(ड) घरेलू औजारों के उपयोग और हिफाजत की उसे जानकारी हो।

(च) साइकिल पर चढ़ने और उसे अच्छी हालत में रखने की योग्यता रखता हो।

(3) बुनियादी दस्ताकारी में योग्यता

चुनी हुई बुनियादी दस्तकारी में विद्यार्थी को इतनी कुशलता और शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हो कि जरूरत पड़ने पर इसके द्वारा अपने लिए संतुलित आहार, सादे कपड़े, और जीवन की ओर जरूरी आवश्यकताओं के लिए काम सके। इसमें लिखी बातों का समावेश होगा–

(क) बुनियादी या अन्य दस्तकारियों के अभ्यास में और घरेलू औजारों तक साधनों के उपयोग में, गणित और अन्य शास्त्रों के जिन सिद्धान्तों का उपयोग होता हैं, उनके बारे में उसे साधारण जानकारी हो।

(ख) अपने लिए जरूरी अन्न और कपास पैदा करने और भोजन पकाने तथा घर के कामों में, बुनियादी दस्तकारी की प्रक्रियाओं में, अपना आरोग्य बनाए रखने में और अच्छी सफाई में रसायनशास्त्र और प्राणीशास्त्र के जिन सिद्धान्तों से हमारा काम पड़ता है, उनसे सामान्य परिचय हो।

(4) सामान्य विज्ञान और गणित में योग्यता

अपने चारों ओर प्राकृतिक परिवेश में और दैनिक जीवन की प्रवृत्तियों में विज्ञान, गणित और अन्य शास्त्रों के जिन बुनियादी सिद्धान्तों का उपयोग होता है, उनका सामान्य परिचय हो।

मूल उद्योग तथा दूसरे उद्योगों को सरंजाम के प्रयोग में निहित यंत्रविद्या और गणितशास्त्र के उसूलों की साधारण जानकारी हो।

अन्न और कपास के उत्पादन में, खाना बनाने और दूसरी घरेलू कलाओं में मूल उद्योग की प्रवृत्तियों व तन्दुरूस्ती को कायम करने में तथा उचित आरोग्य का परिचय हो।

(5) नागरिकता में योग्यता

बच्चा सहकारी समाज के आदर्श को समझता हो और सबके साथ मिलकर काम कर सके।

(क) विकेन्द्रित अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को समझता हो जिसमें खेती और ग्रामोद्योग के उचित समन्वय से स्वावलम्बी ग्राम–समूह को संगठन हो सके और

शहर व गांवों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का अच्छा संबंध स्थापित हो।

(ख) सहकारी समितियों संगठन के नियमों को जानता हो और सहकारी प्रवृत्तियों को चलाने का प्रत्यक्ष अनुभव रखता हो।

(ग) बुद्धिपूर्वक अखबार और दूसरी पत्रिकाओं को पढ़ सके और उसके द्वारा आज के हिन्दुस्तानी और दुनिया की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को समझ सके।

(घ) हिन्दुस्तानी और दुनिया के इतिहास, भूगोल का विश्लेषण करके आर्थिक भूगोल का मामूली ज्ञार रखे ताकि आज की समस्याओं को समझ सके।

(ड) सब धर्मों के संस्थापकों और उनके सिखाए गये आचारों और विचारों से परिचित हो।

(च) राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों को निभा सके और उनका महत्व जानता हो।

(छ) नयी तालीम के आदर्श के मुताबिक प्रत्येक उदीयमान नागरिक समूची मानव–जाति को एक ऐसे बहुशाखावाले परिवार के रूप में मानता हो जिसमें हर शाखा अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं में सौन्दर्य और गुणों का कुछ–न–कुछ योग देती हो।

(ज) सब धर्मों और अच्छे विचारों के प्रति श्रद्धा रखें, सब मतवाद धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आचारों के बारे में सहिष्णु हो। जातिगत, धर्मगत, भाषागत, सांस्कृतिक और राजनीतिक हर प्रकार की संकीर्णता से मुक्त हो।

(झ) भाषा और गणित की जरूरी योग्यता, जिससे विद्यार्थी अपनी दैनिक प्रवृत्तियों को चला सके और बुनियादी तालीम पूरी करने के बाद इनके संबंध में और ज्ञान प्राप्त कर सकें।

6. भाषा की योग्यता

(क) स्कूल और गांव के समाज से संबंध रखने वाली मुख्य बातों पर स्कूल की आम सभाओं और खुली सभाओं मे बिना हिचकिचाहट, साफ और शुद्ध बोलने की योग्यता रखता हो।

(ख) अपनी मातृभाषा के साहित्य से परिचित हो।

(ग) वर्तमान पत्र और साप्ताहिक, मासिक पत्र–पत्रिकाओं का उपयोग कर सके।

(घ) अभिधान और कोष को उपयोग जानता हो।

7. गणित में योग्यता

(क) विद्यार्थी में गणित बोध (मैथिमेटिकल सेन्स) का विकास हो।

(ख) हिसाब में इतनी योग्यता हो कि रोजाना के कामकाज से संबंध रखने वाले सादे हिसाब, नाप–तौल वगैरह ठीक–ठीक और शीघ्रता से कर सके।

(ग) ज्यामिति की सरल आकृतियों और मुख्य नियमों से परिचित हो।

8. सृजनात्मक और कलात्मक प्रवृत्तियों में योग्यता

(क) सुरूचि का विकास हो।

(ख) अच्छे संगीत, साहित्य और कला के नमूनों से परिचित हो और उसमें आनन्द पा सके।

(ग) कला, संगीत और किसी कलात्मक दस्तकारी द्वारा आत्म–प्रकटन का प्रत्यक्ष अनुभव रखे और इसके द्वारा अपने समय का आनन्द के साथ सदुपयोग कर सके।

(घ) एक–एक मिलकर राष्ट्र गीत, खुशी के गीत, भजन, धुन आदि गा सके और नाट्याभिनय कर सके।

(ड) उत्सव–त्यौहार व सभा–समितियों के मौकों पर स्कूल या सभा–स्थल को सुरूचि के साथ सजा सके।

(च) अपने इलाके की परम्पारगत, कला, लोकगीत, लोकनृत्य आदि से परिचित हो।

(छ) अपने क्लास, स्कूल और गांव के समाज के लिए शुद्ध मनोरंजन के कार्यक्रम की व्यवस्था कर सके।

बुनियादी तालीम का विस्तृत शिक्षाक्रम

विस्तृत पाठ्यक्रम में कक्षा के मुताबिक किए गए काम का बंटवारा सांकेतिक है, जरूरी नहीं। पाठ्यक्रम में रद्दोबदल की पूरी गुंजाइश है। इसमें आठ साल की पूरी अवधि में दिए जाने वाले ज्ञान के स्तर और प्रकार का अभ्यास मात्र है और प्रासंगिक मजमूनों को आमतौर पर बच्चों के क्रमिक विकास के अनुसार रखने की कोशिश की गई है। अगर वर्ग के बच्चों की औसत उम्र, पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट उम्र से कम या ज्यादा हो तो पाठ्यक्रम के हिस्सों में अपेक्षित संशोधन किया जाएं। वास्तविक परिस्थितियों के लिहाज से निस्सन्देह और दूसरे परिवर्तन और संशोधन भी इसमें किए जा सकते हैं। समग्र रूप से यह आशा कि जाती है कि शाला के दैनिक जीवन के पाठ्यक्रम में पहली कक्षा में सिखाए गए मजमूनों के उन्मुक्त प्रसंग चलाए जाएंगे ताकि पहले सिखाए गए विषय और कौशल के प्रत्यक्ष ज्ञान के एक बार परिचित होने के बाद उन्हें भूल न जाएं।

1. शुद्ध और स्वस्थ जीवन का अभ्यास–सफाई और आरोग्य का शिक्षाक्रम
2. स्वावलम्बन का अभ्यास
3. मूल उद्योग या बुनियादी दस्तकारियों का अभ्यास
4. भाषा
5. गणित
6. सामान्य–विज्ञान
7. नागरिकता की अमली तालीम और सामाजिक विज्ञान
8. चित्रकला
9. सृजनात्मक और रचनात्मक प्रवृत्तियां
10. दैनिक जीवन की साधारण प्रवृत्तियों द्वारा शिक्षा।

शुद्ध और स्वस्थ जीवन का अभ्यास
सफाई और आरोग्य शिक्षाक्रम

शिक्षकों को सफाई और आरोग्य की सच्ची शिक्षा देने के लिए यह समझ लेना जरूरी है कि एक समग्र शिक्षा का कार्यक्रम है। अपने शरीर, कपड़े और आसपास की दैनिक सफाई और इसके नियमित अभ्यास के साथ मन की शुद्धि का गहरा संबंध है।

अंग्रेजी में कहावत है कि ईश्वर–भक्ति के बाद ही सफाई का दूसरा स्थान है। (Cleanliness is next to Godliness)। गांधी जी ने भी यह कहकर कि ''मनुष्य बाह्य वस्तु का अंतर के साथ अनुसंधान करके सर्वांगीण बाह्य शुद्धि रखता है, उसके लिए अन्तरशुद्धि सहज हो जाती है, इसके उलटा जो अन्तरशुद्धि के महत्व में बाह्यशुद्धि के महत्व पर जोर दिया है और इस उद्‌देश्य से उन्होंने कहा है कि ''नयी तालीम सफाई से शुरू होती है।''

शिक्षकों से प्रार्थना है कि वह बच्चों को शुद्ध और स्वस्थ जीवन बिताने की शिक्षा देते समय इसके नैतिक और सामाजिक पहलू को भी अपने सामने रखें।

बुनियादी पाठशालाओं में अगर दो बातों की व्यवस्था हो सके तो सफाई और आरोग्य की शिक्षा देने में बहुत सहायता मिल सकेगी, एक तो पाठशालाओं में बच्चों को एकबार भोजन या नाश्ता देने का प्रबन्ध हो, दूसरी पाठशाला में एक छोटा–सा दवाखाना या आरोग्य केन्द्र चला जाए।

1. शाला के सहभोज

आमतौर पर बुनियादी पाठशालाओं में छात्रालय नहीं होंगे और बच्चे घर से ही खाना खाकर पाठशालाओं में आएंगे, लेकिन उनके घर के भोजन की कमियों की पूर्ति के लिए और साथ ही नागरिकता की शिक्षा देने के लिए बच्चों को स्कूल में अगर नियमित रूप से एक समय का भोजन या नाश्ता देने का प्रबन्ध किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि स्कूल के बगीचे की उपज से ही यह प्रबन्ध हो सके। बच्चे बीच–बीच में घर से भोजन लाकर भी पाठशाला में मिलकर खा सकते हैं और इसके द्वारा उन्हें साथ और ठीक प्रकार से खाने की आदत सिखायी जा सकती है। बच्चे घर से कच्चे खाद्य पदार्थ लाएं और पाठशाला में पकाकर एक साथ खाने की योजना बनाएं।

2. शाला या गांव का अस्पताल

जिन गांवों में डॉक्टरी इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर बुनियादी पाठशाला के अध्यापक और बच्चे मिलकर एक छोटा–सा आरोग्य–केन्द्र चलाएं और आसपास के लोगों की सेवा करें तो

बहुत अच्छा होगा। जहां पर एक दवाखाना बाल–आरोग्य केन्द्र पहले से ही चल रहा हो, वहां पर बच्चे उसके काम में सहायता पहुंचा सकते हैं, इससे सबको फायदा हो। जहां–जहां हो सके, बच्चे स्थानीय डॉक्टरों और समाज–सेवकों को सहयोग दें और जहां पर जरूरत पड़े वहां बीमारों की सेवा और संक्रामक रोगों की रोकथाम के कार्यक्रम में भाग लें।

इस शिक्षाक्रम के मुख्य तीन पहलू हैं

1. शुद्ध और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए क्या किया जाए?
2. अपने आसपास के स्थानों को कैसे साफ रखा जाए?
3. घर, स्कूल या गांव के किसी बीमार होने अथवा किसी आकस्मिक दुर्घटना घट जाने पर क्या किया जाए।

कक्षा पहली और दूसरी

छोटे बच्चों की तालीम में सफाई और तन्दुरूस्ती का मुख्य स्थान होना चाहिए। जिस बुनियादी स्कूल मे पूर्व बुनियादी स्कूल भी है, वहां यह तालीम पूर्व बुनियादी वर्ग में ही शुरू होगी। पहले दर्जे में उसे कायम रखने व आगे बढ़ाने का काम चलेगा। जहां पहले दर्जे से ही काम शुरू होता है, वहां पहले कुछ माह तक यह तालीम का मुख्य काम रहेगा। उसका काम सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि बच्चों के घर–घर में जाकर अभिभावकों के सहयोग से शिक्षकों को करना होगा। तभी बच्चों में इस तालीम की नींव पक्की होगी।

पहली नज़र में शायद इन दर्जों के लिए सफाई और तन्दुरूस्ती का शिक्षाक्रम कुछ भारी मालूम पड़े, लेकिन हमें याद रखना है कि छोटे बच्चों में सफाई व तन्दुरूस्ती की मनोवृत्ति व इनके लिए आवश्यक

आदतें पैदा करनी हैं, न कि उन्हें विषयदान देना है। ये शिक्षाक्रम के विषय नहीं, बल्कि बच्चों के विकास के केन्द्र हैं। अगर बच्चों की तरफ से कोई प्रश्न आए तो सरल–से–सरल शब्दों में इन कामों का संबंधित ज्ञान देना है। शिक्षा का यह कार्यक्रम तो हमें बुनियादी तालीम के सात सालों में पूरा करना है। जैसे–जैसे बच्चे बड़े होंगे और उनके अनुभव का दायरा बढ़ेगा, इन कामों के इर्द–गिर्द में ज्ञान का विकास किया जाएगा।

- शुद्ध और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए क्या किया जाए?
- पाखाना और पेशाब के लिए क्यों जाना? कहां जाना? कब जाना?
- पाखाना और पेशाब में सफाई–पानी का उपयोग, उपयोग में लाए गए बर्तनों की सफाई।
- थूकना और नाक साफ करना– कहां करना? कैसे करना? क्यों करना?
- सिर की सफाई–क्यों और कैसे? जूं सिर में क्यों पड़ती है? कैसे निकालना?
- स्नान क्यों और कैसे?
- कपड़े धोना–क्यों और कैसे? कपड़े साफ करने के साधन।
- अपने कपड़ों की सफाई का इंतजाम।
- बिस्तर की सफाई का इंतजाम।
- खिलौने, बर्तन, खानगी सामान आदि उपयोग की चीजों की सफाई।
- पीने के पानी की सफाई– छानना और ढंककर रखना।
- भोजन करने में सफाई–हाथ, मुंह धोकर खाना, खाने के बाद अच्छा तरह मुंह धोना, साफ बरतन में खाना, मक्खी उड़ाना और क्यों? भोजन करने के पहले और बाद में भोजन की जगह की सफाई।

– भोजन–क्यों, कब और कैसे खाना? क्या खाना? कितना खाना?

– पीने का पानी– पीने का पानी कैसा चाहिए? कैसे साफ रखना? कब–कब पाखाना जाना?

– नींद और आराम– रात को सोना, क्यों? कितनी देर सोना? कैसे सोना? मुंह खोलकर, ढंककर नहीं, खुली हवा में, बन्द कमरे में नहीं।

– सांस लेना– सांस लेने का ठीक ढंग–पूरी सांस लेना, गहरी सांस लेना, नाक से, क्यों?

मुंह से क्यों नहीं? खुली हवा में सोना, रहना, खेलना, क्यों? कमरे में आग जलाकर दरवाजा बन्द करके सोना क्यों नहीं?

- वजन लेना– बच्चों का वजन क्यों बढ़ते जाना चाहिए? घटने के कारण?

अपने आसपास के स्थानों की सफाई

- कक्षा के कमरे और आंगन की सफाई।
- कक्षा में सामान रखने की आलमारी की सफाई।
- कताई, बागवानी, चित्रकला, सफाई और खेल के सामान की सफाई व इंतजाम।
- कचरे का उपयोग।
- झाड़ू, खराटे(खरहरा), टोकरियां, पानी वगैरह सफाई के साधनों की सफाई तथा इंतजाम।
- साधनों को बनाने व मरम्मत करने में हिस्सा लेना।

दूसरी कक्षा में भी ऊपर लिखी बातें जारी रहेंगी। मकसद यही रहेगा कि पहली कक्षा में जिन आदतों की बुनियाद डाली गई, वे दूसरी कक्षा में आकर और भी पक्की हो जाए और बच्चों में जो सफाई का बोध हुआ है, वह और विकसित हो।

इस कक्षा से बच्चे अपनी व्यक्तिगत सफाई में व अपनी क्लास तथा स्कूल की सफाई में ज्यादा हिस्सा ले सकेंगे, घर के काम में ज्यादा मदद कर सकेंगे और घर, स्कूल या गांव के सामाजिक जीवन में अधिक हिस्सा ले सकेंगे, ऐसी अपेक्षा रखी जाएगी।

यह कार्यक्रम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सफाई का वह आदर्श जो स्कूल में रखा जाए, वही धीरे–धीरे घर–घर तक न पहुंचाया जाए। बच्चे जब अपने मन से और शिक्षकों की मदद से घर और आसपास की सफाई रखें, तभी समझा जाए कि बच्चों में सफाई की आदतें और मनोवृत्ति आ गई हैं।

कक्षा तीसरी (उम्र 8 या 9 साल)

साफ और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए क्या किया जाए?

व्यक्तिगत सफाई

पहली और दूसरी कक्षा के शिक्षाक्रम में जो बातें रखी गई हैं, तीसरी कक्षा के बच्चों में उनकी आदतें इतनी पक्की हो जानी चाहिए कि वे घर में अपने छोटे भाई–बहनों की या स्कूल में छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकें। साथ ही पहली व दूसरी कक्षा के शिक्षाक्रम को कायम रख कर आगे बढ़ाना है।

आरोग्य

- व्यक्ति आरोग्य का जो शिक्षाक्रम पहले और दूसरी कक्षा के लिए रखा गया है उसे और आगे बढ़ाया जाए। अपनी तन्दुरूस्ती कायम रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, छुआछूत से बचने के लिए जिन नियमों का पालन करना होता है, उसके पीछे शरीर–विज्ञान और आरोग्य–विज्ञान के जो उसूल हैं, उनके बच्चों को धीरे–धीरे ले जाना है।
- घर में छोटे–छोटे भाई–बहनों की सेहत की जिम्मेदारी लेना तथा अपने और अपने परिवार के लोगों की तन्दुरूस्ती की रिपोर्ट तैयार करने का काम भी इस दर्जे से शुरू करना है चौथे–पांचवें दर्जे में और आगे बढ़ाना है।
- अपनी तन्दुरूस्ती की रिपोर्ट के साथ–साथ अपने वजन का हिसाब रखना।
- शरीर की बनावट की आम जानकारी।

अपने आसपास के स्थानों की सफाई

- क्लास के कमरे, उसमें रखे सामान और साधनों की सफाई तथा व्यवस्था शिक्षक की मदद के बिना बच्चे कर सकें, इसकी योग्यता पैदा करना।
- सारे स्कूल की सामूहिक सफाई में हिस्सा लेने और सामूहिक सफाई की योजना बनाने में मदद करने की योग्यता पैदा करना।
- अपने घर और आंगन की सफाई की जिम्मेदारी लेना, योजना बनाना।
- गांव–सफाई के कार्यक्रम में हिस्सा लेना।
- सफाई के साधन बनाना, मरमम्त करना और उनकी हिफाजत करना।
- कचरे का उपयोग, उसकी योजना बनाना, कचरे खाद कैसे बनती है समझाना।

कक्षा चौथी

साफ और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए क्या किया जाए?

- पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के कार्यक्रम को जारी रखना।
- अपने और पूरी क्लास के बच्चों के वजन का हिसाब रखना–वजन घटने और बढ़ने का कारण समझना–यह समझना कि वजन बढ़ना जीवन का धर्म है।
- शरीर के विभिन्न हिस्सों और उनके काम की जानकारी।
- साफ पीने के पानी का इंतजाम करना– पानी कहां से मिलता है? पानी कैसे गंदा होता है? पानी शुद्ध करने और शुद्ध रखने के तरीके समझना।
- तन्दुरूस्त कैसे रहना–उसके लिए कौन–कौन सी बातों की जरूरत है?
- तन्दुरूस्ती के लिए साफ हवा की जरूरत क्यों रहती है?
- खुराक कैसी चाहिए? भोजन करने की जरूरत क्यों रहती है?
- आराम की जरूरत क्यों रहती है?
- तन्दुरूस्त रहने के लिए खुश क्यों रहना चाहिए?
- मामूली बीमारियों का ज्ञान– जैसे मलेरिया, खुजली, फोड़े–फुंसी, आंखें आना और बदहजमी, इनके कारण, इनसे बचने के उपाय और मामूली इलाज, (अगर हो सके तो स्कूल में छोटा–सा आरोग्य–केन्द्र होना चाहिए जहां पर बच्चे शिक्षकों की मदद से कुछ आरोग्य का काम का करें)।

अपने आसपास के स्थानों की सफाई

सामूहिक रास्तों और कुओं की सफाई

- पानी जाने के नालों की सफाई।
- स्कूल के पाखाने और पेशाबघर की सफाई।
- स्कूल में अगर भोजन का प्रबन्ध हो तो भोजन और भोजन करने की जगह की सफाई।
- अपने घरों में गोशाला की सफाई।
- गांव–सफाई के कार्यक्रम में हिस्सा लेना खास करके जिन जगहों पर मच्छर और मक्खियां पैदा होती हैं, उनकी सफाई।
- कचरे का उपयोग, संयुक्त खाद तैयार करना।
- सफाई के साधन बनाना, मरम्मत करना और उनकी हिफाजत करना।

- सफाई के कार्यक्रम की योजना बनाना।
- सफाई के काम का विवरण तैयार करना।

कक्षा पांचवी

साफ और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए क्या किया जाए?

- चौथी कक्षा के काम को जारी रखा जाए यह समझाया जाए कि व्यक्तिगत सफाई और स्वास्थ्य एक सामाजिक कर्तव्य है। इस दर्जे से बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य और सफाई का वैज्ञानिक आधार समझाना शुरू किया जाए।
- मानव–शरीर के अंग, उनके काम आदि के बारे में साधारण जानकारी।
- व्यायाम से शरीर कैसे तन्दुरूस्त रहता है।
- हड्डी, खून, खाल और नसों आदि के स्वास्थ्य के लिए कौन–सा आहार हमें खाना चाहिए? इसकी साधारण जानकारी। (यह याद रखना जरूरी है कि यह सब सरल शब्दों में समझाया जाना चाहिए, वैज्ञानिक शब्दों में नहीं)
- हवादार स्वास्थ्यकर घर और साफ–सुथरे कपड़ों से क्या लाभ होता है?
- स्कूल के तमाम बच्चों व एक–एक वर्ग के बच्चों के वजन व ऊंचाई आदि का हिसाब कैसे रखना।

अपने आसपास के स्थानों की सफाई

- घर, वर्ग के कमरों और उसके आसपास की सफाई के दैनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा पांचवीं कक्षा के बच्चों को नीचे लिखी प्रवृत्तियों में भाग लेना चाहिए।
- सारे स्कूल की सफाई के कार्यक्रम को संगठित करना, उसकी योजना बनाना, पूर्व तैयारी, काम का बंटवारा, औजारों और साधनों का चुनाव, काम की रिपोर्ट बनाना और जांच करना।
- स्कूल के पाखानों एवं पेशाबघरों की सफाई, मल और सब प्रकार के कूड़े–कचरे को उपयोग में लाने की जिम्मेदारी उठाना, स्कूल और घर के पास सोकपिट बनाना और इसकी देखरेख करना।
- मवेशी–घरों और पालतू जानवरों व पक्षियों के स्थानों की सफाई।
- स्कूल में अगर गौशाला हो तो बैल की सफाई, गौशाला की सफाई, कूड़ा–कचरा ठीक ढंग से गड्ढे में डालकर भिन्न–भिन्न प्रकार के खाद बनाना (सोन खाद, संयुक्त खाद व पेशाब की खाद आदि) गोबर के ऊपर मिट्टी डालना।
- आमतौर पर उपयोग में आनेवाले सफाई के साधनों तथा झाड़ुओं, टोकरियों आदि के बारे में जानकारी, साधन तैयार करना, कचरे की टोकरियों को ठीक जगह पर रखना, स्कूल के तमाम सफाई के साधनों को जमा रखने, गिनने वितरण करने और स्टॉक लेने की जिम्मेदारी उठाना।

घर, स्कूल या गांव में किसी के बीमार होने अथवा किसी आकस्मिक दुर्घटना के घट जाने पर क्या किया जाए?

- बीमारों की सेवा– अपने वर्ग का, परिवार या (छात्रालय होने (ताप) लेना और चार्ट तैयार करना, डॉक्टर के लिए रिपोर्ट तैयार करना, बीमारों की औषधि देना, मामूली पथ्य तैयार करना, मामूली घाव साफ करके दवाई लगाना। आरोग्य के काम विवरण, इश्तहार और चार्ट

तैयार करना।

- बीमारों के कमरों को कैसे साफ रखना और इसे रोग के कीटाणुओं से कैसे मुक्त करना?
- चेचक, छोटी माता, जुकाम का बुखार (इन्फ्लुऐंजा), बड़ी खांसी आदि फैलने वाली आम बीमारियों के बारे में जानकारी, उनके कारण, इलाज और प्रतिरोध के उपाय।
- सामान्य तौर पर जलने पर, झुलसने पर, मरोड़ या मोच आने पर, फोड़े–फुंसी होने पर और आँख आने पर क्या करना चाहिए। गरम पानी से कैसे सेकना? पट्टी कैसे बांधना?

कक्षा छठी

साफ और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए क्या किया जाए?

- दैनिक सफाई और स्वास्थ्य के कार्यक्रम जारी रखे जाएं और घर व स्कूल के दैनिक कार्य की हर एक प्रवृत्ति का इस तरह अध्ययन किया जाय जिससे आरोग्य और जिन सिद्धान्तों पर शुद्ध और स्वस्थ जीवन बिताना निर्भर है, उनसे विद्यार्थियों का परिचय हो।
- सुबह कौन से व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए हितकर है और काम, खेलकूद और आराम में शरीर का कौन–सा आसन (Posture) स्वास्थ्य के विकास के लिए अनुकूल है, इसका विशेष अध्ययन हो।
- इस वर्ग के ब्रह्मचर्य पालन के नियमों के अध्ययन की शुरूआत हो।

नोट : इस वर्ग में बच्चों को उनकी किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने से पहले सरल और गम्भीर शब्दों में यह जरूरी ज्ञान देना वांछनीय है, ताकि किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं के पास ब्रह्मचर्य पालन के लिए उपयुक्त ज्ञान और श्रद्धा हो। इसके लिए कोई निश्चित शिक्षाक्रम नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह स्कूल के वातारण, शिक्षक और विद्यार्थियों के पारस्परिक संबंध और शिक्षक के ज्ञान और श्रद्धा पर निर्भर है, लेकिन इस पर थोड़ी–सी सूचनाएं दी जाती हैं।

किसी भी तरह के अस्वाभाविक ढंग से बच्चों को यह ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरह वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र या शरीरशास्त्र के नियम, खेती–बागवानी या सफाई आदि प्रवृत्तियों के साथ–साथ स्वाभाविक ढंग से सिखाए जाते हैं, वैसी ही स्वाभाविक रीति से यह ज्ञान भी बच्चों को दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ–साथ जीवन को इस प्रवृत्ति के बारे में श्रद्धा और जिम्मेदारी के बोध का विकास होना चाहिए।

आस पास के स्थानों की सफाई

- पाखाने और पेशाबघर की सफाई। भिन्न–भिन्न ऋतुओं और मिट्टियों के अनुसार उपर्युक्त पाखाने और पेशाबघरों की जानकारी, उनकी सुविधाएं और असुविधाएं।
- वैज्ञानिक ढंग से संयुक्त खाद (कम्पोस्ट) तैयार करना, कम्पोस्ट के लिए गड्ढा कैसे और कहां खोदना है? खाद मिश्रण कैसे हो? कम्पोस्ट तैयार करने में कौन–कौन से तत्व काम करते हैं? कीटाणु, नर्मी और गर्मी–खाद बनाने में और जानवरों के मल और मूत्र की उपयोगिता।
- सार्वजनिक स्थानों, यथा तालाब, कुएं, गांव के चौक, धर्मशाला, बारात घर, चौपाल, मंदिर, मस्जिद आदि पूजा के स्थान की सफाई।

शरीर का कौन–सा आसन

उपरोक्त कार्यक्रमों द्वारा जंगली जगहों को अच्छा बनाना, मच्छर तथा मक्खियां जिन स्थानों पर पैदा होती हैं, उनको साफ करना।

- घर, स्कूल या गांव के किसी के बीमार होने अथवा किसी आकस्मिक दुर्घटना के घटने पर क्या किया जाय।
- पाचन संबंधी बीमारियों जैसे पेट की खराबी, बदहजमी, पेचिस, मियादी बुखार, हैजा आदि के कारण, इलाज और इनसे बचने के उपाय समझना, पाचक व रोचक औषधियों का उपयोग समझना, नमक के पानी से कुल्ला करना, नमक, लोशन, गंधक, आयोडिन आदि का उपयोग।
- कट जाने, छिल जाने या चमड़ा फट जाने पर क्या करना चाहिए?
- जख्मों पर पट्टी बांधना।
- रोगी के लिए उपर्युक्त पथ्य बनाना।
- देशी जड़ी बूटियों से परिचय।
- बिच्छू अथवा सांप के काटने पर, अचानक चोट लगने पर या रोगी की मूर्च्छावस्था में प्राथमिक उपचार का ज्ञान।

कक्षा सातवीं

साफ और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए क्या किया जाए?

- पिछली कक्षा के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाना।
- भोजन के अधिक से अधिक पोषक तत्वों का रक्षण करते हुए साधारण भोजन कैसे तैयार करना? (जहां हो सके वहां दूसरे प्रान्तों की खुराकों के भी प्रयोग किए जाने चाहिए)
- रोग–प्रतिरोध की ताकत (Power of Resistance) का विकास।
- अपना स्वास्थ्य इस प्रकार का कैसे बनाएं जिससे छुआछूत की बीमारियों से सुरक्षित रहकर काम कर सकें।

अपने आस पास के स्थानों की सफाई

- रसोईघर, स्नानघर के पानी का भाजी के बगीचों में उपयोग, शाला या घर के प्रयोग, गांव के पानी के निकास की नालियों में सुधार।
- घर और गांव के उपयोगी पेशाबघर और पाखाने कितने और किस प्रकार के, उनकी देखभाल, खाद तैयार करना, गांव के लोगों के साथ मिलकर इसका संगठन करना।
- गांव की सफाई की योजना और गन्दी आदतों को दूर करने के प्रचार में सहयोग देना।
- गांव की सफाई व आरोग्य के कार्यक्रम के लिए रिपोर्ट, प्रर्दशनी, चार्ट तस्वीरें, साहित्य, नाटक आदि तैयार करना, गांव अथवा मुहल्ले की सफाई और स्वास्थ्य के आंकड़े तैयार करना।

घर, स्कूल या गांव में किसी के बीमार होने अथवा किसी आकस्मिक दुर्घटना के घट जाने पर क्या किया जाए?

- सादी घरेलू सुश्रूषा, घर में बीमार की सेवा।
- जिस घर में एक ही कमरा है, उसमें बीमार के लिए उपर्युक्त स्थान चुनना और तैयार करना, अलग–अलग कमरा या बरामदा मिलता हो तो उसे बीमार के लिए तैयार करना,

गरीब–से–गरीब घर में बिस्तर पर पड़े हुए बीमार की सेवा कैसे करना? अधिक–से–अधिक गरीबी की अवस्था में भी रोग के कीटाणुओं का नाश कैसे किया जाय? दूषित घाव (सैप्टिक वूण्ड) को गन्दा होने से बचाना और उसके इलाज का ज्ञान।

- प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्त। प्रकृति किस प्रकार बीमारी को दूर करने में काम करती है और किस प्रकार हम प्रकृति की सहायता कर सकते हैं।
- श्वासोच्छास–संस्थान के रोगों– जैसे खांसी के बुखार, निमोलिया, तपेदिक के कारण, इलाज और प्रतिरोध के उपाय।
- कुत्ते आदि के काटने पर प्राथमिक उपचार, जहर फैलनेवाली चोट और उपचार, डूबने पर नकली सांस चढ़ाना, आंख, नाक और गले में कुछ पड़ जाने पर क्या करना?

कक्षा आठवीं

साफ और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए क्या किया जाए? अपने आसपास के स्थानों की सफाई।

- इस दर्जे में सफाई और आरोग्य का पिछला सारा कार्यक्रम दुहराया जाए और निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- अपनी सफाई तथा स्वास्थ्य की रेखा को सामाजिक और नैतिक कर्तव्य समझना।
- अपने परिवार तथा गांव की सफाई और आरोग्य की पूरी जिम्मेदारी लेने की तैयारी।
- सफाई और आरोग्य के लिए काम करने वाली संस्थाओं की जानकारी, जन–स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल तथा स्थानीय औषधालय, प्रसूति तथा शिशु–मंगल–केन्द्रों को सहयोग देने के तरीके।
- अपने सारे इलाके की सफाई व आरोग्य की व्यवस्था तथा इसके बारे में आवश्यक सुधारों को अध्ययन।

घर, स्कूल या गांव में किसी के बीमार होने अथवा किसी आकस्मिक दुर्घटना घट जाने पर क्या किया जाए?

1. प्लेग, कुष्ठ रोग और स्थानीय बीमारियों के कारण, इलाज और इनसे बचने के उपाय का अध्ययन।
2. बीमारियों के इलाज के विभिन्न तरीके (जैसे घरेलू टोटके, प्राकृतिक इलाज, आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक और होम्योपैथिक) का प्राथमिक परिचय, आरोग्यशास्त्र के इतिहास में कुछ महान पुरूषों के नाम।
3. विद्यार्थियों को इतना सिखा देना चाहिए कि वे पहचान सकें कि किस अवस्था में एक अनाड़ी का दखल देना ठीक नहीं होता और कब फौरन डॉक्टरी सहायता लेना आवश्यक होता है।
4. शाला या गांव के औषधालय के लिए कम–से–कम आवश्यक सरंजाम तथा दवाइयों की सूची बनाना, यह कैसे इस्तेमाल की जाती है तथा कहां से मिल सकती है– इसकी जानकारी, प्राथमिक उपचार–बॉक्स से परिचय।
5. महामारी (एपीडैमिक) बीमारियों में स्वयंसेवक के तौर पर काम करना।
6. हड्डी टूटने या अपने स्थान से हिल जाने, घाव से बहुत खून बहने पर क्या करना, इसका अध्ययन।
7. घायलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना।

मूल उद्योग या बुनियादी दस्तकारी का अभ्यास

कोई भी उद्योग या दस्तकारी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर सके, मूल उद्योग या बुनियादी दस्तकारी मानी जा सकती है–

1. उसमें आवश्यक विषय ज्ञान, विशेष करके भाषा और गणित का ज्ञान देने के लिऐ पर्याप्त शिक्षा प्रसंग मिल सकें।

2. उसके द्वारा विद्यार्थियों में उचित आदतों और मनोवृत्तियों का विकास किया जा सके।

3. उसमें इतनी आर्थिक उपयोगिता हो जिससे आठ साल के शिक्षाक्रम को पूरा करने के बाद, यदि जरूरी हो तो वह इस धंधे से अपने लिए संतुलित आहार तथा जिन्दगी की इतर मूल आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

खेती–बागवानी और कताई–बुनाई के उद्योग, जो हिन्दुस्तान में लगभग सभी जगहों पर प्रचलित हैं, इन शर्तों को भलीभांति पूरा करते हैं और इन दोनों उद्योगों में शिक्षा की दृष्टि से काफी प्रयोग भी हो चुका है, इसलिए इन दोनों उद्योगों का दर्जेवार शिक्षाक्रम आगे दिया जा रहा है।

खेती–बागवानी मूल उद्योग का शिक्षाक्रम

हमारे देश के भिन्न–भिन्न इलाकों की खेती–बागवानी की स्थिति इतनी विभिन्न हैं कि इस उद्योग में पूरे भारतवर्ष के लिए एक जैसा शिक्षाक्रम बनाना असंभव है। शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए आगे कुछ सामान्य सूचनाएं दी जा रही हैं–

सभी बुनियादी स्कूलों में पांचवे दर्जे तक बागवानी का काम लाजमी है। छठे, सातवें तथा आठवें दर्जे में जहां इसे मूल उद्योग माना जाता है, वहां के विद्यार्थियों में इस शिक्षाक्रम को समाप्त कर लेने के बाद इसी उद्योग द्वारा जीविका कमा लेने की योग्यता आ जानी चाहिए। पिछले तीन दर्जों के विद्यार्थियों में शारीरिक तथा मानसिक विकास इतना हो जाना चाहिए जिससे वे सहकारी काम से इस उद्योग द्वारा शाला की आर्थिक जिम्मेदारी उठा सकें।

जहां पर यह मूल उद्योग माना जाता है, वहां संतुलित काश्त (बैलेन्स्ड कल्टिवेशन) के लिए तर और खुश्क जमीन के अलावा बागवानी योग्य जमीन का प्रबन्ध भी होना चाहिए।

साधारणतः बच्चा अपने गांव की शाला में ही जाएगा, इसलिए उसके घरेलू जीवन तथा प्रवृत्तियों की शिक्षाक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग–धन्धों में मां–बाप की सहायता करने के लिए तथा हाथ बंटाने के लिए बच्चों को सुविधा दी जानी चाहिए तथा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी शिक्षकों की सहायता से उस काम का पूरा हिसाब रखें।

संतुलित काश्त (बैलेन्स्ड कल्टिवेशन) के लिए नीचे लिखी फसलें सुझायी जाती हैं। इन फसलों के जो भी स्थानीय प्रकार हों, वे सभी धरती, अबोहवा तथा जल–सिंचाई की सुविधाओं का ख्याल रखकर, उगायी जाएं।

1. घर के लिए साग–सब्जी जैसे बैंगन, भिण्डी, टमाटर, कद्दू, हरी तरकारी और कुछ मसाले।
2. अधिक–से–अधिक स्थानीय फल, जितने भी हो सकें।
3. अनाज–गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और दूसरे अन्न।
4. आमतौर पर इस्तेमाल की जानेवाली दालें।
5. तिलहल तथा तेलों के बीज।
6. कुछ गन्ना।
7. स्कूल के लिए आवश्यक कपास।
8. पशुओं के लिए चारा।
9. शहतीर, ईंधन के लिए बाड़ लगाने के लिए पेड़।
10. स्कूल के लिए बगीचे।
11. स्थानीय जड़ी–बूटियां।

कक्षा 1–3

इस दर्जे के बच्चों की औसत उम्र सात साल की होगी। बड़ों की खेती और बागवानी का निरीक्षण और अपनी शक्ति के अनुसार वह उसमें मदद करेंगे। उनके लिए एक अलग जमीन का टुकड़ा रखा जाएगा। उसमें वह फूल और तरकारी की बागवानी भी शिक्षकों की मदद करेंगे। इसलिए छोटी–छोटी खुरपियां, टोकरियां और पानी सींचने के लिए बच्चों के लायक साधन काम में लाए जाएंगे।

निरीक्षण के अंतर्गत निम्न बातें होंगी–

1. बड़े बच्चों द्वारा व्यवस्थित स्कूल के बगीचों और खेतों का, गांव के खेत और बगीचों का और आसपास की विशेष चीजों जैसे नदी, तट, रेतीले कगारों और जंगलों का निरीक्षण।
2. मौसम में स्थानीय बाजार में आनेवाले फल और शाक–पात तथा उनके भाव।
3. विभिन्न फसलों की कटाई, संग्रह और बिक्री।
4. सामान्य पक्षी, कीड़े और जंगली व पालतू दोनों प्रकार के जानवर।

विविध दर्जों के लिए अपेक्षित काम नीचे दिए गए हैं हर एक दर्जे में सम्पूर्ण साधनों की समुचित देखभाल और व्यवस्था, काम का अभिन्न अंग हो।

कक्षा पहली

अमली कार्य

- खोदी हुई या जुती हुई जमीन तैयार करना।
- बीज बोना।
- रोप लगाना।
- बगीचे में जो रोप और पौधे निकलेंगे, उनकी देखभाल करना।
- खाद देना।
- खाद इकट्ठा करना।
- पानी देना।
- सिंचाई करना।
- गोड़ना।
- ऊपर की जमीन को ढीली–पोली करना।
- कीड़े निकालना।
- बगीचे में तैयार की हुई तरकारियां तोड़ना, तौलना, बेचना या उपयोग में लाना।

इन कामों के साथ इतना ज्ञान आ जाना चाहिए–

- पेड़–पौधों को पहचानना।
- पेड़–पौधों हिस्से की जानकारी–जड़ तना, पत्ती, फूल, फल और बीज।
- बीज से पौधों के की बाढ़–बीज, जड़ पत्ती, तना, फूल, फल।
- बीज के पौधों की बाढ़ के लिए जरूरी चीजें– मिट्टी, पानी, खाद, रोशनी और हवा।
- साथी और मददगार– जानवर और चिड़ियां।

कक्षा दूसरी

अमली काम

- बीज बोना।
- रोपों के लिए जमीन तैयार करना, बगीचे में छोटी–छोटी क्यारियां बनाना।
- खोदना, खाद देना, गोड़ाई करना।
- सब्जियों और फलों का रोप लगाना।
- पौधों के बीच जगह छोड़ना।
- पौधों को ले जाना और ले आना।
- पौधे लगाना।
- पानी देना।
- देखभाल करना।
- बगीचे या खेत में तैयार निकालना–वजन करना, बेचना और हिसाब रखना।

- खेत से कचरा चुनना।
- पेड़–पौधों से कीड़े चुनना।
- जमीन की निंदाई करना और गोड़ना।
- खाद डालना–जमीन में खाद देना, मिट्टी में मिलाना।
- गोबर खाद जमा करना, संयुक्त खाद भी जमा करना। काम के सिलसिले में इतना ज्ञान आ जाना चाहिए।
- किस तरह की मिट्टी और किस तरह की खाद काम में लानी चाहिए।
- अच्छे व खराब बीजों की पहचान।
- अच्छे बीजों के उगने पर क्या होता है?
- पौधे के विभिन्न हिस्सों के काम।
- पानी सींचने के लिए कौन–सा समय अच्छा है?
- रोपने के लिए कौन–सा समय अच्छा होता है?
- कीड़े–नुकसान करने वाले और फायदा पहुंचाने वाले।
- बीज इकट्ठा करना– कब और कैसे?
- जब खेतों में कुछ खास काम होता रहे, तब विद्यार्थियों को वहां दिखाने के लिए ले जाना चाहिए।

कक्षा तीसरी

अमली काम

इस दर्जे में स्कूल के बगीचे, सब्जी की खेती और फूलदार पेड़ों का सारा काम विद्यार्थी खुद करेंगे। वे धीरे–धीरे छोटे–छोटे फावड़ों, कुदालियों और दूसरे साधनों का उपयोग सीखेंगे।

- जमीन तैयार करना।
- खाद डालना।
- निंदाई।
- पानी सिंचना।
- कीड़ों से रक्षा।
- पौधों की देखभाल।
- तैयार फसल या सब्जी निकालना, हिसाब रखना।
- आगामी फसल की जमीन तैयार करना।
- अच्छे बीज चुनकर अलग इकट्ठा करना।
- इल्लियों को पालकर उनकी चार अवस्थाओं को देखना।
- बारिश रूकने पर फूलों और सब्जियों की क्यारियों को धीरे–धीरे गोड़ना।

निरीक्षण

- अंकुरित बीजों का अध्ययन (क) अंकुर (ख) बीजदल।
- जड़ों का अध्ययन–तना, पत्ते, फूल और फल के अध्ययन और उनके काम।
- टिड्डी और तितली के जीवन–वृत्तान्त।
- फसल के कीड़े–पौधों को खाने वाले कीड़े और उनकी रोकने के उपाय।
- खाद की आवश्यकता और उनका काम।

कक्षा चौथी

अमली काम और निरीक्षण

- मौसम व जमीन के मुताबिक साल भर की बागवानी का कार्यक्रम बनाना। (आहार की आवश्यकताओं के अनुसार सब्जी उगाने की योजना बनाना।)
- सब्जी के लिए क्यारियां बनाना, उसकी योजना और माप, रास्ते, पानी के लिए नाली, किनारों पर फल के पेड़, बाड़बन्दी।
- रोपों को रोपने के लिए जमीन तैयार करना।
- खाद डालना, निंदाई करना और पौधों को पानी से सींचना।
- तैयार सब्जियां निकालना, बेचना और हिसाब रखना।
- भिन्न–भिन्न प्रकार के हलों की पहचान।
- मुर्गी पालन और चराना (जहां संभव हो), उनके रहने के और चरने के लिए जगह साफ करना, रखना। अण्डों को इकट्ठा करना और उनकी देखभाल करना।
- साल भर के काम का विवरण बनाना। योजना के अनुसार कितना काम हो सका है, इसका हिसाब बनाना, हवा तथा मौसम के सादे चार्ट बनाना।

शास्त्रीय ज्ञान

- **मिट्टी का अध्ययन**– आसपास अगर पहाड़ियां हों तो मिट्टी कैसे बनती है, अध्ययन कराया जाए, आसपास की मिट्टियों की पहचान।
- **खाद का अध्ययन**– खादों की आवश्यकता और उनका काम। कब, कैसे और कितनी खाद देनी चाहिए।
- **बीजों का अध्ययन**–बोने का तरीका, गहराई और अंतर, बारीक बीज, बीज की कीड़ों से बचाना।
- **रोपों का अध्ययन**– नाजुक रोपों को पानी देने का तरीका, रोप लगाना कब, कैसे और क्यों? इनको कड़ी धूप और मूसलाधार बारिश से कैसे बचाना?

कक्षा पांचवी

- इस दर्जे के बच्चों में इतनी योग्यता आनी चाहिए कि साल भर के लिए साग–सब्जी पैदा कर सकें और स्कूल में अगर मूल उद्योग खेती रहे तो फसल पैदा करने में मदद दे सकें।

योजना बनाना

- जमीन की लम्बाई, चौड़ाई तथा बच्चों की संख्या के अनुसार पिछले सालों के अनुभवों को सामने रखकर साल भर के काम की योजना बनाना।
- चौथे दर्जे की तरह जमीन तैयार करना। जमीन के लिए कितनी खाद की जरूरत है, उसके लिए योजना बनाना। मिश्रित खाद तैयार करने की योजना।
- चार्ट व विवरण तैयार करना व हिसाब–किताब रखना।

अमली काम और निरीक्षण

- जमीन की मशागत।
- सब प्रक्रियाएं करके साग–भाजी पैदा करना।
- संयुक्त खाद बनाना, निंदाई के साथ घास–पात और कूड़े–कचरे की इकट्ठा करना।

- खेती में निंदाई करना।
- फसलों की हिफाजत करना, पहले नसों के मुताबिक और फिर प्रकार के मुताबिक (जैसे सादे और संयुक्त), उनका वर्गीकरण (फर्क) पहचानना, कपास, ज्वार और चने की जड़ों को पहचानना, जड़ और पिण्ड का अंतर जानने के लिए मूली और गाजर के टुकड़े, आलू और अदरख के पिण्ड के टुकड़े लगाना। भिन्न–भिन्न मौसमों में खिलनेवाले फूलों की पहचान, साग–सब्जी और फसलों के बीज संग्रह करना और अगले साल के लिए रखना।

प्रयोग

- खाद, निंदाई और गोड़ाई के असर जानने के लिए बगीचे में उस काम के लिए अलग की हुई क्यारियों में प्रयोग करना, खादवाली और बिना खादवाली क्यारियों का फर्क मालूम करना।
- निंदाई की हुई और न की हुई क्यारियों में फर्क देखना।
- निंदाई और गोड़ाई की हुई, केवल निंदाई की हुई फसल में अंतर देखना।

शास्त्रीय ज्ञान

- निंदाई, घास–पातों के प्रकार। निंदाई की आवश्यकता, कहां और कैसे निंदाई करना, निंदाई का ठीक तरीका।
- बहुवार्षिकी के लिए गहरी जुताई।
- एकवार्षिकी के लिए उथली जुताई।
- वर्षा होने के बाद निंदाई से लाभ।

मिट्टी का अध्ययन

- मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी बनने में पानी, हवा, गर्मी और ठण्ड का काम।

आसपास का मिट्टियों की पहचान

(क) उनके स्पर्श से, उनके दाने और वजन देखकर।

(ख) उनके विश्लेषण से।

(ग) भौतिक गुण से।

(घ) जमीन के पोत और बनावट संबंधी ज्ञान, जमीन में हवा रहती है।

(ड) ऊपर लिखी बातों के अनुसार खरीफ और रबी की फसलों और साग–सब्जी के लिए उपयोगी जमीन पहचानना।

(च) मिट्टी, नमी और उसका नियंत्रण

- देशी और लोहे के हलों का तुलनात्मक अध्ययन, हल और बक्खर में फर्क, बक्खर का काम।
- खेती में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों व उनसे बचाव के उपायों का अध्ययन।
- अच्छे–बुरे बीजों की पहचान और ठीक रखने का ढंग।
- पौधे के भिन्न–भिन्न अंग और उनके काम का विस्तृत अध्ययन।

कक्षा छह, सात और आठ

छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के शिक्षाक्रम के बारे में सामान्य सूचनाएं।

(1) प्राकृतिक दैनन्दिनी

रोजाना खेती–काम के विवरण सावधानी से और व्यवस्थित ढंग से रखे जाये और इन्हीं दैनिक विवरणों से खेती–काम की मासिक पंजिका तैयार की जाए। पहली कक्षा से ही बच्चे रोज का तापमान, बारिश, हवा की गति या आबोहवा की दूसरी तब्दीलियों को लिखते जाएंगे, ऐसी अपेक्षा है।

(2) योजना बनाना और काम की जांच करना

खेती के काम की शिक्षा में योजना बनाने और किए गए काम की जांच का बहुत महत्व है। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर काम की योजना बनाएंगे। इसके द्वारा बच्चों को सामान्य विज्ञान, गणित और भाषा का ज्ञान भी दिया जा सकेगा, काम की जांच द्वारा नागरिकता की अमली तालीम मिलेगी और साथ–साथ इसके द्वारा भाषा, गणित और सामान्य विज्ञान के शिक्षाक्रम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करने में मदद मिलेगी। खेती के काम की योजना बनाने और काम की जांच करने में नीचे लिखी बातें ध्यान में रखी जाएं–

- कितनी सूखी, कितनी गीली और कितनी बागवानी के लिए उपर्युक्त जमीन मिल सकती है?
- सिंचाई का क्या प्रबन्ध है?
- कितनी खाद मिलेगी और साल भर में कितनी संयुक्त खाद तैयार कर सकेंगे?
- काम करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी और काम करने के लिए रोजाना कितना समय मिलेगा?
- स्कूल की छुट्टियों में क्या व्यवस्था होगी?
- कौन–कौन सी फसलें बोई जा सकेंगी और कितनी उपज की अपेक्षा है? इसी सिलसिले में फसलों की अदला–बदली का सिद्धान्त भी समझा सकेंगे।
- साल भर के काम के लिए कितनी बीज और रोपों की जरूरत होगी।
- कितने औजार और कितने बैलों की आवश्यकता होगी?
- खेती की ऊपज को जमा करने का क्या प्रबन्ध है? उपज को बेचने अथवा उपयोग में लाने का क्या प्रबन्ध है?

(3) खेती

खेती–बागवानी के काम के साथ–साथ नीचे लिखे उद्योगों का निकट संबंध है। इनमें चुनकर जितने उद्योगों के लिए सुविधा हो, उतने स्कूल के कार्यक्रम में शामिल किये जाएं।

- मुर्गी पालान।
- भेड़ और बकरियां पालन।
- मधुमक्खी–पालन।
- गुड़ बनाना– ईख का व ताड़–खजूर का गुड़ बनाना।
- तेलघानी का काम।
- रेशम के कीड़े पालना।
- टोकरियां और रस्सियां बनाना।

(4) प्रकृति और खेती–संबंधी परम्परागत संचित ज्ञान

हिन्दुस्तान के हर एक प्रान्त में ऐसी बहुत–सी कहावतें, लोकोक्तियां और मुहावरे हैं, जिनके द्वारा किसानों का सदियों से संचित ज्ञान हमें मिलता है। विद्यार्थी खेती–संबंधी इन कहावतों आदि को इकट्ठा करें। इससे उनके खेती–काम में सहायता मिलेगी और उनकी भाषा का भण्डार भी बढ़ेगा।

(5) साधनों का अध्ययन और उनकी हिफाजत

जितने साधन खेती के काम में लाए जाएं, उनका वैज्ञानिक ढंग से पूरा–पूरा अध्ययन करने के लिए कुछ संकेत नीचे सुझाए जाते हैं–

- साधनों की लम्बाई, चौड़ाई विभिन्न हिस्सों की आकृति, परस्पर प्रमाण।
- उनको ठीक ढंग से काम में लाने में यंत्रशास्त्र और सामान्य विज्ञान के किन–किन सिद्धान्तों का प्रयोग होता है?
- उनको तैयार करने में कौन–कौन सी वस्तुएं चाहिए? लकड़ी और धातु के प्रकार।
- उन्हें साफ कैसे किया जाए? उनसे काम न लिये जाने के समय में उनकी हिफाजत कैसे की जाए?

कक्षा छठी

(1) **जमीन** : स्थानीय जमीनों का अध्ययन– रेतीली, मटियार तथा दुमट में उगने वाली फसलों की जानकारी। जमीन में उर्वरा–शक्ति को कैसे कायम रखना। जमीन के कण और उनकी बनावट, वायुमय करने की आवश्यकता और तरीका, उपजाऊ मिट्टी और केंचुएं का उपयोग।

(2) **जमीन को समतल बनाना, बांध बनाना** : जमीन को समतल क्यों करते हैं? उर्वरा–शक्ति कायम रखना, जमीन को कटने से रोकने के उपाय, सिंचाई की योजना और मेड़ें बनाना, आकर्षण शक्ति का सिद्धान्त।

(3) **जमीन तैयार करना** : इसको तैयार करने में स्थानीय साधनों का इस्तेमाल–रम्बे का इस्तेमाल, इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? मिट्टी का ढोंका–मिट्टी के ढेले तोड़ने में इसका उपयोग, क्योंकि और कैसे? साधनों का शास्त्रीय उपयोग और काम करते समय शरीर का उचित स्थिति में रखना।

(4) **खाद** : खाद बनाना। खाद–वनस्पति का आहार। खादों के नमूने–सजीव खाद, उसका मूल्य और मुख्यता। शास्त्रीय ढंग से सोन खाद तैयार करना (सफाई के शिक्षाक्रम के अनुसार) खाई–पाखाना, हरी खाद के लिए स्थानीय उपर्युक्त फसलें, जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए फलीदार पौधों का उपयोग। मेड़ें बनाना, नालियां बनाना, बीजों को ढंकना ताकि पक्षी चुग न लें और बीज का दीमक आदि शत्रुओं से बचाव रहे।

बीज का अध्ययन : बनावट, नर, मादा और द्विलिंगी पुष्प, फसल और इसका सिद्धान्त जमीन की उपज बढ़ाने में मधुमक्खी, कीड़े–मकोड़ों व हवा का काम। बीज के अंग–गर्भ और गर्भदल, एकदल और बहुदल, अच्छे और खराब बीज। अंखुवे फूटना– इस क्रिया का निरीक्षण। सामान्य अनाजों, भाजियों या फलों के बीज फूटने में कितना समय लगता है? बीजों के अंखुवे फूटने की क्रिया में नमी, उष्णता, हवा और समय की भूमिका।

(6) **पानी देना** : पानी के उद्‌गम स्थान– बारिश, नहरें, नदियों और कुएं, पानी हाथ से खींचने के तरीके और साधन– बाल्टी, पानी के हौज, पानी की नालियां। पानी के इकट्ठा होने से पौधों को नुकसान– पानी के निकास के साधारण तरीके, वनस्पति की उपज में पानी का काम– जड़ें पानी में घुले हुए आहार पदार्थों को कैसे खींच लेती हैं? केशाकर्षण क्रिया। नमी को बनाए रखने में हवा का उपयोग। पौधों को ढांकना–पत्ते, घास, भूसा, इनका उपयोग।

(7) **निकाई** : खेत–पतवार जमीन की शक्ति को कैसे कम कर देता है? खेती में बीमारी जैसे फफूंदी आदि लगना। निकाई के अब तक सीखे हुए तरीकों को अभ्यास करना। निकाई का समय और साधन तथा निकाली हुई घास

आदि का जानवरों के चारे आदि के रूप में उपयोग। इसे कब जला देना चाहिए? क्यों? स्थानीय खर–पतवार जिसका उपयोग आहार अथवा औषधि के रूप में होता हो।

(8) **महामारी** : महामारी का निरोध (पेस्ट कन्ट्रोल)।

(क) **प्राणियों से बचाना** : हिरण, साही, सूअर, बंदर, चूहा आदि।

- बाड़ बनाना, स्थानीय तरीके, बाड़ में वृक्षों का उपयोग, झाड़ियों की टहनियों से घेरना, उसके लिए उपर्युक्त पौधे तथा वृक्ष, यह करते समय हरी खाद, ईंधन, काम की लकड़ी का प्रबन्ध, इसमें हानि। जड़ का खेती में फैलकर फसल की हानि पहुंचना, प्रकाश का रोकना, कीड़ों–मकोड़ों के रहने का स्थान बनाना, छांटना।

(ख) **विषकारक कीड़े** : गोबरीला, झींगा को पहचानना और उससे होने वाली बीमारी को समझना।

(ग) **बीमारियों की पहचान** : बीमार अंग का नाश, कीड़े–मकोड़ों को मारने की दवाई, कृमि–नाशक दवाई तथा प्रयोग, मिट्टी का तेल, कच्चा तेल, तम्बाकू का मिश्रण, मछली के तेल का साबुन, गंधक, चूना।

(घ) वनस्पति के आहार का उचित प्रबन्ध, उसकी प्रमुखता ताकि निरोधक शक्ति बढ़ सके।

(9) **फसल की रक्षा** : ढांकना, क्यों और कैसे?

आधार बनाना, लता के ऊपर चढ़ाने के तरीके, विभिन्न प्रकार के पौधों को चढ़ाने के विभिन्न तरीके। कटनी : कारण और तरीके, उपर्युक्त समय और विधि। काटने के भाग। कटे हुए भाग की मिश्रित खाद, जलाने व पशुओं को खिलाने में उपयोग।

(10) **अनाज काटना** : अनाज और फलों के पकने की पहचान। कब और कैसे काटना (वर्तमान और भविष्य के इस्तेमाल के लिए) अनाज काटने में सुरक्षा। इकट्ठा करना।

(11) **एकत्रित करना तथा बचाना** : भाजी तथा फलों को सुरक्षित रखने के तरीके और साधन। आगामी फसल के लिए बीज चुनकर सुरक्षित रखना।

(12) **हिसाब** : (खाता और बिक्री के प्रबन्ध)

स्थानीय बाजार की स्थिति और आवश्यकता। बाहर के बाजारों में, मेले या त्यौहारों के अवसर पर बेचना और हिसाब रखना।

कक्षा सातवीं

(1) **मिट्टी** : जमीन की बनावट– बड़ी–बड़ी चट्टानों पर हवा, पानी और धूप के प्रभाव से जमीन का बनाना। जमीन में खनिज पदार्थ– चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, उनकी प्रमुखता। हरी खाद या घरेलू खाद से बालूवाली जमीन का सुधार।

(2) **जमीन** : जमीन को समतल बनाना और बांधना। छठी कक्षा के शिक्षाक्रम को जारी रखना।

बांध के लिए उचित मिट्टी। संलग्नता, घास का उपयोग, आकार, नहर और नाली के बांध। ताड़–वृक्ष की उपयोगिता। जमीन के कटाव को रोकना। हिन्दुस्तान के प्राकृतिक लक्षणों की पहचान।

(3) **जमीन तैयार करना** : खुश्क जमीन में हल चलाना, कब, कैसे और क्यों? हल और उसके अंगों का शास्त्रीय अध्ययन, बनावट। प्रयोग में लाए गए सामान की जानकारी, विविध हलों

की पहचान, जमीन की स्थिति के अनुसार उसकी यांत्रिक निपुणता। मिट्टी को तोड़ना, जमीन, आबोहवा, पारस्परिक प्रभाव, पौधों की खूंटी निकाल कर उसको जलाने या पशुओं की खुराक के रूप में उपयोग करना।

(4) **खाद बनाना तथा उसकी सुरक्षा के तरीके** पेशाब के प्रकार, खाद का रासायनिक संगठन–विघटन, उष्णता पैदा होना, अच्छी खाद की पहचान, ताजा और गरम इस्तेमाल करने से हानि। इतर खाद– हड्डी की खाद व उसके संघटन। हड्डी को धान के भूसे के साथ जलाना। मछली की हड्डी की खाद। मल–मूत्र का उपयोग। खाद या बिना खाद के पौधे–अलग–अलग पौधों के लिए अलग–अलग खाद का प्रबन्ध।

(5) **पौधा लगाना** : छठी कक्षा के फलन के शिक्षाक्रम को जारी रखना। चूसनेवाले पौधे और उनकी पहचान, उन्हें अलग करना। कन्द को काटना और लगाना, आंख से उगाना, फलना और फूलना। सब क्रियाओं में जीवनशास्त्र के सिद्धान्त। रोप लगाना किस पौधे के लिए उपयोगी है और किसके लिए हानिकारक है? ठीक से पौधे लगाने की आवश्यकता और क्यों? पौधे की छंटाई–कब और कैसे?

(6) **पानी देना** : जो पानी मिलता है, उसका रासायनिक विश्लेषण जड़ और कच्चा पानी–जमीन के अंदर के गन्धक और नमक के तत्वों को शुद्ध करने के लिए चूने का प्रयोग।

वर्षा के पानी से व कुएं से सिंचाई– वैसी जगह जिलों में, प्रान्त में व हिन्दुस्तान में जहां हर एक तरह से सिंचाई होती है। हर एक तरह की जमीन के लिए उपयुक्त फसलें, पानी सींचने के तरीके, क्या–क्या वस्तुएं लगाई गई हैं? डण्डी और तराजू, आलम्ब और छूरे का सिद्धान्त। बैल की शक्ति का प्रयोग। सीधी और घेरे की गोलाई में बैल की गति यांत्रिक निपुणता में सहायक होती है। रहट की किस्में।

(7) **निकाई** : जैसे कक्षा छठी में बताया है। मिली–जुली जुताई से खरपतवार का निरोध–उसके निरोध के लिए उपयुक्त फसलें। स्थानीय परजीवी पौधे– परजीवी और किसी वृक्ष पर उगनेवाले पौधे– लताओं से वृक्षों की हानि।

(8) **महामारी का निरोध** : निरोध के विचार से महामारी के कारण–कीड़ों की जीवनी का साधारण अध्ययन। छत्रक (फंजाई) क्या है? छत्रक का साधारण जीवन विज्ञान, भोजन योग्य छत्रक, जैसे मशरूम। बरडुएक्स का घोल–जिंक ऑक्साइड़ व कैल्शियम कार्बोनेट से घोल तैयार करना– लोहे के कील से उसके ठीक होने की जांच करना व उसमें होने वाली रासायनिक प्रक्रिया। जहरीले कृमिनाशक घोल–विष और पेट के विष संयोग–सीसे और लोहे की बनी कृमिनाशक औषधियों का प्रयोग, बनावट, प्रयोग और प्रयोग करते समय सावधानी। सूखा और पानी में मिलाकर छिड़कना–छिड़कने वाली मशीन के इस्तेमाल के तरीके। हल्के फंदे, उनका बनाना और उनका उपयोग। पौधे के खराब हिस्से जलाना।

(9) **अनाज काटना और जमा करना** : (छठी कक्षा की तरह) दाना निकालना–साधारण स्थानीय तरीकों से गहराई के लिए जमीन तैयार करना और जमीन गहरी करने में पशुओं

का उपयोग। ओसाना, इसके लिए स्थानीय सूप का प्रयोग। सूप के बनाने के लिए कौन–कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं? सूप बनाना और इन्हें इस्तेमाल करना। बीज को सुखाना–इसका महत्व। जमा की हुई चीजों पर गर्मी और नमी का असर। जमा करना– विभिन्न प्रकार के अनाजों को जमा करने के लिए अच्छे तरीके।

(10) **बिक्री** : (छठी कक्षा की तरह) साथ–साथ अनाजों को साफ करना और परिणाम व किस्म के मुताबिक उसका वर्गीकरण। सहकारी तरीके पर बिक्री का प्रबन्ध और मांग की पूर्ति करना। विभिन्न प्रकार के अनाजों और साधनों को ध्यान में रखते हुए बारदाना को ठीक प्रकार के बोरियों आदि से भरना।

(11) **पशु संवर्धन विज्ञान** : खेत में काम करने वाले पशुओं की देखभाल, उनके रहने–सहने, खान–पान और दैनिक कार्यों संबंधी देख–भाल।

कक्षा आठवीं

(1) **मिट्टी** : भारत का भूगर्भ–शास्त्रिक मानचित्र। विभिन्न क्षेत्रों के चट्टानें और मिट्टियां, क्षारमय जमीन व अधिक नमक के अंशवाली जमीनें, हानिकारक तत्वों को समाप्त करने के लिए कौन–से साधन प्रयोग में लाएं? जमीन से इस प्रकार के तत्वों के नाश के लिए इसमें हरी व विभिन्न प्रकार की खादें मिलाना।

(2) **जमीन को समतल बनाना और बांध बांधना** छठे और सातवें दर्जे का काम जारी रखा जाए। लकड़ी के सोहागे और जमीन को समतल बनाने वाले दूसरे उपकरणों का अध्ययन और इस्तेमाल, इसके लिए उपयुक्त लकड़ी और इन उपकरणों को सम बनाए रखने के तरीके।

(3) **जमीन तैयार करना** : उर्वरा–शक्तिशाली जमीन में हल चलाना। हल की परिष्कृत किस्में। शक्ति का संतुलन। हल चलाने के पहले जमीन में हरी खाद व दूसरी खादें मिलाना, हल की ठीक गहराई, जमीन की ऊपरी सतह और निचली सतहों के गुण–धर्म व उनकी अंतर क्रियाएं। हल चलाने में कला का उपयोग। सीधे चलाए गए हलों में सुन्दरता। प्रयोग में आने वाले हलों (हल का निचला हिस्सा जो जमीन को काटता है) की किस्में।

(4) **खाद देना** : छठी और सातवीं कक्षा के काम को जारी रखा जाए। मिट्टी का विश्लेषण, इसमें विभिन्न तत्वों की कमी और इनकी पूर्ति के लिए निर्जीव खादों का उपयोग (1) नाइट्रोजनयुक्त खादें (2) फास्फोरस वाली खादें और (3) क्षारमय खादें– पौधे की बढ़ोतरी पर इसका प्रभाव और पैदावार पर इसके इस्तेमाल का असर। इन निर्जीव खाद को खास मौकों पर ही प्रयोग में लाया जाए, इसके अधिक इस्तेमाल के खाद उत्पादक कीटाणुओं को नुकसान और प्राकृतिक रीति से पैदा होने वाले नत्रजन (नाइट्रोजन) में रूकावट। निर्जीव खाद केवल उपयुक्त सजीव खादों के साथ मिलकर ही इस्तेमाल किया जाए।

(5) **पौधों का लगाना उनका विकास** : मिट्टी, कलम बांधने और पैबन्द लगाने के समय पौधों का विकास व किस्मों में उन्नति। कलम लगाने के कारण और उसमें काम आने वाले जीवाणुशास्त्र के सिद्धान्त। पैबन्द लगाए गए वृक्षों की देखभाल, गीली फसलें जैसे धान और 'रागी' आदि के पौधे लगाना।

(6) **पानी देना** : पवन चक्की और पम्प के यांत्रिक सिद्धान्त। पंखे का चलाना और स्क्रू का

सिद्धान्त। हवा का शक्ति–उत्पादन के प्राकृतिक साधन के तौर पर अध्ययन–हवा और पानी की शक्ति से बिजली पैदा करना। भारत और दुनिया के पानी से बिजली बनाने वाले विद्युत–केन्द्र, उनसे लाभ व हानि। सिंचाई का इतिहास और सभ्यता के विकास में नदियों का स्थान। कुएं और नदियों आदि की पूजा।

(7) **निकाई और महामारी का निरोध** : छठे और सातवीं कक्षा का कार्यक्रम जारी रखा जाए। वैसे खर–पतवार, जिनकी निकाई अधिक मुश्किल है– कुछ बाहरी खर–पतवार और महामारियां जिनका 'प्राकृतिक शत्रु' कोई नहीं। कमी और बढ़ोतरी को बराबर रखने से प्राकृति के साधन।

(8) **फसलों की हिफाजत** : पहली कक्षा के काम को जारी रखा जाए व आगे बढ़ाया जाए।

(9) **फसलों को काटना, जमा करना व उन्हें सुरक्षित रखना** : चारा, भूसा और दाल के छिलकों का पशुओं के भोजन के रूप में, छत डालने, बाड़ लगाने और झाड़ू बनाने में उपयोग। घास का ढेर लगाना। फालतू सब्जियों या फलों को अचार डालकर, जैम या मुरब्बा आदि बनाकर तथा डब्बों में बंद करके सुरक्षित रखना, इन क्रियाओं में काम आने वाले रासायनिक सिद्धान्त। दूसरे मौसमों में इस्तेमाल करने के लए व लाभदायक व्यापार के लिए इन फालतू पदार्थों को सुरक्षित करने का महत्व।

(10) **वृक्ष और जंगल** : बारिश होने और मौसम की तब्दीली होने में इनका महत्व। मिट्टी को उपजाऊ बनाना, बाढ़ों को रोकने व घरेलू औद्योगिक तथा खेती से संबंधित कामों में प्रयोग की जानेवाली लकड़ी की प्राप्ति में इनका महत्व। जंगलों की देखभाल व इसको सुरक्षित रखना–स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस अनुपात में जंगल के लिए जमीन छोड़ी जानी चाहिए? विशेष काम में आने वाले वृक्ष व सुन्दरता के लिए लगाए जाने वाले वृक्ष। वृक्षों की पूजा, सामाजिक कर्तव्य के तौर पर वृक्ष लगाना व फलदार व छायावाले पेड़।

(11) **पशु–संवर्धन विज्ञान** : सातवें दर्जे के काम को जारी रखा जाए।

पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री हमने नई तालीम समिति सेवाग्राम वर्धा द्वारा प्रकाशित 'समग्र नई तालीम' से साभार प्रस्तुत की है। इस पुस्तक के लेखक शिवदत्त मिश्र हैं। इसमें हमने मामूली संपादन किया है।

अगले अंक में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या हो इस पर हम मसौदा प्रस्तुत करेंगे।

बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में से हम आज कौनसे पहलुओं को अपना सकते हैं? कौनसे पहलू ऐसे हैं जो आज प्रासंगिक नहीं हैं?

क्या आप हमें सुझा सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा का कक्षावार पाठ्यक्रम क्या हो? आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बेबाक राय दें।

संपादक

रिपोर्ट

बेहतर शिक्षा यानेकि...

डाइट्स, आईएएसई के संकाय सदस्यों के साथ विमर्श

के. आर. शर्मा

दिनांक 30 एवं 31 अगस्त 2007 को विद्या भवन आईएएसई में ''आज के सदंर्भ में बुनियादी शिक्षा की प्रासंगिकता'' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उदयपुर संभाग की डाइट के व्याख्याताओं और आईएएसई के संकाय सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यशाला की शुरूआत इस चर्चा के साथ प्रारंभ हुई कि यदि हम बेहतर शिक्षा की ही बात करते हैं तो आज भी बुनियादी तालीम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। दरअसल गांधी की शिक्षा योजना का विचार लगातार विकसित होने वाला विचार है। यदि हम शिक्षा नीतियों पर नज़र डालें तो गांधी के विचारों को उन नीतियों में हमेशा याद किया जाता रहा है।

गांधी ने बुनियादी शिक्षा में जिन तत्वों का समावेश किया था वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पूर्व में थे।

- काम केन्द्रित शिक्षा की स्थापना। काम ऐसा जो उत्पादक से जुड़ा हो, सृजनात्मकता का विकास करें। काम के माध्यम से ज्ञान का सृजन हो।
- शिक्षा मातृभाषा में हो।
- शिक्षा अपने परिवेश से जुड़े। शिक्षा में समाज की भागीदारी।
- आकलन प्रतिस्पर्धा रहित हो।

चाहे कोठारी आयोग की बात करें या राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की, इनमें उपरोक्त बातों का समावेश किया जाता रहा है। विडंबना की बात यह है कि काम के माध्यम से ज्ञान के सृजन को दरकिनार करके पाठ्यपुस्तकीय अध्याय तैयार कर उनको कक्षा की चहारदीवारी में पढ़ाया जाता है। काम के शिक्षाशास्त्रीय पहलुओं पर अब तक काफी शोध हो चुके हैं। और दुनिया भर के शिक्षा से जुड़े इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिदंगी से जुड़े हुए कामों को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। बच्चों में हाथ, दिमाग और दिल का तालमेल बिठाने के लिए काम बेहद जरूरी है। अपने परिवेश, समाज से शिक्षा को जोड़ने के बजाए उससे जुदा कर दिया गया। आज जब हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं तो गांधी के उपरोक्त विचार ही सामने आते हैं। यही कारण है कि विद्या भवन विगत 9–10 वर्षों से बुनियादी शिक्षा को आज के संदर्भ में अपनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

इस प्रकार के काफी अध्ययन हुए हैं कि बच्चों को जब अपने परिवेश से जोड़कर शिक्षा दी जाती है तो वे बेहतरी से सीखते हैं। मातृभाषा में शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि बाकी भाषाओं का विरोध करें। यह कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

गांधी के विचारों को 2005 की शिक्षा नीति में भी काफी प्रभावशाली ढंग से शामिल किया गया है।

मूल मुद्दा यह है कि इन विचारों को मैदानी स्तर

पर कैसे क्रियान्वित करें। इस पर हम गहराई से विचार करें।

इस चर्चा के उपरांत समस्त सहभागियों को विमर्श के लिए तीन समूहों में बांट दिया गया। समूहों ने जो चर्चा की उसका सार कुछ इस प्रकार है–

बुनियादी शिक्षा के विचारों को स्थापित करने का मतलब शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना नही है। बच्चों को काम करने के लिए प्रेरित करना होगा। हालांकि एसयूपीडब्लू का कार्यक्रम स्कूलों में चलाया जाता है मगर यह इतना प्रभावशाली नहीं बन पाया है।

इस पर चर्चा हुई कि हम किसको काम मानें। काम का मतलब जिसमें बच्चे के हाथों का समावेश हो और काम के माध्यम से बच्चा या बच्ची ज्ञान का अर्जन कर सके। काम के प्रकारों पर भी समूहों में चर्चा हुई। स्कूल के समस्त कार्यों में बच्चों की भागीदारी की जाए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि काम के प्रति बच्चों में सम्मान पैदा हो। काम का मतलब यह भी है कि बच्चे विज्ञान में प्रयोग करें, नदी, तालाब, जंगल, खेत, बगीचे में सैर पर जाएं, सर्वे करें और इनका विश्लेषण कर ज्ञान अर्जन करें। स्कूल में पौधे उगाएं, स्थानीय सामग्री से मॉडल बनाएं। एक समूह ने काम केन्द्रित शिक्षा के संदर्भ में जो कहा वह हुबहू यहां प्रस्तुत हैं–

''स्थानीय परिवेश में बच्चे की इच्छानुसार काम करने का मौका प्रदान किया जाए तो उसकी सृजनात्मकता उभर कर समाने आ सकती है। कार्य करने से बालक को समाज में अपना महत्व समझ में आएगा। उसे लगेगा कि वह समाज का महत्वपूर्ण अंग है।''

मातृभाषा को लेकर अलग–अलग समूहों में जो विमर्श हुआ उससे स्पष्ट तौर पर यह बात सामने आई कि अपने परिवेश में बोली जा रही भाषा को बच्चा या बच्ची आसानी से सीख लेता है। इसी भाषा में वह अपने भावों को बेहतरी से व्यक्त कर सकती है। बच्चे के विचारों के बनने की प्रक्रिया में मातृभाषा की अहम भूमिका होती है। इसलिए यह जरूरी है कि स्कूली शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। यह तथ्य सिद्ध हो गया है कि एक छोटा बच्चा कई भाषा सीख सकता है। इसलिए उसको अन्य भाषाओं का ज्ञान कराने से हमे परहेज नहीं करना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा को लेकर हमारे संविधान में भी काफी स्पष्टता से कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद ''350 अ'' कहता है कि किसी भी भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे को प्राथमिक स्तर तक अपनी मातृभाषा के जरिए सीखने का अधिकार है। अगर यह सुविधा राज्य सरकार बच्चे को उपलब्ध नहीं करा रही हो तो भारत का राष्ट्रपति राज्य सरकार को इसके लिए निर्देशित कर सकता है। मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए भारतीय संविधान में यह एक मात्र अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को एक्ज्यूकेटिव अधिकार देता है।

बच्चों को स्कूल में बंद कमरों में शिक्षा देने के बजाय अपने परिवेश से जोड़ा जाए। खासकर पर्यावरण में ऐसे अवसर काफी होते हैं। मगर पर्यावरण अध्ययन की रचना इस प्रकार से की गई है कि कक्षा के बाहर बच्चों की पहुंच नहीं बन पाती। परिवार, समाज से सीखने के बजाय इनसे संबंधित जानकारियां रटने को मजबूर होते हैं बच्चे। ऐसे पाठ्यक्रम की रचना जरूरी है जो परिवार और समाज से बच्चों को जोड़ सके।

वर्तमान शिक्षा पद्धति परीक्षा केन्द्रित है। परीक्षा का खौफ हर स्तर पर है। इस कारण न तो छात्र सहज पर रह पाते हैं न ही शिक्षक और अभिभावक। परीक्षा ऐसी हो जो बच्चों की क्षमताओं और कौशलों की जांच कर सके।

इस कार्यशाला का अगला कदम क्या हो? इस पर विचार किया गया और यह तय किया गया कि डाइट के साथी अपने संस्थान में इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे।

के. आर. शर्मा, बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश की संपादन प्रक्रिया में संलग्न।

रिपोर्ट

शिक्षकों के साथ काम केंद्रित शिक्षा की एक कार्यशाला

भाग चन्द्र कुमावत

बुनियादी शिक्षा के विचार के व्यापीकरण की दिशा में विद्या भवन बुनियादी शिक्षा संदर्भ केन्द्र के आस–पास स्थित सरकारी व निजी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए दिनांक 10–11 अक्टूबर 2007 को 'काम केन्द्रित शिक्षा' पर दो दिन की कार्यशाला विद्या भवन पॉलिटेक्निक संस्था में गई। इस कार्यशाला में 16 विद्यालयों के 32 शिक्षकों और पॉलिटेक्निक संस्था के संकाय के 10 सदस्यों ने भागीदारी की। कार्यशाला में विद्या भवन आईएएसई संस्था के प्राचार्य एम.पी. शर्मा, विद्या भवन पॉलिटेक्निक के प्राचार्य जे.पी. श्रीमाली, कृषि विज्ञान केन्द्र से आनन्द सिंह जोधा, बुनियादी शिक्षा संदर्भ से भाग चन्द्र कुमावत तथा शकुन्तला कुमावत ने संदर्भ व्यक्ति के रूप में सहभागिता की।

कार्यशाला के प्रथम दिन प्रथम सत्र में बुनियादी शिक्षा दर्शन और उसके आयामों पर विचार मंथन किया गया। इसके बाद आज के संदर्भ में बुनियादी शिक्षा की प्रासंगिकता पर चर्चा की गई।

दूसरे सत्र में 'काम और शिक्षा' के संदर्भ में संभागियों के साथ चर्चा की गई। इस चर्चा में मौजूदा विद्यालयी परिस्थितियों में कौन–कौन से काम स्कूल में किए जा सकते हैं? उन्हें हम कैसे पाठ्य वस्तु की सामग्री से जोड़कर बच्चों में ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। हाथों के कामों को विद्यालयों में करने में क्या–क्या दिक्कतें आ सकती हैं विचार किया गया।

कार्यशाला के प्रथम दिन के तीसरे और चौथे सत्र में संभागी शिक्षकों को हाथ के काम का अनुभव देने के लिए उन्हें पॉलिटेक्निक संस्था में विद्युत कार्यशाला सुथारी और नल फिटिंग कार्यशाला में इन कामों का कुछ काम सिखाया गया।

कार्यशाला के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में संभागी शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा की अवधारणा को समझने और उसके मुख्य तत्वों को अंगीकार करने के संदर्भ में पठन सामग्री पढ़ने के लिए दी गई। सामग्री पर चार समूहों में चर्चाएं की गई।

चर्चा के बाद दूसरे सत्र में ''बुनियादी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्त'' या बातें क्या–क्या हैं? तथा इन सिद्धान्तों को विद्यालय में मूर्तरूप देने के लिए अथवा इनको अपनाने के लिए क्या–क्या कार्य करेंगे इस पर समूहवार प्रस्तुतीकरण किया गया। यह प्रस्तुतीकरण बच्चों को सीखने–सिखाने के संदर्भ में मुख्य रूप से चार सवालों पर केन्द्रित रहा। प्रथम, विद्यालय की परिस्थिति में बच्चों को काम करने के मौके, दूसरा मातृ भाषा व भाषा का मसला तीसरा, शिक्षण की प्रक्रिया में स्थानीय परिवेश, समाज और बच्चों के अनुभवों का जुड़ाव तथा चौथा, मूल्यांकन या आंकलन करना।

तीसरे सत्र में संभागी शिक्षकों को बागवानी के काम का अनुभव देने के लिए विद्या भवन कृषि विज्ञान केन्द्र की विजिट कराई गई। वहां संभागी शिक्षकों को उनके विद्यालय में बागवानी के संदर्भ में बच्चों के द्वारा हाथों से क्या–क्या काम किए जा सकते हैं पर चर्चा की गई। साथ ही पेड़–पौधे व नर्सरी तैयार करने के बारे में प्रदर्शन कार्य किया गया।

कार्यशाला के दूसरे दिन के अन्तिम सत्र में संभागियों ने बुनियादी शिक्षा के बारे में क्या समझा, क्या सीखा तथा कार्यशाला के संदर्भ में उनके सुझाव पर लेखन कार्य किया। संभागी शिक्षकों ने कार्यशाला के समापन पर अपने अनुभवों का प्रस्तुतीकरण किया।

भाग चन्द्र कुमावत, बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश परियोजना में संलग्न।

यह एक स्थापित तथ्य है कि 'वास्तविक सीखना' क्रिया 'करने' से ही संभव है। क्रिया करने में हमारी पांच ज्ञानेन्द्रियां माध्यम बनती हैं। ये ज्ञानेन्द्रियां ही बाहरी दुनिया के साथ–साथ हमारी आंतरिक शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। स्वयं ही प्रतिभाओं, क्षमताओं को पहचानने तथा अपनी भावनाओं एवं विचारों के आदान–प्रदान की प्रक्रिया में ज्ञानेन्द्रियां सहायक हैं। इसलिए सीखने की वही प्रक्रियाएं ज्यादा कामयाब होंगी जिनमें ज्ञानेन्द्रियों का अधिकतम उपयोग हो।

सीखने में श्रम का सच

प्रतापमल देवपुरा

जीवन में सीखने को श्रम से अलग नहीं माना जा सकता। दोनों ही जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। श्रम से ही बच्चों का शेष दुनिया से रिश्ता बनता है। उस रिश्ते से बच्चों में एक विश्वास, हुनर, और सृजनात्मक विकसित होती है। जिन पारिवारिक कार्यों में बच्चे हाथ बंटाते हैं वे उनकी जिन्दगी जीने का स्त्रोत बनते है। श्रम न तो बच्चों का बचपन छिनता है और न ही उन्हें सीखने से वंचित रखता है। क्योंकि बच्चा तो अपने वातावरण में इन्द्रियों की मदद से स्वाभाविक रूप से सीखता हैं। श्रम शरीर को भावनाओं, विचारों व दर्शन से जोड़ने में मदद करता है। क्योंकि इसमें परिवेश व स्वयं से जुड़ाव महसूस होता हैं। जब श्रम हमारे शरीर, मन व हृदय से जुड़ता है, तो उससे स्वतः जिज्ञासा बढ़ती है और वह बच्चे को सृजन की ओर प्रेरित करता है।

श्रम मनुष्य की मूल गतिविधि है। इसी के माध्यम से वह अपनी सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी से उसे आध्यत्मिक संतोष मिलता है। उसमें अन्तर्निहित शक्तियों का विकास संभव होता है जिससे वह स्वयं के जीवन के सम्पूर्ण आनन्द को महसूस करता है और सामाजिक जरूरतों की पूर्ति भी कर सकता है। जब इंसान किसी सामग्री का उपयोग करते हुए कोई उसे आकार प्रदान करके जीवनोपयोगी बनाता है तो उसकी भूमिका एक सृजक की बन जाती है, और वह स्वावलम्बी बनने की राह पर अग्रसर हो जाता है।

कुम्हारी का काम करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है। उपयुक्त ढंग की मिट्टी छांटना, उसे पानी से गीला करके ठीक से मिलाना, चाक को घुमाकर मिट्टी को अंगुलियों एवं हथेली के सहारे सुडोल आकार देकर बर्तन

संघर्ष बनाम सीखना

मुझें कहीं पर पढ़ी एक घटना याद आ रही हैं जिसे यहां उदृत करना ठीक रहेगा।

एक बूढ़ा आदमी कृमिकोष (जिसमें कीड़ा पाला जाता है) बेचता था। उसे एक छोटा बालक हमेशा दूर बैठकर ध्यान से देखता रहता था। बालक सोचता कि आखिर उस बूढ़े बाबा के पास क्या चीज़ है? बालक की जिज्ञासा देखकर एक दिन बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और यह कोष दिखाते हुए पूछा ''क्या तुम जानते हो, इसके अंदर क्या है? बच्चे ने जवाब दिया ''नहीं, मैं नहीं जानता।'' तब बूढ़े ने कहा, ''मैं तुम्हें एक कोष देता हूं ताकि तुम खुद ही जान सको, लेकिन ध्यान रहे कि जब तक इससे स्वतः ही कुछ बाहर नहीं आता, तब तक तुम इसे छेड़ना मत।''

बालक बहुत आनंदित हुआ। उसे जल्दी से अपने घर ले गया और जमीन पर रख दिया। अब वह रोज उस चीज के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसकी देखभाल करते–करते बालक को उस कोष के साथ बहुत लगाव हो गया। जैसे–जैसे दिन बीतते जाते उस अपरिचित चीज के बारे में बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती जाती। कुछ दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि उस कोष में कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। उसे महसूस हुआ कि कोई कीड़ा है। बालक को लगा कि उस कारागार जैसी कठोर दीवार से बाहर आते–आते उस कीड़े के तो प्राण ही निकल जाएंगे। बालक से यह सहा नहीं गया और मदद करने की कोशिश में चाकू लेकर उस कोष को खोल दिया। खोलते ही उसमें से एक लसलसा भूरे रंग का बदसूरत सा कीड़ा बाहर निकला और तुरन्त ही मर गया।

जैसे ही बूढ़े बाबा को पता चला, उसने बालक को बताया कि वह कीड़ा तितली था। उसके पंखों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में वह कोष की दीवारों पर अपने पंखों को जोर–जोर से रगड़ता है। इस रगड़ या फड़फड़ाने की प्रक्रिया से उसके पंख पूरी खूबसूरती और मजबूती हासिल कर पाते है। जैसे ही उसके बाहर आने के संघर्ष को रोका गया, उसके जीवित रहने की संभावना को ही खत्म कर दिया गया।

उस बालक की तरह हम अभिभावक या शिक्षक बच्चों की विकास प्रक्रिया में उनके जीवन–संघर्ष को छीनें नहीं उन्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को मजबूत बनाने से रोकें नहीं। उन्हें संघर्ष से ही सीखने को मौका प्रदान करें, ताकि वे पूर्ण व खूबसूरत इंसान बन सकें। विकास का अर्थ केवल बुद्धि के विकास से नहीं, बच्चों के समग्र विकास से है और वह सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब बच्चे की आंतरिक एंव बाह्य सभी शक्तियों का संतुलित विकास हो।

बनाना, उन्हें सुखाना फिर आग में पकाना, रंग देकर आकर्षक बनाना, ग्राहक को बेचना, आमदनी से घर परिवार का निर्वाह करना। इस सारी प्रक्रिया में सीखने के अनगिनित अवसर मौजूद रहते हैं। जब बच्चा प्रतिदिन घर में होने वाली प्रक्रिया से जुड़ा रहता है तब वह भी एक दिन कुशल कारीगर बन जाता है। जो इससे दूर रहता है वह जीवन में कभी भी सीख नहीं सकता। एक नहीं ऐसे हज़ारों काम हैं जिन्हें परिवेश में सम्पन्न किया जाता हैं कृषि, पशुपालन, सुथारी, लुहारी, बढ़ईगिरी आदि जिन्हें प्रकृति की पाठशाला में सीखकर हजारों हजार पीढ़ियों ने इंसान के लिए सीखने के अवसरों के साथ ही उसके जीवन निर्वाह का आधार बनाया है। इनसे बच्चों को दूर रखना उचित नहीं हैं। यदि घर से भी अधिक अनुभव कहीं और मिल सकता है तो वह मौका अवश्य देवें। परन्तु जो कुछ उसके आस–पास में है उससे वंचित न करें। बच्चे की अन्तर्दृष्टि का विकास अनुभव करने या प्रायोगिक प्रक्रियाओं से ही संभव है। पैतृक व्यवसाय और गृहविज्ञान का अधिकतर प्रशिक्षण तो बच्चे घर–परिवार में ही लेते हैं। पिता के साथ खेत में काम करना, सीखना नहीं है तो ओर क्या है?

किसान अपना काम करते हुए पशुधन के साथ आपसी अंतर–निर्भरता व प्रकृति के साथ निरन्तर जुड़ाव बनाए रखता है। इससे नए–नए सृजन व सीखने के रास्ते खुलते जाते हैं। इस प्रकार अनुभवों से वह अपने गीतों, कहावतों, पहेलियों, मुहावरों और कहानियों को बनाते रहते हैं। गांवों में जो गीत गाए जाते हैं वे कभी एक समान नहीं होते। उनमें लोग सुविधानुसार नया सृजन अपनी स्थानीय विशेषताओं और गुणदोषों को देखकर करते रहते हैं। वे प्रकृति और मौसम को देखकर अपने गीतों को बनाते हैं। अपने शारीरिक श्रम की गतिविधियों में उत्सव, त्यौहारों, मेलों में इन गीतों को साथ मिलकर गाते हैं। यहां गीत है लेकिन कोई गीतकार नहीं है। यह सामूहिक सह–सृजन का आनन्द है। उनमें अपने परिवार और समाज वालों के साथ काम करते हुए एक दूसरे की कदर, लगन और सामूहिकता की समझ का भी विस्तार होता है। बपचन की इस उमर के बाद सीखने की यह तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है।

इन उदाहरणों का यह अर्थ कदापि न लगाया जाए कि नवीन ज्ञान–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को नहीं सीखना है। यदि बच्चा दीवार में कील ठोकता है, आम काटता है तो ये बातें प्रौद्योगिकी को सीखने की शुरूआत है। बच्चों के हाथ, मस्तिष्क एवं हृदय का सामंजस्य जितना अधिक होगा वे उतने ही कुशाग्र एवं कामयाब इंसान बन सकेंगे। हमारे देश की आबादी 100 करोड़ से अधिक है। उनमें से अधिकतर लोगों को अपने परिवेश में रहकर अपना निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए अपने आस–पास के तमाम क्रियाकलाप में हिस्सा लेने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना जरूरी है।

मानवाधिकारवादी बच्चे के श्रम को नकारते हैं। उनका कहना है कि यदि बच्चा श्रम करने लगेगा तो वह शिक्षा एवं मनोरंजन से वंचित हो जाएगा। बच्चा जूते पर पॉलिश न करें, होटल में बर्तन साफ न करें, गोबर न थापे, खेत–खलिहान का काम न करे। यहां मेरा प्रश्न है कि क्या काम करते–करते वह सीखता नहीं है? क्या श्रम व सीखने में विरोधाभास है? यदि इन कार्यों को बालश्रम की श्रेणी में रखकर बच्चों को इन कार्यों से दूर कर दिया जाता है तो क्या किसी ने उनके रहने, खाने, पढ़ने–लिखने और रोज़गार की व्यवस्था कर दी है? यह दावा करने वाले लोग कि बालश्रम से बच्चों का जीवन बिगड़ जाएगा। उन्होंने वास्तव में कितने बच्चों को ऐसे बालश्रम से हटाकर एक सार्थक जीवन के लिए आवश्यक भरण–पोषण, शिक्षा एवं रोज़गार की

जिम्मेदारी उठा रखी है? वह कुछ हुनर सीखकर कम से कम अपना रोजगार तो जुटा सकेगा। आप बिना सार्थक प्रतिस्थापन व्यवस्था किए उसके काम सीखने में बाधक क्यों बनते हैं?

श्रम के महत्व को नकार कर आज आधुनिक दुनिया में नकारात्मक व्यवहार के कई तरीके परोसे जाते हैं। उनमें टीवी, विडियो गेम्स, इंटरनेट के खेल व अन्य बेजान मनोरंजन के माध्यम जिनका हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना–देना नहीं है, न ही उन लोगों को बच्चों से कोई रिश्ता है जो इन माध्यमों से उनके जीवन में दखल करते हैं। क्या ये सभी नकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करते हैं? इन माध्यमों से हमें बताया जाता है कि श्रम कार्य बोझिल व थकान पैदा करने वाला होता है। यह संदेश भी दिया जाता है कि मीडिया द्वारा प्रसारित मनोरंजक कार्यक्रमों से कल्पनशीलता, सृजनात्मकता एवं बुद्धि का विकास होता है। चालबाजी की तकनीक व लुभावने दृश्यों के जरिए हमें यह महसूस कराया जाता है कि विश्व की समस्याओं के तमाम हल व जानकारियों को खोजना उनमें समाहित है। नतीजतन, उपभोग को बढ़ावा देने वाली ऐसी पीढ़ी का जन्म होता है, जिसमें चंचलता, जिज्ञासा व सीखने के प्राकृतिक तरीकों की कोई अहमियत नहीं होती है। जीवन की शुरूआत से ही मुख्यधारा पर मीडिया द्वारा हमारे मन, मस्तिष्क व शरीर पर तथा हमारे रिश्तों एवं आपसी संबंधों पर कब्जा कर लिया जाता है। बिना श्रम के बेकार बैठे रहना, एक निश्चित समय पर सीखने के लिए जाना, फिर खेलना, मन बहलाने के लिए टीवी देखना, क्या ये सब बचपन को कोई अर्थ प्रदान करते हैं?

बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल एवं शिक्षक की कल्पना की गई है। शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या प्रशिक्षण संस्थानों में दिया गया प्रशिक्षण देश की मिट्टी से उपजा है? क्या हमने विषयवस्तु, शिक्षण तकनीक को देशकाल व परिस्थितियों के अनुकूल ढाला है? क्या हमारे शोधकर्त्ताओं ने हमारी शिक्षण व्यवस्थाओं को पांच–दस वर्षों तक निरन्तर अध्ययन कर के यह पता लगाया है कि देशज विद्याएं क्या हो सकती हैं? स्कूल में सुधार करने की प्रक्रिया में असफलता का कारण यह नहीं है कि उसमें काम करने वाले खराब है। स्कूल, शिक्षक, प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण सामग्री में वृद्धि हुई है। क्या ये बातें गुणात्मकता में वृद्धि का प्रतीक है? क्या लोगों की व्यवस्था के प्रति अनास्था पैदा नहीं हुई है?

जब बच्चा श्रम के माध्यम से सीखता है तब श्रम चाहे खेती हो, लकड़ी या मिट्टी का काम हो उसे करते हुए हृदय और मस्तिष्क का पूरा सामंजस्य और उपयोग होता है। इससे एक आत्मिक सुख प्राप्त होता है। इसमें सहज रूप से समुदाय के लोगों व उनके कार्यों के प्रति आदर, प्रेम, सहयोग के भाव पैदा होते हैं। प्रकृति से जुड़ाव के कारण मन में एक नया जोश पैदा होता है वहीं कुछ नया करने के लिए भी प्रेरणा देता है। प्रकृति के साथ मिलकर जो उत्पादन हम प्राप्त करते हैं उसके एवज में यह जोश और प्रेरणा प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यही संवेदनशीलता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तभी एक जिम्मेदार, कर्मठ, गतिशील, सृजनकर्त्ता का उदय होता है।

प्रतापमल देवपुरा, 1 /सी शिवाजीनगर उदियापोल, उदयपुर राज. 313001

प्रक्षाली देसाई

कैसे करें समवाय?

'समवाय' शब्द को बुनियादी शिक्षा के शिक्षण पद्धति का आधार स्तंभ माना गया है पर 'समवाय' और अनुबंध वास्तव में कैसे घटित हो? यह एक अहम मसला है।

बापू ने एक सूत्र में कहा था ''उद्योग दोनों जरूरतें पूरी करता है'' (गुजराती–''उद्योग बेवड़ी गरज सारे छे'') प्रथम जरूरत मतलब छात्र खुद के श्रम से शिक्षा का खर्च निकाल ले, उद्योग सीखे व उत्पादन करें। दूसरी जरूरत मतलब शाला में सीखे गए उद्योग द्वारा कमाई तो कर ही ले पर वह करते हुए अनेक प्रकार के कौशलों का विकास करे व अपने व्यक्तित्व को जगाए।

गांधी जी के साथ किशोर लाल मशरूवाला ने उपरोक्त बात की पुष्टि करते हुए कहा था ''उद्योग साध्य भी है और साधन भी'' (गुजराती–उद्योग साध्य छे अने साधन पण छे)। अब हम यह देखने की कोशिश करें कि समवाय व अनुबंध के माध्यम से शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों की तैयारी क्या होनी चाहिए। वर्धा योजना में रखी तीन बातें हमें देखनी चाहिए जहां समवाय करने की संभावनाएं

बताई गई हैं।

1. औद्योगिक वातावरण

2. सामाजिक वातावरण

3. नैसर्गिक वातावरण

इन तीनों में से एक को लक्ष्य बनाकर शिक्षक को उद्योग सिखाना चाहिए व उद्योग सिखाते हुए उसमें से विषय विशेष को साथ जोड़ने की काबिलियत हासिल करनी चाहिए।

देखा जाए तो वर्तमान समय में इन तीनों स्थितियों में ज्यादा बदलाव नज़र आते हैं। बदलाव हर स्तर पर है। सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक इन तीनों को आज के संदर्भ में हमें एक–एक करके ईमानदारीपूर्वक व स्पष्टतापूर्वक जांचना होगा। आज के समयानुसार सभी स्थितियों में हमें तालमेल बिठाना होगा। शैक्षणिक अनुभव तैयार करने होंगे। छात्र की कक्षा व उम्र के लिहाज से कितना समवाय कहां पर किया जाए, यह भी ध्यान देना होगा। शैक्षणिक अनुभव (बशर्ते कोई श्रम से जुड़े हों) सुरूची पैदा कर सकें, रसप्रद और सतत् परिवर्तनशील हो, यह ध्यान रखना जरूरी होगा। जिस तरह से भूमंडलीकरण व नवपूंजीवाद का दबाव बना है उसमें अनेक सवाल समाज के व छात्र के मन में भी होंगे। ऐसे में सुचारू और योग्य अनुबंधित समवाय शिक्षण मुश्किल तो होगा पर संभावनाएं भी अपार मिल सकती हैं। पर बात यह है कि इसकी एक निश्चित रेसीपी नहीं हो सकती कि पहले छोंका फिर अन्य मसाला डाला! लीजिए यह बानगी तैयार है!

सबसे पहले हमें दिमाग से यह बात निकालनी होगी कि छात्र कारीगर या मजदूर नहीं है। शिक्षक को स्पष्ट होगा कि वह टेक्निकल या पोलिटेक्निक स्कूल का अध्यापक नहीं है।

उद्योग का जो बहुत ही मर्यादित अर्थ किया गया है और जो दायरों में कैद है, उसे भी बाहर लाना होगा। मेरा मतलब यह नहीं कि बुनियादी शिक्षण में बड़े–बड़े उद्योगों को स्थान दे दो या सिर्फ कुटीर उद्योग को ही स्थान मिले। अगर ऐसा होगा तो स्थिति और दयनीय हो जाएगी। उद्योग की बुतपरस्ती से बहार निकलेंगे तो विषयगत शिक्षण और उद्योग शिक्षण अलग नहीं दिखेगा। और वास्तव में समवाय और अनुबंध घटित होगा। उद्योग को केवल साधन के रूप में गिनेंगे तो उत्पादन व उद्योग का स्कूल अर्थ संपादित हो जाएगा। पर छात्र के व्यक्तित्व और उसके अंदर के मानवीय कौशल निखरे या दबे रहे यह पता ही नहीं चलेगा।

छात्र को उनकी गुंजाइश के हिसाब से अनुभव मिल सके इसके लिए क्षमताएं शिक्षकों को अर्जित करनी पड़ेगी। विभिन्न शैक्षिक विषय वस्तु को समाविष्ट करने वाले उद्योग से जुड़े मॉड्यूल कक्षा अनुसार तैयार करने होंगे, उसको लेकर शिक्षक प्रशिक्षण के ढांचे तैयार करने होंगे।

अभी बी.एड., एम.एड. हुए शिक्षकों को भी अनुबंध करने में पसीना आता है। वहां सरकारी योजनाओं के तहत् चलने वाले स्कूलों में सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक क्या कर पाते होंगे? शिक्षकों के प्रशिक्षण व बी.एड., एम.एड. की यांत्रिक व जड़ ढांचे वाली डिग्रियों पर भी पुनः विचार करने की जरूरत होगी।

कितनी बार 'बड़े' शिक्षाविदों ने यह भी कहा है कि अनुबंध वाली गांधी छाप पद्धति से अभ्यास क्रम पूरा नहीं होता और विषयगत क्रोनोलोजी भी स्थाई नहीं रहती। हमारे संविधान की 45 वीं कलम में 14 साल की मर्यादा में आने वाले तमाम बालकों के लिए मुफ्त, आवश्यक व सार्वत्रिक शिक्षण देने का आदेश

दिया और कहीं पर शिक्षा और कार्यानुभव जोड़ने की बात कही गई है।

प्रदर्शन पद्धति, प्रवास, प्रोजेक्ट पद्धति, प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन, दृश्य साधनों की मदद, समूह पद्धति, नाट्य पद्धति, आदि का उपयोग करके बुनियादी शिक्षण का प्रयोग ज्यादा संपन्न किया जा सकता था। छात्र को अवलोकन, अनुकरण प्रयोग, निरीक्षण, आदि की संभावना मिले, ऐसी शैक्षणिक स्थिति का निर्माण होना चाहिए था पर नहीं हो सका। इससे उल्टा उपरोक्त पद्धतियों को सतत् बहते हुए पानी जैसी न रखकर छोटे–छोटे टुकड़ों में उसे तब्दील करके यांत्रिक कर दिया व जड़ता को अपनाते हुए आवश्यक रूप से ही उसका उपयोग हुआ।

सीखना एक ऐसी बात है कि जो भी सीख रहे हैं उसकी समझ सीखने और सिखाने वाले दोनों को होनी चाहिए। समझ की परिभाषा परंपरागत रूप से देखें तो यह कि आकलन करने की है, वर्णन, विवेचन और पहचान करती है, चुनाव कर अनुवादित करती है, अवधारणाओं और ख्यालों की व्याख्या करती है। ये सारी मन की क्षमताएं हुई । वास्तविक समझ दिमाग व हाथ के कार्य द्वारा बने, इतना भर भी नहीं है। वह तो एक अनुभूति है जो हृदय की गहराई में प्रतिध्वनित होती है।

हमें काम (कार्य) और खेलकूद दो मसलों के बारे में भी ज्यादा स्पष्टतापूर्वक सोचना होगा। कई जगह पर कार्यानुभव के नाम पर काम और खेल का घालमेल होते देखा गया है। काम (कार्य) लक्ष्य केंद्रित होता है वह किस दिशा में ले जाए–कोई लक्ष्य कोई छोर! यह एक सेतु है, साधन है। कार्य या श्रम स्वयं में अर्थहीन है। अर्थ लक्ष्य में छिपा है।

खेल किसी कारण की वज़ह से नहीं खेलना होता है। खेलने के साथ अपेक्षाएं नहीं जुड़ सकती। जब कोई चाहत नहीं तो खेल स्वयं में पर्याप्त है। खेल से कुछ फल नहीं मिलता तो भी हम विचलित नहीं होते। काम और खेल में यही फर्क है। हम थोड़ा सा आगे सोचें तो जब काम करते हुए भी कोई चाह बाकी न रहे (गीता : कर्म करना तेरे हाथ में है फल की चिंता छोड़ दो) तब काम खेल बन जाता है। जब कार्य स्वयं में खेल बन जाता है तब स्पर्धा खत्म हो जाती है। जब स्पर्धा खत्म हो जाती है तब कौशल को विकसित होने का मौका मिलता है। व्यक्ति अहिंसक होता जाता है।

हम जब बी.एड. में पढ़ते थे तो किसी से घटिया व गलत अनुबंध के उदाहरण सुनाए थे उसे जरा देखें।

(1) ब्लेक बोर्ड पर शिक्षक लिखते हैं।

'कबर'

– अब इस शब्द के आगे 'अ' लगा दो।

शब्द बन गया 'अकबर'।

– अब हम अकबर बादशाह के बारे में सिखेंगे।

(2) कक्षा को बच्चों द्वारा श्रृंगारित कर दी गई है।

– कक्षा में बच्चे दिवार से सटकर बैठे हैं।

– कक्षा के बीच में टेबल पर चरखा रखा गया है। अगरबत्ती लगाई गई है।

– देखने आने वाले निरीक्षक ने पूछा''बीच में यह चरखा क्यों रखा गया है।''

– शिक्षक ने जवाब दिया, ''सर बुनियादी शिक्षण में कहा गया है कि चरखे को केन्द्र में रखकर शिक्षण कार्य करना।''

'समवाय' शिक्षण को किस प्रकार जड़तापूर्वक ग्रहण

किया गया, उसके ये दो उदाहरण हैं। संभव है जिसने मुझे यह सुनाया था उसमें ज्यादा अतिशयोक्ति हो पर समवाय शिक्षण की दशा कमोबेश यही है।

अब एक अच्छे समवाय का उदाहरण देखेंगे–

1. बच्चे मार्बल पेटिंग के ग्रीटिंग कार्ड शिक्षक के साथ बैठकर बना रहे हैं।
2. सादी ड्राईंग शीट को बच्चे नाप कर काट रहे हैं। (नापने का कौशल व नाप की समझ)
3. बच्चों का एक समूह तैल रंग लाकर रंगों के नाम लिखते हुए रंगों के डिब्बे जमा रहे हैं। (वर्गीकरण, रंगों की पहचान की समझ)
4. अंत में पानी को बर्तन में भरकर उसमें अलग–अलग रंगों के छीटे डालकर गोल घुमाते हुए रंगों को एक दूसरे में मिलते और सुंदर रचना होते हुए बच्चे देख रहे हैं। (सृजन का आनंद, काम का खेल हो जाना)
5. रंगों वाले पानी पर कागज़ की कटी हुई शीटों को रखा जा रहा है। बच्चे अपने–अपने ग्रीटिंग कार्ड की डिजाईन को बनते देखकर कौन सा रंग, किसमें घुलकर क्या पेटर्न और रंग बने हैं उसकी एक–दूसरे से तुलना कर रहे हैं।
6. यह सब करवाते हुए शिक्षक निम्न बातें भी करता है?

– तेल रंग व जल रंग में क्या अंतर है?

– क्या वज़ह है कि रंगों कि रंगत कागज़ पर उतर आती है?

– हमारे मूल रंग कौन–कौन से हैं उनकी मिलावट से कौन–कौन से रंग बन सकते हैं?

– सूर्य प्रकाश कितने रंग का बना है?

– इंद्रधनुष बारिश के समय ही क्यों दिखता है?

– प्रिज्म के साथ न्यूटन ने क्या किया?

– क्या वजह है हमें कुदरत में अलग–अलग रंग दिखते है?

– क्या मनुष्य से लेकर सभी प्राणियों को अलग–अलग रंग दिखते हैं?

– हमारी आंख की रचना और पशु–पक्षियों की आंख की रचना में फर्क क्या होगा?

देखिए, यहां पर बात कहां से शुरू हुई थी और कितने आयामों को छूती हुई कितनी दूर तक पहुंची है। हो सकता है यह और भी दूर जाए। बस हमें ध्यान रखना है छात्र की उम्र और कक्षा क्या है। इस तरह से समवाय और अनुबंध को ज्यादा शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते पर यह तो करके महसूस करने की बात है।

प्रक्षाली देसाई, संपर्क रायपुरिया, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश में कार्यरत ।

पिछले पन्ने पर गोले वाला एक चित्र बना है। इस पत्रिका को गोल–गोल घुमाओ और इन गोलों को देखो। क्या दिखाई देता है? क्या गोले घूमते हुए दिखते हैं? ऐसा क्यों होता है? आप भी देखें औरों को भी दिखाएं।

समान स्कूल प्रणाली में बुनियादी विद्यालय का स्थान

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 22 जुलाई, 2006 को ''समान स्कूल प्रणाली'' की स्थापना के सरकारी इरादे की घोषणा बिहार ही नहीं, संभवतः देश के शेष भागों के लिए भी ऐतिहासिक महत्व की घटना थी। यह अवसर था गैर–सरकारी शोध सह कार्य संस्थान एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) तथा समान स्कूल प्रणाली के लिए राष्ट्रव्यापी जन अभियान के संयुक्त तत्वावाधन में आयोजित 'शिक्षा का अधिकार एवं समान स्कूल प्रणाली' विषयक सेमीनार का, और घटना थी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सेमीनार के समापन सत्र की।

अपने समापन संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में जहां भी वे आम जनता से मिले हैं, उन्होंने लोगों में, विशेष कर सबसे गरीब लोगों के बीच एक आम आकांक्षा पाई कि वे अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में भेजना चाहते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने महान समाजवादी नेता स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया को याद किया, जिन्होंने नारा बुलंद किया था कि 'राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान'। अपने संबोधन को समाप्त करने के पूर्व, मुख्यमंत्री ने एक ऐसे आयोग के गठन का इरादा जाहिर किया जो समान स्कूल प्रणाली की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार को मशविरा दें।

सेमीनार के चंद दिनों के अंदर ही, मंत्रिमंडल ने एक 3 सदस्यीय समान स्कूल प्रणाली आयोग के गठन का निर्णय लिया और 8 अगस्त, 2006 को इस हेतु लिया गया सरकारी प्रस्ताव राज्य गजट में प्रकाशित हुआ। आयोग के समक्ष निम्नलिखित विचारार्थ विषय रखे गए :

(1) सरकारी, निजी तथा अन्य प्रकार के विद्यालयों एवं विभिन्न शैक्षिक धाराओं के ढांचों और उपलब्ध शैक्षिक सुविधओं को शामिल करते हुए राज्य की वर्तमान स्कूल प्रणाली का एक व्यापक अध्ययन संचालित करना।

(2) राज्य में सभी बच्चों के लिए उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु मानक एवं मापदंडों तथा अन्य आवश्यक प्रावधनों की अनुशंसा करना और इसके वित्तीय निहितार्थों का आकलन करना ताकि पास–पड़ोस के सभी बच्चों की ऐसे विद्यालयों तक पहुंच हो सके तथा उन्हें उच्च गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा सुलभ हो सके।

(3) संविधान के अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से समान स्कूल प्रणाली के लिए एक ढांचे की अनुशंसा करना।

(4) राज्य में समान स्कूल प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु एक कार्ययोजना तैयार करना।

(5) समान स्कूल प्रणाली के गठन के सिलसिले में गांधी के बुनियादी विद्यालयों की गतिनिर्धारक भूमिका तथा जिला मुख्यालयों के लिए प्रस्तावित किए जा रहे आदर्श विद्यालयों की पड़ताल करना और तदनुसार एक कार्ययोजना की अनुशंसा करना।

(6) राज्य के अंदर मौजूद तथा कार्यरत अध्यापक शिक्षण संस्थानों और उनके क्रियाकलापों तथा पाठ्यचर्या का अध्ययन करना और समान स्कूल प्रणाली की जरूरतों के अनुसार उन्हें पुनर्गठित करने के उद्देश्य से अनुशंसा करना।

यहां हम इस प्रतिवेदन में से ''समान स्कूल प्रणाली में बुनियादी विद्यालय का स्थान'' शीर्षक से लेख साभार प्रस्तुत कर रहे हैं।

11.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अक्तूबर 1937 में वर्धा महाराष्ट्र में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंग के ही रूप में राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिमानों पर 'अवधारणात्मक स्पष्टता' हासिल करने के लिए बहस चल रही थी जिससे स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का स्वरूप निर्धारित होना था। उक्त सम्मेलन में उन विचारों और चर्चाओं का एक समेकन हुआ था।

उक्त सम्मेलन में इस मुहिम से जुड़े शिक्षाविद् तथा कार्यकर्त्ता ही नहीं, बल्कि कुल नौ में से सात प्रांतीय सरकारों के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री भी सम्मिलित हुए थे सम्मेलन में गांधी जी के 'बुनियादी शिक्षा' के प्रस्ताव पर विशद चर्चा की गई जिससे कि विद्यालयों में अधिगम के लिए शिक्षाशास्त्रीय आधार तैयार हो सके। विद्यालयों को ऐसे समुदायों के रूप में देखा गया जो उत्पादन में संलग्न हैं और उत्पादक कार्य के माध्यम से आय अर्जित कर आत्मनिर्भर हैं। ऐसी व्यवस्था में अधिगम का एक सहकारी प्रविधि को द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खण्ड 68, पृष्ठ–372–73 अपनाया जाना चाहिए। यह उक्त सम्मेलन के मूल प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी जिसे सामाजिक बदलाव का माध्यम माना गया था। गांधी जी की शिक्षा संबंधी समस्त अवधारणा जिसे 'नई तालीम' कहा गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भर गांवों के माध्यम से पुनर्रचना तथा कायाकल्प के उद्देश्य को लक्षित थी जिससे कि एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो पाता। हम शिक्षा के इस समग्र दर्शन के शिक्षाशास्त्रीय पक्ष तक ही संबद्ध रहना चाहते हैं। वर्धा सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था

''मैं किसी व्यवसाय के बारे में आपसे नहीं कह रहा जिसे शिक्षा के साथ–साथ अपनाना है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि बच्चों को चाहे जो भी, जिस भी प्रकार की शिक्षा दी जाए, वह अनिवार्य रूप से पेशा या हस्तशिल्प के माध्यम से ही दी जाए। आप कह सकते हैं कि मध्यकाल में हमारे देश में बच्चों को पेशे (दस्तकारी) के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। मैं इस दावे को स्वीकार करता हूं लेकिन उन दिनों पेशा (दस्तकारी) के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के बारे में विचार नहीं किया जाता था। एक पेशा (दस्तकारी) से संबंधित शिक्षा उसी तक सीमित रहती थी। हमारा लक्ष्य पेशे अथवा हस्तशिल्प के सहयोग से बुद्धि का विकास करना है।... इसलिए मेरा सुझाव है कि सिर्फ पेशे अथवा व्यवसाय की पूर्ण जानकारी तक सीमित न होकर उस पेशे अथवा व्यवसाय के माध्यम से ही बच्चों को समग्र रूप से शिक्षित करें।

उदाहरण के लिए तकली को देखिए। तकली का पाठ हमारे विद्यार्थियों के लिए पहला पाठ होगा जिसके माध्यम से वे कपास के इतिहास के अतिरिक्त, लंकाशायर तथा ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में पर्याप्त जानकारी अर्जित कर सकेंगे। यह तकली कैसे काम करती है? इसकी उपयोगिता क्या है? और इसके अंदर कौन सी शक्तियां निहित हैं? इस प्रकार इन सारे प्रश्नों का उत्तर बच्चा खेल–खेल में जान सकता है। इसी के बहाने वह थोड़ी बहुत गणित का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। जब उससे पूछा जाए कि तकली पर लिपटे कपास के सूतों की गिनती करो, अथवा उससे यह पूछा जाए कि तुमने कितनी तकली काटी, तो इस प्रक्रिया में धीरे–धीरे उसका गणितीय ज्ञान से भी परिचय बनता जाता है और खूबसूरत बात यह कि उसके दिमाग पर इससे जरा भी बोझ नहीं पड़ता। सीखने वाले को यह पता नहीं लगता कि वह सीख रहा है। खेलते हुए, गाते हुए वह तकली नचाता कितनी ही बातें सीखता जाता है।

वर्धा शिक्षा सम्मेलन, 22 अक्तूबर 1937 में महात्मा गांधी का संबोधन; (हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, 1957. ..? से उद्धत अंश)

वर्धा सम्मेलन डा. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह बुनियादी शिक्षा की एक पाठ्यचर्या विकसित करे। यह उस सिद्धांत पर आधारित हो जिसके अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया के केंद्र में एक व्यवसाय अथवा दस्तकारी के रूप में कोई उत्पादक कार्य हो। इस उत्पादक कार्य का चुनाव बच्चे के सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखकर किया जाए; जाकिर हुसैन कमिटी 1938, की रिपोर्ट, हिन्दुस्तान तालिमी संघ, 1957।

जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट स्वीकारते हुए कांग्रेस ने उसी वर्ष हरिपुरा, गुजरात में हुई सभा में संकल्प लिया कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा– किसी उत्पादक व्यवसाय अथवा दस्तकारी को केंद्र में रखकर, जहां तक संभव हो, अन्य सारी शैक्षिक गतिविधियां इसी केंद्रीय दस्तकारी के इर्द–गिर्द विकसित की जाएं जिनका चुनाव उन दशाओं के आधार पर हो जिनमें बच्चा पला हुआ है। कांग्रेस ने इस राष्ट्रीय प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए 'हिन्दुस्तानी तालिमी संघ' नामक एक संस्था के गठन का भी संकल्प लिया। इस संस्था को महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए ठोस कार्यक्रम तैयार करने को कहा गया।

वर्धा कांग्रेस में जिन सात प्रांतों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया था। उन्होंने अपने–अपने राज्य में बुनियादी विद्यालयों की स्थापना की दिशा में कार्यक्रम तय किए। उन्होंने इससे संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की दिशा में भी प्रयास शुरू किए जिससे कि महात्मा गांधी के विचारों को वास्तविकता प्रदान किया जा सके। बिहार इनमें अग्रणी प्रांत था। सन् 1938 मे ही बिहार सरकार ने पश्चिमी चंपारण में 50 बुनियादी विद्यालयों की स्थापना की जहां कि गांधी जी ने नीलहों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। यह संख्या धीरे–धीरे बढ़कर 520 तक पहुंच गई। झारखंड के निर्माण के बाद अब बिहार में 391 बुनियादी विद्यालय रह गए हैं। 1945 में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई जिसमें बिहार का योगदान एक तो उसके समृद्ध अनुभवों की बदौलत, और दूसरी ओर भविष्य की दिशा के लिए सबक की दृष्टि से अलग राज्यों के मुकाबले बहुत अधिक था।

सन् 1949 में बुनियादी शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें उसके लिए अन्य के अलावा निम्नलिखित दायित्व निर्धरित किए गए–

1. बुनियादी शिक्षा संस्थाओं में प्रगति और सुधार के लिए आवश्यक गतिविधियों का संचालन।
2. इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनके कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित कार्य करना।
3. ये संस्थाएं किस हद तक आत्मनिर्भर हो रही थी, इसका मूल्यांकन करना तथा उनको पर्यवेक्षण करना। और
4. इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जानेवाली छात्रावृति का संचालन।

महात्मा गांधी के विचार में बुनियादी विद्यालयों के दो प्रमुख कार्य हैं–

(क) ज्ञान को काम से जोड़ना जिससे कि विद्यार्थियों

की वृद्धि का समेकित व संपूर्ण विकास हो सके, तथा

(ख) उत्पादक कार्यों के द्वारा विद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही विद्यार्थियों में भी आत्मनिर्भर जीवनशैली में गरिमापूर्ण जीवन जीने के योग्य बनाना। सन् 1944 में केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता परिषद; (सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एडुकेशन, कैब) के प्रतिवेदन, जिसे इसके जॉन सार्जेंट के नाम पर सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जाना गया, में गांधी जी के कार्यक्रम के प्रथम उद्देश को माना गया–काम के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसे शामिल करने की अनुशंसा की गई। यद्यपि इस प्रतिवेदन में विद्यालयों को कार्य आधरित शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के दूसरे उद्देश्य को व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना गया। वैसे सार्जेंट रिपोर्ट की पहली अनुशंसा पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं हो सकी। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में गांधीवादी कार्यक्रम वाली शिक्षा को लागू करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई किन्तु इससे संबंधित संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं को सृजित करने संबंधी कोई योजना नहीं बनाई जा सकी जिससे कि इस विचार को शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में उतारा जा सकता। बल्कि समय व्यतीत होने के साथ–साथ यह विचार भी विस्मृत होता चला गया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कोई भी विचार, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली अथवा तर्कसम्मत क्यों न हो, मात्र मुट्ठी भर विद्यालयों अथवा संस्थाओं में अलग–थलग प्रयोग के रूप में जीवित नहीं रह सकता। वह भी तब जबकि सरकार पोषित मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली ठीक उल्टी दिशा में आगे बढ़ रही हो। बार–बार इतिहास इस बात की गवाही देता रहा है–चाहे वह टैगोर का श्रीनिकेतन (ग्रामीण बच्चों के लिए सृजनात्मक विद्यालय) हो, अथवा विश्वप्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय या फिर गांधी जी का सेवाग्राम, वर्धा स्थित नई तालीम विद्यालय जिसने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती दी। स्वातंत्रायोत्तर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और बड़ी पहलों से भी इसी बात की पुष्टि होती है और शैक्षिक बदलाव की किसी भी भविष्य योजना में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है।

बिहार के 500 से अधिक बुनियादी विद्यालय भी उपरोक्त तर्क के विरूद्ध नहीं जाते जबकि उन्हें स्थानीय समुदाय का जमीनी सहयोग प्राप्त है। स्थानीय समुदाय ने बुनियादी विद्यालयों के लिए अपनी जमीनें दान में दी, अपना श्रम और पैसा लगाया। सन् 1950 तक आते–आते मुख्यधारा की शिक्षा से इनका विलगाव बढ़ता गया और इस दौरान उनका मूल दर्शन और गत्यात्मकता, दोनों विलुप्त होते गए। 1968 में बिहार सरकार ने सैयद्दीन कमिटी की अनुशंसा पर एक निर्णय लिया जिसके तहत बुनियादी विद्यालयों का सामान्य विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को विलय कर दिया गया, साथ ही उनको सामान्य विद्यालयों का पाठ्यक्रम मानने को बाध्य किया गया। 16 मार्च 1972 से पहली–8वीं कक्षा तक का समेकित पाठ्यक्रम बुनियादी विद्यालयों पर लागू कर उन्हें सरकार के सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत ले लिया गया। बुनियादी शिक्षा बोर्ड की कोई बैठक 7.3.79 से लेकर 1.11.91 के बीच नहीं हुई जबकि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसका कोई संकेत नहीं मिलता कि बोर्ड की कोई और बैठक इसके पश्चात संभव हुई।

11.2 वर्तमान स्थिति

इन विद्यालयों के पास विपुल परिसम्पति के रूप में भूमि मौजूद है। बिहार विभाजन के पूर्व बिहार के 518 बुनियादी विद्यालयों के पास लगभग 2,500 एकड़ जमीन थी। इसका अर्थ हुआ 4.82 एकड़ भूमि प्रति विद्यालय। दूसरी परिसम्पतियां हैं बड़ी संख्या में कमरे तथा आवासीय क्वार्टर, पोखरे पेड़ तथा खेती के औजार इत्यादि। वास्तव में वर्तमान में बुनियादी विद्यालय सामान्य कोटि के प्रारंभिक विद्यालयों के रूप में चलाए जा रहे हैं। इन संस्थाओं को अथवा इनके विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की मूल भावना का लोप हो गया है। खेती, बागवानी, पशुपालन आदि कार्यों में संलग्नता और दस्तकारी आदि कौशलों का प्रशिक्षण देना अब इन विद्यालयों की विशेषता नहीं रही। इनका नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण अब सरकार के अधीन है और बुनियादी शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो गया है। बोर्ड को निधि का आवंटन धीरे–धीरे कम होकर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। इस प्रकार यद्यपि बोर्ड को भंग करने का कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं हुआ है, तथापि यह आज की तारीख में अस्तित्वहीन हो गया है।

हालांकि सरकार समय–समय पर इन संस्थाओं की दुर्दशा के लिए चिंता प्रकट करती रही है। यह चिंता विभिन्न समितियों के गठन के प्रयासों में झलकती हैं जिन्हें इन संस्थाओं की देखरेख के बारे में सुझाव देने की जिम्मेवारी दी गई थी। 1999 से 2004 के बीच दो समितियों का गठन किया गया जिन्हें यह जांच करने की जिम्मेदारी दी गई कि बुनियादी शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया जाए या कि और अधिकार सम्पन्न करके उसका पुनर्गठन किया जाए। दुर्भाग्य से इन दोनों समितियां अपना काम पूरा न कर सकीं, न ही कोई रिपोर्ट पेश कर सकीं। हमारी समझ है कि इसका कारण शायद यह था कि इन्हें कार्य करने के लिए आवश्यक निधि का आवंटन नहीं किया गया।

11.3 बुनियादी विद्यालय, कटैया, मधेपुरा

आयोग ने इस विद्यालय का भ्रमण किया जिसमें कक्षा पहली से आठवीं तक की शिक्षा दी जाती है और इसके पास लगभग पांच एकड़ भूमि है। कुछ मामलों में यह विद्यालय सामान्य सरकारी विद्यालयों से बेहतर स्थिति में है। 11 स्वीकृत पदों के विरूद्ध (10 शिक्षक कार्यरत हैं जिनमें 4 महिलाएं हैं। प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है। दो शिक्षा मित्र भी विद्यालय में पदस्थापित हैं। शिक्षा मित्रों के अतिरिक्त सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं। कक्षा एक से आठ तक में 70 से 90 तक उपस्थिति थी। यह स्थिति सरकारी स्कूलों में 40 से 45 औसत उपस्थिति से बहुत बेहतर है। हालांकि इस विद्यालय में भी न तो पुस्तकालय है न ही प्रयोगशाला। इस विद्यालय के पास उपलब्ध बड़ी जगह का लाभ उठाकर 19 कमरे एवं 4 शौचालय जिनमें से दो विशेष रूप से लड़कियों के लिए है, बनाए गए हैं।

1.4 समान स्कूल प्रणाली के अंतर्गत बुनियादी विद्यालयों का स्थान

आयोग की यह सुविचारित राय है कि वर्तमान में देश की जो सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था है उसमें गांधीवादी तरीके के विकास की रूपरेखा को पुनर्जीवित करना संभव नहीं है। जो कि आत्मनिर्भर, विकेन्द्रित ग्राम्य अर्थव्यवस्था पर आधरित है। गांधी जी ने इस बारे में 'आत्मतुष्ट छोटे गणराज्यों' संबंधी अवधारणा का जिक्र अक्तूबर 1931 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन के अपने प्रसिद्ध वक्तव्य में किया था। वास्तव में नई तालीम के द्वारा महात्मा गांधी नई पीढ़ी में नैतिक दायित्व बोध भरना चाहते थे और जो बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम में भी प्रतिबिम्बित

होता है। स्वतंत्रता के पश्चात नए नेतृत्व ने विकास के इस मॉडल को अस्वीकार कर विकास के ऐसे रास्ते को चुना जो भौतिक उत्पादों की वृद्धि पर आधारित था। इस विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रणनीति अपनाई गई वह प्रतिस्थापी उद्योगीकरण के आयात पर आधारित थी। जिसे महालनबीस मॉडल के नाम से जाना जाता है। परिणामस्वरूप–सापेक्षित रूप से कृषि तथा उससे संबंधित आर्थिक गतिविधियों की अनदेखी हुई।

1990 के दशक के आरंभ से भारत ने उदारीकरण निजीकरण एवं वैश्वीकरण की संपूर्ण नीति को आत्मसात किया। इसके अंतर्गत भी भौतिक उत्पादन में वृद्धि विकास का मूल लक्ष्य बना रहा। अंतर यह हुआ कि अब आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए राज्य की बजाए बाजार की भूमिका प्रभावी हो गई। इस नव उदारवादी नीति की बदौलत हाल के वर्षों में उच्च विकास दर अर्जित की गई है। फिर भी अब यह एक स्थापित तथ्य है कि वैश्वीकरण की नीति ने कई प्रकार के असंतोषों को जन्म दिया है, जैसे एक बड़ी आबादी सीमांत पर आ खड़ी हुई है। भूमि से विलगाव हुआ है, असमानता में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार का क्षरण हुआ है। रोजगार की विकास दर बहुत धीमी रही है, और अंततः राष्ट्रीय प्रभुसत्ता कमजोर हुई हैं सिवाए इससे कि कुछ सुधारात्मक उपाय कर लिए जाएं, अब गांधीवादी मॉडल पर वापस लौटना संभव नहीं है। इसीलिए आयोग बुनियादी विद्यालयों के माध्यम से बुनियादी शिक्षा संबंधी आत्मनिर्भरता की गांधीवादी अवधारणा को पुनर्जीवित के विकल्प को खारिज करता है। इसके अतिरिक्त आयोग बुनियादी विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों के रूप में भी पुनर्जीवित करना वांछनीय नहीं मानता जिसमें खेती–बाड़ी, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा अन्य ग्रामीण व्यवसायों आदि का प्रशिक्षण किया जा सके। यह अनुभव सिद्ध तथ्य है कि सामान्य स्कूल व्यवस्था में व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाना व्यावहारिक नहीं है। यह मानने का कोई कारण नहीं कि यह व्यवस्था फिर काम कर पाएगी। क्योंकि जैसा कि अनुभव बताते हैं अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ सामान्य शिक्षा को जोड़ दिया जाता है तो दोनों ही के साथ न्याय नहीं हो पाता और दोनों का नुकसान होता।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की एक समान्तर व्यवस्था सृजित की गईं। अनुमान था कि इससे +2 स्तर पर 25 विद्यार्थी सन् 2000 तक व्यावसायिक शिक्षा की धारा में आ जाएंगे किन्तु वास्तव में यह प्रतिशत कभी भी 5 से अधिक नहीं रहा। इसके अतिरिक्त बढ़िया प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों ने इस धारा का परित्याग ही किया। इसके समाजशास्त्रीय एवं आर्थिक कारण मौजूद हैं। एकल कौशल आधारित व्यवसाय को आधार बनाने से शुरू से ही एक बच्चे की महत्वाकांक्षा में गिरावट होती है। भारत में जो परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत एकल विकल्प शिक्षा द्वारा जो रोजगार के अवसर सृजित होते हैं वे वास्तव में बहुत अनिश्चित हैं। दूसरी ओर सामान्य शिक्षा कई प्रकार के विकल्प प्रदान करती है। सामाजिक पदानुक्रम में आगे बढ़ने का, चाहे वह उर्ध्व गतिशीलता के द्वारा हो अथवा क्षैतिज गतिशीलता के द्वारा। स्वाभाविक है कि न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्कि लगभग समस्त विद्यार्थी इसी विकल्प को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो सामान्य रूप से स्वीकृत विचार है उसके अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण को सामान्य विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा की एक धारा के रूप में प्रचलित न करके अलग से एक स्वायत पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करना चाहिए। अभी हाल ही में इस नीतिगत मामले की समीक्षा राष्ट्रीय

शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय फोकस ग्रुप नेशनल फोकस ग्रुप में 'कार्य तथा शिक्षा' के अंतर्गत की गई है और इसके प्रतिवेदन में उपरोक्त निष्कर्ष प्रति सहमति दर्ज की गई हैं । इस फोकस ग्रुप ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के बाहर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की अनुशंसा की है। (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जनवरी 2007।)

11.5 समान स्कूल प्रणाली के अंतर्गत गांधीवादी शिक्षाशास्त्र की स्थापना

आयोग के विचार में गांधीवादी शिक्षाशास्त्र का सार स्कूली पाठ्यक्रम के केंद्र में उत्पादक कार्य को रखना है और इसे ज्ञान प्राप्ति, मूल्य निर्माण तथा विविध कौशलों के निर्माण के शिक्षाशास्त्रीय माध्यम के रूप में देखना है। इसका अर्थ हुआ कि सामाजिक क्रिया अथवा संलग्नता सहित उत्पादक कार्य प्राक्–प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में 'बीजक पाठ्यक्रम' का अविभाज्य अंग होगा। इससे प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर ही बच्चे को अपने स्वयं के अनुभवों से ज्ञान सृजित करने का शिक्षाशास्त्रीय गुण सृजित होगा और इस प्रकार स्थानीय सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश से चयनित विविध प्रकार के उत्पादक कार्य अथवा सामाजिक क्रिया/संलग्नता इत्यादि के द्वारा सावधानीपूर्वक पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान से बच्चों को संबद्ध किया जा सकेगा। निम्नलिखित उदाहरणों पर गौर किया जा सकता है।

बिहार में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह (प्रायः महिला समूह अथवा महिला सामाख्या के माध्यम से) अनेक प्रकार के उत्पादक कार्यों में संलग्न रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए तीसरी अथवा चौथी कक्षा के बच्चों को शिक्षक एक पूरा दिन ऐसे किसी समूह के साथ बिताने को कह सकते हैं जो कि पड़ोस में कार्यरत हैं। इससे बच्चों को उत्पादक गतिविधियों, कच्चा माल के स्रोतों तथा उनकी लागत, औजारों तथा उपस्करों के प्रकार, तकनीक की प्रकृति, विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक संबंध, दल के सदस्यों के लैंगिक विभेद तथा धर्म इत्यादि एवं अंततः विपणन (मार्केटिंग) के संबंध में उपयोगी जानकारी मिल सकती है। ये जानकारियां शिक्षक द्वारा बनाए गए एक प्रारूप में बच्चों के दिन भर के अनुभवों के रूप में दर्ज हो सकती है। दूसरा दिन बच्चों के लिए अपने अनुभवों को प्रकट करने तथा खुली बहस के लिए निर्धारित किया जा सकता है। यह समृद्ध बहुविषयी तथा बहुपक्षीय ज्ञान बच्चों के लिए किसी भी पाठ्य पुस्तक से बढ़कर साबित होगा। इस प्रक्रिया में बच्चे अपने विचारों को सही तरह से अभिव्यक्त करना भी सीखते हैं वह भी अपनी भाषा में चाहे वो मौखिक हो या लिखित। यही पर्यावरण विज्ञान की मूल अवधरणा है, साथ ही यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 द्वारा अनुशंसित ज्ञान के सृजन की अवधारणा के अनुरूप भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि पारंपरिक समय सारिणी को तोड़कर अलग–अलग पीरियड बनाए जाते हैं तथा कक्षा आधारित शिक्षण के स्थान पर कई एक अधिक समृद्धकारी अधिगम अनुभव को प्रस्तुत किया जाता है।

छठी तथा सातवीं कक्षा के बच्चे बिजली चालित मोटर कार्यशाला में 3–4 दिनों तक रोज दो घंटे बिताएं। वहां वे वाइन्डिग संबंधित गतिविधियों को देखें–परखें इससे उन्हें विद्युत तथा विद्युत चुम्बकत्व के सिद्धांतों को समझने का अवसर मिलेगा। बशर्ते कि उनके साथ इस प्रक्रिया को चलाने वाला एक शिक्षक मौजूद हो।

आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को बढ़ईगिरि का कार्य सिखाने से उन्हें नाप–जोख, ज्यामिति, लकड़ियों से संबंधित वानस्पतिक ज्ञान तथा डिजाइन और विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं।

फलों के बगान की देखभाल करते हुए 9वीं कक्षा के विद्यार्थी फफूंद अथवा कीटों के आक्रमण से निपटने की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इससे उनको फफूंद की कोशीय संरचना को समझने में मदद मिलती है जबकि वे सूक्ष्मदर्शी से प्रभावित पत्तियों इत्यादि का अध्ययन भी कर सकते हैं, कक्षा में नियंत्रित दशाओं में कीट पालन कर उनके जीवन चक्र का अध्ययन कर सकते हैं। एक मकान के निर्माण में सहभागी बनकर 11वीं कक्षा के विद्यार्थी विषय संबंधित अनेक स्तरों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इससे उनको साधारण मिस्त्रियों, प्लम्बरों तथा इलेक्ट्रिशियनों इत्यादि के ज्ञान एवं कौशलों का आदर करने की भी शिक्षा मिलती है साथ ही उनका अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से सरोकार भी बनता है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अगर एक पैथोलॉजी लैब में जाएं तो उनके लिए रक्त रसायन, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवियों तथा जांच के लिए विविध प्रकार के रासायनिक तत्वों की प्रतिक्रियाओं के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में, विद्यालय अपने समीपवर्ती सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में ऐसे कार्यस्थलों की पहचान कर सकेंगे जहां विद्यार्थियों के समूह एक समय सारिणी के अनुसार जाकर उत्पादन स्थल के मालिक अथवा उस्ताद के साथ काम कर सकें। संबंधित विषय के शिक्षक भी साथ रहें जो कि ज्ञान तथा प्रत्यक्ष अनुभव के बीच संबंध स्थापित करने में छात्रों की मदद ले सकें। उत्पादन स्थल को इस दौरान हुई समय की क्षति तथा उपस्करों के उपयोग के लिए क्षतिपूर्ति का यथेष्ट प्रावधन विद्यालय के बजट में होना चाहिए जैसा कि वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है इसका अर्थ यह होगा कि विद्यालयों को औजारों, उपस्करों पर खर्च नहीं करना होगा। एक तो वे खर्चीले होते हैं। दूसरे कि द्रुत प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के कारण वे जल्दी ही पुराने पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकेन्द्रित शिक्षाशास्त्र से कई प्रकार की सामान्य क्षमताएं (मूलभूत, अंतर्वैक्तिक तथा व्यवस्थागत) विकसित होती हैं। जैसे कि आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता,सम्प्रेषण, सहकारी या सामूहिक क्रिया, डिजाइन बनाना, सौंदर्यबोध कार्य आचार तथा प्रेरणा, अधिगम का आंतरण, उद्यमशीलता–सह–सामाजिक दायित्व आदि। जब बच्चे में विशेषकर 8वीं कक्षा के बाद परिपक्वता आती है तब सैद्धांतिक ज्ञान की भूमिका सापेक्षिक रूप से बढ़ जाएगी लेकिन तब भी उत्पादक कार्य जिसमें सामाजिक क्रिया/संलग्नता शामिल है एक महत्वपूर्ण शिक्षाशास्त्रीय माध्यम बना रहेगा विशेषकर विषयगत ज्ञान के आगम अथवा प्रस्थान बिन्दु के निर्धारण में।

इस संबंध में ध्यान देने योग्य दो अन्य बातें निम्नवत हैं–

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य तथा शिक्षा पर राष्ट्रीय फोकस ग्रुप के अनुसार कार्यकेन्द्रित पाठ्यक्रम इस बात को मान्यता प्रदान करता है कि ''वंचित बच्चों; जो कि बच्चों की कुल जनसंख्या के आधे से अधिक है, के समृद्ध ज्ञान आधार, सामाजिक अंतर्दृष्टि तथा कौशल जो कि उनके वास–स्थल, प्राकृतिक संसाधन तथा आजीविका के बरअक्स होते हैं। विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत उनकी गरिमा एवं सामर्थ्य के स्रोत के रूप में परिणत किए जा सकते हैं।'' इसके अतिरिक्त ''यह पाठ्यक्रम मध्य उच्चवर्गीय बच्चों का उनकी सांस्कृतिक जड़ों से विलगाव की विकट समस्या का भी समाधन करता है। साथ ही इस समस्या को और गंभीर बनाने तथा इस प्रक्रिया को तेज करने में शिक्षा प्रणाली की जो केंद्रीय भूमिका रही है उसको भी निष्प्रभावी करता है।.

.. समाज के विशाल उत्पादक वर्गों के व्यापक ज्ञान आधार का उपयोग शिक्षा प्रणाली को बदलने के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में किया जा सकता है। इससे भारतीय शिक्षा के एकांतिक चरित्र को भी आंशिक रूप से चुनौती दी जा सकती है। इसी बिन्दु पर यह सुनिश्चित कर लेना भी आवश्यक है कि इस ज्ञान आधार का आलोचनात्मक परीक्षण इस प्रकार कर लिया गया है कि इसमें समाविष्ट पश्चगामी तथा अवैज्ञानिक प्रवृतियों की ठीक–ठीक पहचान और निर्मूलन के पश्चात ही स्कूली पाठ्यक्रम में उन्हें स्थान दिया गया है।''

2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के अनुसार ''बच्चों का प्रायः भेदभाव आधारित प्रचलनों एवं मूल्यों में समाजीकरण किया जाता है तथा वयस्क बच्चों को प्रभावी सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों के अनुरूप ही अभ्यस्त बनाते हैं।... लेकिन वास्तव में वयस्क और बच्चे दोनों का एक ही प्रकार से समाजीकरण होता है।... बलपूर्वक मजदूरी के लिए मजबूर किया जाना शायद सबसे अधिक उत्पीड़क स्थिति है। इस बात के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि पाठ्यक्रम में कार्य को स्थान देने से कहीं अनिच्छुक बच्चे पर काम थोपा तो नहीं जा रहा, अथवा कार्य बच्चे की शिक्षा तथा सामान्य विकास में कहीं अवरोध तो नहीं बन रहा। दिनचर्या तथा दोहराव वाली क्रियाएं जो कि कार्य या उत्पादन के लिए संचालित की जा रही हैं, अथवा काम जो कि जाति एवं लिंग (धर्म तथा आर्थिक स्थिति) आधारित श्रम विभाजन से संबद्ध हैं, हर हाल में हतोत्साहित की जानी चाहिए। दूसरी ओर पाठ्यक्रम से काम को जोड़ने का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षक स्वयं उन गतिविधियों में भाग नहीं लेता। विद्यालय में कार्य के महत्व को स्थापित करने से कहीं बच्चों का शोषण न हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिसम्बर 2005, खंड 3.7, पृष्ठ–58–59) बुनियादी शिक्षा के शैक्षिक दर्शन का निर्धारण करने के लिए कार्य केन्द्रित पाठ्यक्रम को महत्व समझा जाना चाहिए। यही दर्शन बुनियादी शिक्षा को मौजूदा पाठ्यचर्याओं की रूपरेखा से अलग करता है जिन्हें औपनिवेशिक काल से ही विभिन्न शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रश्रय दिया जाता रहा है। अगर इस शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण को उसकी समग्र भावना के अनुरूप कार्यरूप में परिणत किया गया तो विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, कारगर तथा मनश्चालक कौशलों से युक्त बहुआयामी क्षमताओं का विकास हो सकता है। इसके लिए बच्चों के मूल्यांकन की कसौटियों के निर्धारण की प्रक्रिया तथा मापकों में भी बदलाव लाना होगा। अंततः इससे परीक्षा बोर्डों पर दबाव बनेगा कि वे इस मूल्यांकन के अपने प्रचलित तरीकों की समीक्षा करें कि वास्तव में किस चीज की जांच करने की जरूरत है, और कैसे।

11.6 बुनियादी विद्यालयों की भूमिका

अंत में, कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गांधीवादी शिक्षाशास्त्र की स्थापना के लिए बुनियादी विद्यालय ही क्यों जरूरी है। यह प्रश्न वाजिब है क्योंकि इन विद्यालयों के पास गांधीवादी शिक्षाशास्त्र का न तो कोई जीवंत अनुभव है, न ही 1940 अथवा 1950 के दशक से इनके पास ऐसे शिक्षक हैं जो इस विचार को पुनर्जीवित ही कर सकें। फिर भी बुनियादी विद्यालयों की दो ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर ये इस उद्देश्य के लिए गति–निर्धारक विद्यालय के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होते हैं–

(क) ये विद्यालय बिहार में गांधीवादी विचारधारा की नैतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। ये स्वतंत्रता

आंदोलन के उस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि राष्ट्रीय आंदोलन ने यह तय किया था कि शिक्षा के साम्राज्यवादी एजेंडा को चुनौती देने के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली गढ़ने की जरूरत है। यद्यपि स्वतंत्रता पश्चात के नीति निर्माताओं ने गांधी विचार के सारतत्व को अनदेखा किया, तब भी आज तक उनके पास सिवाय यह कहते रहने के कि गांधी विचार ही उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं, कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा के गांधीवादी दर्शन के पीछे ऐसी ही नैतिक शक्ति रही है। हम बुनियादी विद्यालयों के पास रक्षित इस नैतिक विरासत का लाभ उठाना चाहते हैं।

(ख) बुनियादी विद्यालयों से पढ़कर बिहार में एक पूरी पीढ़ी ही तैयार हुई है। ये शिक्षण संस्थाएं अब भी इस क्रांतिकारी शिक्षाशास्त्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक स्मृतियों के भंडार के रूप में काम कर रही हैं। इस पीढ़ी ने बिहार को अकादमिक, सामाजिक कार्य तथा दूसरे अन्य व्यवसायों में कई नेतृत्वकारी व्यक्तित्व दिए हैं। अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त इस पीढ़ी के लोगों में अब भी यह विश्वास कायम है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए शारीरिक उत्पादक श्रम समग्र शिक्षा का स्रोत है। ऐसे उम्र दराज लोग बुनियादी विद्यालयों के निकटवर्ती गांवों में रह रहे हैं और जो अब भी किसी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। बिहार की विद्यालय व्यवस्था में गांधीवादी शिक्षाशास्त्र का सारतत्व, अर्थात कार्य केन्द्रित पाठ्यक्रम स्थापित करने के क्रम में निम्न चार मूलभूत संरचनाएं जरूरी हैं–

(क) एक बुनियादी शिक्षा संसाधन कोषांग (बी.एस. एस.के.) जो कि राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में हो और जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन संबंधी कार्य में समन्वय व मार्गदर्शन का काम करे।

(ख) राज्य स्तर पर 40–50 सदस्यीय बुनियादी शिक्षा चिंतन समूह (बी.एस.सी.एस.) राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद कोषांग द्वारा गठित किया जाए। इस समूह में एक तिहाई प्रतिनिधित्व बुनियादी शिक्षा पाठ्यचर्या विकास केंद्रों (नीचे देखें) का हो जो कि 150 बुनियादी विद्यालयों में स्थापित हैं। शेष सदस्य का चुनाव उनकी विशेषज्ञता अथवा गांधीवादी शिक्षा में मौलिक चिंतन के आधार पर हो–यानी कार्य केन्द्रित शिक्षा पर। इस समूह का पदेन सदस्य सचिव राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित कोषांग का समन्वयक होगा।

(ग) डायट (डी.आई.ई.टी.) के जिला संसाधन केंद्र जिले के स्कूलों में कार्य केन्द्रित पाठ्यचर्या लागू करने संबंधी कार्यक्रम समन्वय का दायित्व लेगा और वह जिले के बुनियादी शिक्षा पाठ्यचर्या विकास केंद्रों का सहयोग लेकर कार्य करेगा।

(घ) 391 बुनियादी विद्यालयों में से 150 (4 प्रति जिला के औसत से) का चुनाव बुनियादी शिक्षा पाठ्यचर्या विकास केंद्र के लिए किया जाएगा– अर्थात प्रत्येक चयनित बुनियादी विद्यालय में एक बुनियादी शिक्षा पाठ्यचर्या विकास केंद्र।

ऊपर प्रस्तावित संरचनाओं की भूमिका तथा कार्मिकों के बारे में विस्तार से शिक्षक प्रशिक्षण अध्याय में चर्चा की गई है। इस कार्यक्रम को लागू करने पर जो लागत आएगी उसका उल्लेख वित्तीय भार वाले अध्याय में किया गया है। सभी 391 बुनियादी विद्यालय (जिनका चयन बुनियादी शिक्षा पाठ्यचर्या विकास केंद्रों के स्थापना के लिए किया गया है, वे भी

सम्मिलित हैं) नियमित सरकारी मध्य विद्यालयों के रूप में काम करते रहेंगे। समान स्कूल प्रणाली के मानकों के अनुसार बुनियादी विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा तथा अतिरिक्त शिक्षकों की बहाली की जाएगी।

सभी 391 बुनियादी विद्यालय ऊपर उल्लेखित बी.एस.पी.वी.के. के लिए प्रयोगशाला विद्यालयों के रूप मे काम करेंगे जिनमें कार्यकेन्द्रित पाठ्यचर्या का विकास और अभ्यास किया जाएगा। उनकें अनुभवों का दस्तावेजीकरण कर इनका उपयोग क्रियात्मक शोध के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग समूची विद्यालय व्यवस्था में नव विकसित कार्य केन्द्रित पाठ्यचर्या के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के निर्माण में किया जा सकेगा। इसी विधि से बिहार के बुनियादी विद्यालयों को फिर से सशक्त किया जाएगा। जिससे कि वे गांधीवादी शिक्षाशास्त्र के मूल तत्वों को स्कूली पाठ्यचर्या में शामिल करने में अग्रणी भूमिका निभा सकें।

लेकिन इस बार यह प्रयास कुछ अलग प्रकार का होगा। 1940 तथा 1950 के दशकों में किए गए प्रयासों से अलग, इस बार के अपने आप में सीमित न रहकर मुख्यधारा के स्कूलों के पाठ्यक्रम को ही गांधीवादी पद्धति के अनुरूप परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसका आशय यह हुआ कि ये विद्यालय अब मुख्यधारा की स्कूली व्यवस्था के विरूद्ध अलग–थलग रहकर काम नहीं करेंगे। इसके विपरीत अब मुख्यधारा की शिक्षा को ही बदलना होगा। ऐसा समान स्कूल प्रणाली की रूपरेखा के कारण ही संभव हो सका है।

एक बार जब बुनियादी विद्यालय समान स्कूल प्रणाली का अंग बन जाएं तो बुनियादी शिक्षा परिषद को औपचारिक तौर पर भंग करना आवश्यक होगा।

संदर्भ

1. फैग, हेनरी (2002), ए स्टडी ऑफ गांधी'ज बेसिक एडुकेशन : बैक टू दि सोर्सेज, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृष्ठ 79.
2. हिंदुस्तान तालीमी संघ (1938), रिपोर्ट ऑपफ दि जाकिर हुसैन कमिटी एंड दि डिटेल्ड सिलेबस, वर्धा.
3. हिंदुस्तान तालीमी संघ (1945), समग्र नई तालीम : सेवाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन (जनवरी 1945) का विवरण, हिंदुस्तान तालीमी संघ, सेवाग्राम, वर्धा.
4. हिंदुस्तान तालीमी संघ (1957), आठ सालों का संपूर्ण शिक्षाक्रम, सेवाग्राम, वर्धा.
5. एनसीईआरटी (2005), नेशनल क्यूरीकुलम प्रफेमवर्क – 2005, पृष्ठ 140.
6. एनसीईआरटी (2007), नेशनल पफोकस ग्रुप ऑन 'वर्क एंड एडुकेशन' पॉजिशन पेपर, पृष्ठ 137.

करके सीखो

राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को लेकर जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं और जो विचार परिलक्षित हो रहे हैं उनके प्रति छत्तीसगढ़ शासन ने सकारात्मक रुख अपनाया है। एस.सी.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़ स्कूली स्तर पर काम केन्द्रित शिक्षा को अपने यहां की स्कूलों में लागू करने की दिशा में सक्रिय हैं। यहां की स्कूलों के लिए पुस्तकें तैयार की जा रही हैं, शिक्षकों के लिए सघन प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण अध्ययन के लिए तैयार की गई पुस्तक में से एक अध्याय हम यहां साभार प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अध्याय अपेक्षा करता है कि बच्चों को स्थानीय स्तर पर काम–धंधे में व्यस्त लोगों/परिवारों से मिलने का, उनके कामों को देखने–परखने का अवसर दिया जाए। बच्चे उन कामों को खुद करके देखें, ऐसी भी अपेक्षाएं हैं। कुल मिलाकर यह अध्याय बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ने में भूमिका अदा कर सकता है। इस अध्याय को आप बच्चों को पढ़ाएं। इस अध्याय के माध्यम से किन कौशलों का विकास हो पाता है? बच्चों के क्या अनुभव हुए? कृपया हमें लिख भेजें। प्रस्तुत है कक्षा 5वीं की कार्य पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय ''काम और धंधे''।

हमारे काम–धंधे

कपड़े सिलते तन ढंकने को, वे दर्जी कहलाते।

लड्डू–पेड़ा खूब बनाते, वे हलवाई कहलाते।

सुन्दर–सुन्दर गहने गढ़ते, वे सुनार कहलाते।

घड़े, खिलौने मिट्टी से बनाते, वे कुम्हार कहलाते।

लकड़ी से बनाते मेज़, कुर्सी, वे बढ़ई कहलाते।

लोहे से औजार बनाते, वे लोहार कहलाते।

ऊपर लिखी कविता को कक्षा में पढ़ो और नीचे दी गई तालिका को भरो–

क्र.	काम–धंधे	कौन करता है?	क्या–क्या औज़ार उपयोग में लाता है?
1.	कपड़े की सिलाई	————————	————————————————
2.	लोहे का कार्य	————————	————————————————
3.	मिट्टी के कार्य	————————	————————————————
4.	लकड़ी का कार्य	————————	————————————————
5.	मिठाई बनाने का कार्य	————————	————————————————

एक मुलाकात कुम्हार से

कुम्हार के घर जाकर पता करो कि वह बर्तन आदि बनाने के लिए क्या–क्या करता है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर खोजो।

कुम्हार मिट्टी से कौन–कौन सी चीज़ें बनाता है? उन चीज़ों के नाम लिखो।

———————— ————————

———————— ————————

———————— ————————

इन चीजों को बनाने के लिए कुम्हार को कैसी मिट्टी चाहिए? पता करो, कुम्हार मिट्टी कहां से लाता है?

.....

मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए वो किन साधनों का उपयोग करता है?

.....

.....

यदि तुम्हें मौका मिले तो कुम्हार के यहां मिट्टी के दीपक आदि बनाने का प्रयास करो।

यहां कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया दी गई है। इनको 1,2,3 नम्बर देकर सही क्रम में दिखाओ।

प्रक्रिया का चित्र

गढ़े बर्तनों को सुखाना

मिट्टी खोदकर लाना

पके बर्तनों में रंग लगाना एवं बाजार में ले जाना

गढ़े बर्तनों को आग में पकाना

चाक से बर्तन आदि गढ़ना

मिट्टी तैयार करना

कुम्हार मिट्टी से बर्तन आदि गढ़ने के बाद उन्हें आग में क्यों पकाते हैं?

.....

.....

मिट्टी के घड़े एवं पीतल के बर्तन में रखे पानी में से किसका पानी ठंडा होगा?और क्यों? अपने शिक्षक से चर्चा करो।

.....

.....

चलो बढ़ई के घर

अपने दोस्तों के साथ बढ़ई के घर जाओ और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले औज़ारों का अवलोकन करो और उनके चित्र बनाओ।

लकड़ी काटने के लिए बढ़ई किन औज़ारों का उपयोग करता है?

.....

.....

लकड़ी चीरने के लिए बढ़ई किन औज़ारों का उपयोग करता है?

.....

.....

लकड़ी को चिकना करने के लिए बढ़ई किन औज़ारों का उपयोग करता है?

.....

.....

दो लकड़ियों को जोड़ने के लिए बढ़ई क्या तरकीब अपनाता है?

.....

.....

लकड़ी में छेद करने के लिए बढ़ई क्या तरकीब अपनाता है?

.....

.....

अपने यहां के बढ़ई से पूछो कि कौन सी सामग्री किस लकड़ी से बनाई जा सकती है? तालिका में भरो।

क्र.	सामग्री का नाम	लकड़ी का नाम
1.	हल	.....
2.	दरवाजा (चौखट)	.....
3.	कुर्सी / टेबल	.....
4.	पलंग	.....
5.		.....

जिस तरह से तुमने बढ़ई के यहां जाकर पता किया वैसे ही लोहार, दर्जी, हलवाई के यहां जाओ और उनके औज़ारों का एवं उनके द्वारा बनाई जाने वाली चीज़ों का अवलोकन करो।

तुम्हारे आस–पास इस तरह और भी काम धंधे करने वाले लोग होंगे। वे कौन–कौन से कार्य करते हैं? वे किन–किन औज़ारों का उपयोग करते हैं? तालिका में भरो।

क्र.	नाम	किए जाने वाले कार्य	औज़ार
1.	धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	.....
2.	नाई	.....	.....
3.	.....	कपड़ा बुनने का कार्य	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....
6.	.....	.....	.....

इस प्रकार समाज में रहने वाला व्यक्ति कई प्रकार के व्यवसाय करता है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अतः हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। छोटे से छोटे कार्य करने वाले का उतना ही महत्त्व है जितना बड़ा कार्य करने वालों का।

खोजो आसपास

1. अपने यहां के बुजुर्गों से पता करो कि काम–धंधे करने वालों की जिदंगी में अब क्या फर्क आया है?

2. अब कई सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनने लगी हैं। इससे किन–किन लोगों के काम–धंधों पर असर पड़ रहा होगा?

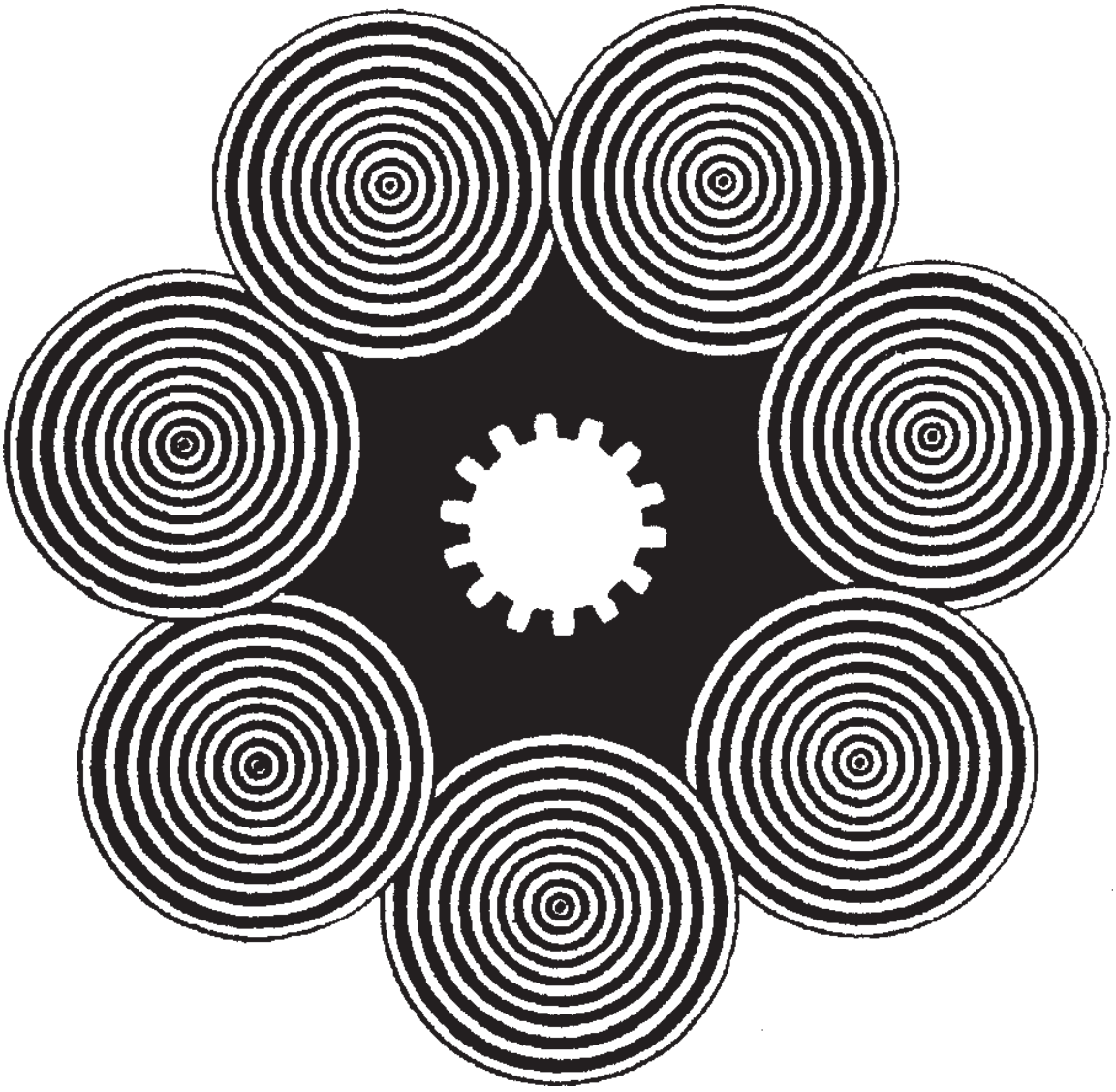

''**बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश**'' विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर एवं गूजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड़, अहमदाबाद द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित।